जन आयोग रिपोर्ट

हरियाणा जाट आरक्षण आन्दोलन
फरवरी, 2016

लोकार्पित
रोहतक, 15 मई, 2016

सद्भावना मंच, हरियाणा

यह रिपोर्ट एवं इसमें प्रयोग किए गए विडियो सबूत निम्नलिखित साइट पर उपलब्ध हैं–
https://archive.org/search.php?query=janayogharyana

प्रकाशक
सुरेन्द्र पाल सिंह
कन्वीनर, सद्भावना मंच, हरियाणा
957, सेक्टर 25, पंचकुला, हरियाणा
फोन : 09872890401
ईमेल– sure.pal60@gmail.com

प्रतियाँ : 500

15 मई, 2016

सहयोग राशि : 50 रुपये

मुद्रक
अर्पित एन्टरप्राइज़ेज
दिल्ली-110092
फोन : 09350909192

गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस रिपोर्ट का किसी भी रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

आमुख

फरवरी 2016 में हरियाणा में हुए जाट आरक्षण आन्दोलन एवं उस दौरान हुई व्यापक हिंसा के सन्दर्भ में नागरिक समाज की पहलकदमी पर गठित जन-आयोग की रिपोर्ट हरियाणा की जनता को प्रस्तुत है। आशा है यह रिपोर्ट हरियाणा के इस कठिन दौर को समझने में सहायक होगी। ताकि एक ओर हरियाणा का समाज तथा दूसरी ओर सरकार, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कारगर कदम उठा सके। सत्ता राजनीति से प्रेरित जातीय विद्वेष की खाई को पाटने तथा युवाओं की बेकारी एवं आक्रामकता के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। आज हरियाणा में असुरक्षा एवं अविश्वास का जो वातावरण बन गया है, उससे न केवल प्रत्यक्ष हिंसा से पीड़ित अपितु जिन के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, वे भी, प्रभावित हुए हैं। इस दौरान हरियाणा को हुए नुकसान का आकलन मात्र सम्पत्ति के नुकसान एवं मृतकों की संख्या तक सीमित नहीं समझना चाहिए बल्कि सामाजिक ताने-बाने को हुई गहरी क्षति को भी इस में शामिल करना चाहिए।

अपनी आशंकाओं एवं सवालों के बावजूद लोग आयोग के समक्ष आए, अपनी बात कही, और अपने दस्तावेजों की प्रतियाँ भी उपलब्ध करवाईं। इसके लिए आयोग उनका आभारी है। अलग-अलग शहरों में जन-सुनवाई आयोजित करने के लिए, इसकी जानकारी देने के लिए, प्रभावित व्यक्तियों को आयोग की जन-सुनवाइयों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत से लोगों और संगठनों ने सहायता की– आयोग उनका भी आभारी है। पंजाब विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों उर्वि, अमन, हरीश ने अखबारी रिपोर्टें तलाशने में जरूरी हाथ बँटाया। अन्त में, आयोग 'सद्भावना मंच' का धन्यवाद करता है जिन्होंने जन-आयोग का गठन किया एवं इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये।

वी.एन. राय, पूर्व पुलिस महानिदेशक, हरियाणा
अध्यक्ष

टी.के. शर्मा, पूर्व मण्डल आयुक्त, गुड़गांव
सदस्य

शुभा, लेखक एवं पूर्व कॉलेज प्राचार्य
सदस्य

डॉ. मेहर सिंह, पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, केरल
सदस्य

राजीव गोदारा, एडवोकेट पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
सदस्य

राम मोहन रॉय, एडवोकेट, सर्वोच्च न्यायालय
सदस्य-संयोजक

डॉ. राजेन्द्र चौधरी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
सदस्य-सचिव

दिनांक 12.5.2016

विषय सूची

आमुख 3

1. जन-आयोग की पृष्ठ-भूमि एवं कार्यपद्धति 5
2. फरवरी 2016 में हरियाणा में हुए जाट आरक्षण आन्दोलन एवं हिंसा की पृष्ठभूमि 6
   - (i) जाट आरक्षण आन्दोलन का इतिहास व कानूनी पक्ष 6
   - (ii) अदालत के फैसले के बाद आरक्षण का आन्दोलन 8
3. हिंसा का स्वरूप एवं इसकी जिम्मेदारी 11
   - (i) रोहतक की जन-सुनवाई की रपट 11
   - (ii) महम की जन-सुनवाई की रपट 18
   - (iii) कलानौर की जन-सुनवाई की रपट 20
   - (iv) झज्जर की जन-सुनवाई की रपट 24
   - (v) हांसी की जन-सुनवाई की रपट 29
   - (vi) जुलाना की जन-सुनवाई की रपट 33
   - (vii) जींद की जन-सुनवाई की रपट 34
   - (viii) उचाना की जन-सुनवाई की रपट 34
   - (ix) सफ़ीदों की जन-सुनवाई की रपट 35
   - (x) कलायत की जन-सुनवाई की रपट 37
   - (xi) कैथल की जन-सुनवाई की रपट 39
   - (xii) पुण्डरी की जन-सुनवाई की रपट 41
   - (xiii) पानीपत की जन-सुनवाई की रपट 42
   - (xiv) मुरथल की रपट 43
   - (xv) गोहाना की जन-सुनवाई की रपट 46
4. जनसुनवाई के निष्कर्ष 49
5. राहत एवं पुनर्वास उपायों की समीक्षा 57
6. व्यक्तियों एवं संगठनों की भूमिका 62
7. न्याय, सद्भावना, सुरक्षा एवं शांति के उपायों की समीक्षा 64
8. भविष्य की राह : आयोग की सिफ़ारिशें एवं सुझाव 66
9. नागरिक समाज से अपील 71

परिशिष्ट 1– जन आयोग के सदस्य 72

परिशिष्ट 2– जन-सुनवाइयों का ब्योरा 72

परिशिष्ट 3– सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत उपायुक्त से मांगी गई सूचना की प्रति 73

सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक से मांगी गई सूचना की प्रति 74

परिशिष्ट 4– आयोग के सामने उपस्थित हुए व्यक्ति/संगठन 75

1. जन-आयोग की पृष्ठ-भूमि एवं कार्यपद्धति

1.1 फरवरी 2016 जाट-आरक्षण आन्दोलन के दौरान हुई हिंसा समाज पर गहरा असर छोड़ने वाली परिघटना है। इस घटनाक्रम से चिंतित न्यायप्रिय नागरिकों और संगठनों ने 5 मार्च 2016 को पानीपत में मिल कर हरियाणा में न्याय, सुरक्षा और शांति के लिए 'सद्भावना मंच' हरियाणा गठित किया उसी दिन सद्भावना मंच ने यह निर्णय भी लिया कि इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच करने के लिए एक जन-आयोग गठित किया जाए। इसके लिए 'सद्भावना मंच' ने समाज के विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से सम्पर्क करके उन से जन-आयोग में शामिल होने का अनुरोध किया। 11 मार्च को एक 7 सदस्यों वाले जन-आयोग के गठन की घोषणा की गई (सदस्यों का परिचय परिशिष्ट 1 में दिया गया है)। 15 मार्च को आयोग की पहली बैठक हुई। आयोग ने अपने लिए निम्नलिखित कार्यसूची (टर्म्स ऑफ़ रिफरेन्स) तय की–

i. फरवरी 2016 में हरियाणा में हुए जाट आरक्षण आन्दोलन एवं हिंसा की पृष्ठभूमि
ii. इस में शासन एवं प्रशासन की भूमिका
iii. इस में अन्य व्यक्तियों, संगठनों एवं समूहों की भूमिका
iv. हिंसा का स्वरूप एवं इसकी जिम्मेदारी
v. राहत एवं पुनर्वास के उपायों की समीक्षा
vi. न्याय, सद्भावना, सुरक्षा एवं शान्ति के उपायों की समीक्षा
vii. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने एवं शान्ति तथा सौहार्द बनाए रखने के लिए सुझाव

1.2 इसके बाद आयोग ने 'सद्भावना मंच' की सहायता से हरियाणा के अलग-अलग जिलों में स्थानीय संगठनों एवं व्यक्तियों से सम्पर्क करके उन से अपने यहाँ जन-सुनवाई आयोजित करने का अनुरोध किया। इसके साथ-साथ सरकार को भी पत्र लिख कर आयोग के गठन के बारे में सूचित करते हुए, सहयोग करने एवं अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया गया। इसके बाद हरियाणा के ज्यादा प्रभावित 8 जिलों में जाकर जनसुनवाई करने का कार्यक्रम तय किया गया एवं इन जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों से सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना मांगी गई। (जन-सुनवाइयों का विवरण परिशिष्ट 2, सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई सूचना का प्रारूप परिशिष्ट 3 एवं आयोग के सामने उपस्थित गवाहों की सूची परिशिष्ट 4 में दी गई है। अभी तक सभी जिलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सभी जिलों से सूचना प्राप्त करने के प्रयास जारी रहेंगे।) समाचार-पत्रों एवं अन्य प्रचार-माध्यमों के जरिए नागरिकों एवं संगठनों से अपील की गई कि वे जन-आयोग को 'सच तक पहुँचने पहुँचने के लिए सहयोग करें। इस सम्बन्ध में जो भी सबूत और जानकारियाँ उनके पास उपलब्ध हों उन्हें आयोग को उपलब्ध करवाएँ एवं पीड़ितों को जन-आयोग के सामने आने के लिए सूचित करें'। इसके लिए ईमेल आई.डी. एवं फोन व्हाट्स एप नम्बर भी जारी किए गए।

1.3 इन सब माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जन-आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार की है। जन-सुनवाई की हर जगह तमाम पक्षों से सम्पर्क करने के प्रयास किए गए और अधिकांश जगह विभिन्न पक्षों के लोग आयोग के समक्ष पेश भी हुए। आयोग के लिए जमीनी स्तर पर सहयोग अलग-अलग शहरों एवं जिलों में सद्भावना मंच से जुड़े अलग-अलग व्यक्तियों एवं संगठनों ने किया। आमतौर पर आयोग के सदस्य अपने स्तर पर जन-सुनवाइयों एवं आयोग की बैठकों में शामिल हुए।

2. फरवरी 2016 में हरियाणा में हुए जाट आरक्षण आन्दोलन एवं हिंसा की पृष्ठभूमि

2(i) जाट आरक्षण आन्दोलन का इतिहास व कानूनी पक्ष

2(i).1 हरियाणा में फरवरी 2016 में घटित घटनाक्रम की विवेचना से पहले जाट आरक्षण की मांग के इतिहास और इसके कानूनी पक्ष को समझना जरूरी है। जाट आरक्षण की मांग के पूरे इतिहास में न जाकर हम शुरुआत पिछले दो दशकों के पुनरावलोकन से करते हैं। इसके लिए इस विषय पर उच्चतम न्यायालय के 2015 के जाट आरक्षण पर आए फैसले को आधार बनाया जा सकता है (Supreme Court WRIT PETITION (CIVIL) NO. 274 OF 2014, फैसले की तारीख 17 मार्च 2015)। इस फैसले में आरक्षण, खासतौर से पिछड़े वर्ग/जातियों के आरक्षण के कानूनी पक्ष और जाट आरक्षण के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यहाँ की गई विवेचना मूलत: सुप्रीम कौर्ट के इस फैसले पर आधारित है।

2(i).2 कानूनी रूप से किसी भी वर्ग/जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करने या किसी भी वर्ग/जाति को पिछड़ा वर्ग आरक्षण से बाहर करने के लिए केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह लेती है और पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पिछड़ापन नापने के पैमाने भी अदालत द्वारा तय किए जा चुके हैं। अक्तूबर 1999 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने राजस्थान के कुछ जिलों के जाटों को छोड़ कर अन्य राज्यों के जाटों को पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने से इनकार कर दिया था। फिर नवम्बर 2010 में दिल्ली के जाटों को केंद्रीय सूची में शामिल करने की मांग भी रद्द कर दी गई। परन्तु शीघ्र ही, 3 मई 2011 को यूपीए की केन्द्रीय सरकार ने नियम (The National Commission for Backward Classes (Power to review advice) Rules, 2011 बना कर पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अपनी सलाह की पुन: समीक्षा का मार्ग खोल दिया।[1]

2(i).3 इसके चलते जाटों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की मांग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास विचारार्थ दोबारा आ गई। उन्होंने पहले तो यह तय किया कि वह राष्ट्रीय स्तर पर जारी जातिगत जनगणना के आंकड़े आने का इंतजार करेंगे लेकिन फिर इस मांग के मूल्यांकन के लिए उन्होंने एक प्रख्यात शोध संस्थान (इन्डियन कोंसिल ऑफ़ सोशल साइंसेज एंड रिसर्च) को जाटों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कहा। फिर शीघ्र ही उस संस्थान को इसके लिए व्यापक पैमाने पर अध्ययन न करके, छोटे सर्वेक्षण के आधार पर अपनी सलाह देने को कहा। चलते-चलते स्थिति यह बनी कि अंतत: शोध संस्थान को नए आंकड़े एकत्र न करके उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अपनी राय देने को कहा गया। उक्त शोध संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में कोई सिफारिश नहीं की मगर हरियाणा के जस्टिस के सी गुप्ता द्वारा राज्य में जाटों को आरक्षण दिए जाने की सिफारिश (जो सांगवान कमेटी के अध्धयन को आधार बना कर की गई थी) के अनुसार यह कहा

1. http://socialjustice.nic.in/pdf/ncbcact1993.pdf पर यह दस्तावेज उपलब्ध है।

कि हरियाणा के जाटों का नौकरियों में हिस्सा उनकी जनसंख्या के नजदीक है, मगर वह शिक्षा के स्तर पर पिछड़ा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इंडियन कोंसिल ऑफ सोशल साइंसेज एंड रिसर्च संस्थान के तथ्यों को सही नहीं पाया, क्योंकि सांगवान कमेटी के अध्धयन में जाटों की तुलना अगड़ी जातियों से की थी ना की कि पिछड़ी जातियों से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने विशेषज्ञों द्वारा की गई आंकड़ों की समीक्षा एवं कुछ जगह हुई जन-सुनवाई के आधार पर 26 फरवरी 2014, बुधवार, को अपनी सलाह केंद्र सरकार को दे दी। जिसमें जाट आरक्षण की मांग को स्वीकार करने का कोई आधार ना होने के चलते इसे अस्वीकार करने की सलाह दी। यह तथ्य राम सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेज 26-27 पर दर्ज है।[2] तीन दिन बाद, इतवार 2 मार्च 2014 को यूपीए सरकार ने एन सी बी सी की सलाह को केवल यह कह कर ठुकरा दिया कि यह 'जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती'। इसके पक्ष में केन्द्रीय सरकार ने कोई शोध या नए आंकड़े पेश नहीं किये। 4 मार्च 2014 को, केन्द्रीय सरकार ने 9 राज्यों में जाट जाति को ओ बी सी सूची में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी। अगले दिन ही आम चुनावों की घोषणा हो गई। केन्द्र के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और देश की सर्वोच्च अदालत ने केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना को 17 मार्च 2015 को राम सिंह केस में निर्णय सुनाते हुए रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय में हरियाणा के के.सी. गुप्ता आयोग की रिपोर्ट पर भी उंगली उठाई थी जिसके आधार पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा में जाटों समेत पाँच जातियों को आरक्षण दिया था। इससे हरियाणा में जाटों एवं अन्य चार जातियों को दिए गए आरक्षण पर भी प्रश्न-चिह्न लग गया।

2(i).4 हरियाणा में गुरनाम सिंह कमीशन की 30.12.90 को दी गई सिफारिश पर हरियाणा सरकार ने 5.2.91 को 10 जातियों– अहीर, बिशनोई, मेव, गुज्जर, जाट, जाट सिक्ख, रोड़, सैनी, त्यागी एवं राजपूत– को पिछड़ी जाति घोषित कर दिया था।[3] सरकार ने इन जातियों को आरक्षण देने के आदेश 5.4.91 को जारी किए। इसके बाद हुए विधान सभा चुनावों में सरकार बदल गई और भजन लाल सरकार ने 12.9.91 को इन आदेशों को स्थगित कर दिया। नई सरकार ने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया एवं इसकी सिफारिश के आधार पर 7.6.95 को अहीर/यादव, मेव, गुज्जर, सैनी एवं लोढ़/लोढ़ा को पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया। जुलाई 1995 में पिछड़े वर्ग को दो खंडों में बाँटकर इन नई शामिल जातियों को 11% आरक्षण दे दिया गया। इसके बाद समय-समय पर जाटों को आरक्षण का लाभ देने की मांग उठती रही। धीरे-धीरे हरियाणा में जाटों को आरक्षण दिए जाने को लेकर आन्दोलन जोर पकड़ने लगा। 2010 और 2011 में आन्दोलन का केन्द्र-बिन्दु मैय्यड़ (हिसार) था। इस दौरान सड़कें और रेल कई दिन तक पूरी तरह जाम रहे। इसी दौरान मैय्यड़ में पुलिस की गोली से एक युवक मारा भी गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने आरक्षण देने का वायदा करके आन्दोलन समाप्त करवा दिया। इसके बाद 8.4.11 को जस्टिस के.सी. गुप्ता कमीशन गठित किया गया। गुप्ता कमीशन के लिए पहले चंडीगढ़ स्थित सैंटर फार रिसर्च इन रुरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को शोध करने की जिम्मेदारी दी गई थी। परन्तु बाद में इस हेतु महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के प्रो. खजान सिंह सांगवान के

---

2. http://www.ncbc.nic.in/Writereaddata/Supreme%20Court%20Judgement2015%20Jat%20Caste635647145288159656.pdf
3. ये तथ्य हरियाणा विधान सभा में 29 मार्च 2016 को प्रस्तुत 2016 के बिल 15-HLA (जिस से बोलचाल की भाषा में जाट आरक्षण बिल कहा जा रहा है) से लिए गए हैं।
4. http://haryanascbc.gov.in/writereaddata/Document/1_31_1_50607-scbc.pdf

नेतृत्व में शोध करवाया गया जिसके आधार पर गुप्ता कमीशन ने अपनी सिफारिशें दीं।[4] इन सिफारिशों के आधार पर हुड्डा सरकार ने 23 जनवरी 2013 को हरियाणा में जाटों समेत 5 जातियों (जाट, जट सिक्ख, त्यागी, रोड़ एवं बिशनोई) को विशेष पिछड़ा वर्ग बना कर आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। आम धारणा है कि पहले से पिछड़े वर्गों को उपलब्ध मौकों में कटौती न हो इस लिए जाटों इत्यादि को पिछड़ा वर्ग में शामिल न करके विशेष पिछड़ा वर्ग बना कर अलग से आरक्षण दिया गया था। इसी दिन गैर आरक्षित सीटों में 10 प्रतिशत सीटें सामान्य वर्ग की जातियों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षित करने का फैसला भी हुड्डा सरकार ने किया।

2(i).5 सर्वोच्च न्यायलय के राम सिंह केस में दिए गये फैसले के पश्चात हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी 2013 को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार का आरक्षण देने का उक्त निर्णय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर अन्तरिम आदेश दे कर उच्च न्यायालय ने CWP No.9132 of 2015 में दिए गये अपने फैसले 27.7.15 में हरियाणा सरकार द्वारा जाटों समेत 5 जातियों को आरक्षण देने के निर्णय को स्थगित कर दिया। अब हरियाणा सरकार ने 31 मार्च 2016 को अधिसूचना जारी कर विशेष पिछड़ा वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाली 24 जनवरी 2013 की अधिसूचना को वापिस ले लिया है। इस लिए अब CWP No.9132 of 2015 निरस्त हो गई है। परन्तु CWP No.2441 of 2014 जिस में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिये गए आरक्षण को चुनौती दी गई थी वह अब भी लम्बित है।

2(ii) अदालत के फैसले के बाद आरक्षण का आन्दोलन

2(ii).1 सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र की ओ बी सी सूची में जाटों को शामिल करने के निर्णय के निरस्त होने और हाई कोर्ट दुवारा हरियाणा सरकार के जाट सहित चार अन्य जतियो को विशेष वर्ग के तहत दिये आरक्षण पर स्टे होने के बाद विभिन्न जाट संगठनों व खाप पंचायतों ने दोबारा से जाट आरक्षण की मांग उठानी शुरू कर दी। इसके लिये विभिन्न स्तरों पर एकजुटता व लामबंदी न केवल दोबारा से मांग उठानी शुरू कर दी, अपितु इसे तुरन्त पूरी करने का दबाव भी बनाने लग गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 मार्च 2015 को आया और 27 जुलाई 2015 को हाई कोर्ट का फैसला आया था, परन्तु साल पूरा होने से पहले ही हरियाणा धधक उठा था। जाट आरक्षण के लिए कई सारे जाट संगठन (समाचार-पत्रों में कम से कम इन संगठनों के नाम आए हैं– अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समितिए जाट संघर्ष समिति, समस्त जाट सभा, आदर्श जाट महासभा, आरक्षण संघर्ष समिति, अखिल भारतीय जाट महासभा)[5] आन्दोलनरत हो गए। इन संगठनों के अलावा कई खाप भी आन्दोलन में शामिल रही हैं। लगभग सभी जाट नेता, चाहे वे किसी भी पार्टी में रहे हों, जाट-आरक्षण के समर्थक हो गए। सभा-सम्मेलनों में यह कहना आम हो गया कि पार्टी बाद में, पहले समाज (यानी कि जाति पहले)। हुड्डा सरकार द्वारा विशेष पिछड़े वर्ग के रूप में जाटों एवं अन्य पाँच जातियों को 27% से अलग दिये गए आरक्षण के रद्द हो जाने के चलते, एवं कानूनी स्थिति की बेहतर समझ के चलते इस बार जाट समुदाय से पिछड़े वर्ग में ही, यानी 27% में ही शामिल करने की बात उठने लग गई। इससे वर्तमान में 27% आरक्षण में शामिल जातियोंए विशेष तौर पर हरियाणा में पिछड़ा वर्ग खंड 'ब' में शामिल कृषक पृष्ठभूमि की जातियों, को लगा कि अगर जाट आरक्षण की मांग स्वीकार हो जाती है तो उनके लिए रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे और

5. अमर उजाला, रोहतक फरवरी 18, 2016 पृष्ठ 2

वे जाटों को पिछड़ों में शामिल करने का विरोध करने लग गईं। इस खेमे का नेतृत्व भाजपा सांसद श्री राज कुमार सैनी करने लगेए हालांकि अन्य पार्टियों के पिछड़ी जातियों के नेता भी इस विरोध में शामिल हो गए, जैसे कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव। कांग्रेस, इनेलो और भाजपा तीनों में जातिगत आधार पर पार्टी के अन्दर से ही जाट–आरक्षण आन्दोलन का समर्थन और विरोध दोनों होने लगे। शासक पार्टी होने के बावजूद, भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक और सांसद, जातिगत आधार पर न केवल जाट आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में बोलते रहे अपितु जमीन पर जातीय लामबंदी में भी शामिल रहे।

2(ii).2 अदालतों में जाट–आरक्षण रद्द होने के बाद, हरियाणा में चले जाट आन्दोलन के पक्ष एवं विपक्ष में, मुख्य तौर से दो वर्ग सक्रिय थे– एक जो आरक्षण मांग रहे थे, दूसरे जिन को जाटों के पिछड़े वर्ग में शामिल होने से नुकसान होने की आशंका थी, बाकि समाज के विभिन्न वर्गों के विवेकशील लोग हाशिये पर थे। आरक्षण का विमर्श जातिवादी विमर्श की तरफमुड़ गया, उग्र जातिवादी विष वमन के लिए दोनों तरफ के नेता/संगठन जिम्मेदार हैं। एक ओर श्री राज कुमार सैनी (और उनके अन्य साथी नेताओं) ने कई बार गाली गलोच एवं चुनौती देने वाली भाषा प्रयोग की,[6] तो दूसरी ओर कई आन्दोलनकारी जाट नेताओं द्वारा प्रयोग की गई अशोभनीय एवं चुनौती देने वाली भाषा ने भी जातिवादी विद्वेष फैलाने का काम किया।[7] मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को 'पाकिस्तानी' कहना इसका एक छोटा सा उदाहरण है[8] (हालांकि मुख्य मंत्री द्वारा कथित तौर पर हरियाणवियों की बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठाने को भी सही नहीं ठहराया जा सकता।[9] 'जाट देवता/जाट बटेउ जिंदाबाद' या 'जाट बलवान' के नारे भी परस्पर सद्भाव को बढ़ावा नहीं देते।[10] असल में नारों का शब्द–चयन ही नहीं, संदर्भ भी यह तय करता है कि उसका असर क्या होगा। कुल मिला कर जाट आरक्षण की मांग और इसका विरोध, दोनों मुख्य तौर पर शक्ति प्रदर्शन आधारित हो गए। एक ओर ओ.बी.सी. ब्रिगेड का गठन होने लगा तो दूसरी ओर 'जाट सेना', 'जाट बलिदानी जत्था', 'जाट महिला कमांडो' का प्रशिक्षण होने लगा।[11] एक ओर दिल्ली का दाना–पानी बंद करने की धमकी दी जाने लगी तो दूसरी ओर सिर पर रख कर दिल्ली को दूध–सब्जी पहुँचाने का दावा किया जाने लगा।[12] आरक्षण की मांग के समर्थन में जाट आरक्षण आन्दोलनकारी सब से आगे था परन्तु हुड्डा सरकार के आरक्षण सम्बन्धी निर्णय पर हाईकोर्ट के स्टे लगा दिए जाने से जाने से प्रभावित अन्य 4 जातियों के नेता भी गाहे बगाहे जाट संगठनों के साथ या अलग से आन्दोलन करते रहे।[13]

---

6. वीडियो सबूत 1, 2 एवं 3। ये सब एवं आगे वर्णित वीडियो सबूत आयोग के पास उपलब्ध हैं। ये सब वीडियो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आयोग को उपलब्ध करवाए गए हैं। आयोग के पास इतने संसाधन एवं अवसर नहीं था कि इन की फॉरेंसिक जांच करवाई जाती। आयोग यह मान कर इन का प्रयोग कर रहा है कि इन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वैसे भी आम तौर पर किसी महत्वपूर्ण तथ्य को स्थापित करने के लिए आयोग ने किसी एक वीडियो को आधार नहीं बनाया गया है।
7. वीडियो सबूत 4।
8. अमर उजाला, रोहतक दिनांक अगस्त 24, 2015 झज्जर
9. मुख्यमंत्री के ऐसे कथन की चर्चा रही है परन्तु इस का कोई सबूत आयोग को उपलब्ध नहीं हुआ। विडियो सबूत 10 में श्री हवा सिंह इस का दावा करते हैं।
10. वीडियो सबूत 5
11. द ट्रिब्यून अगस्त 17, 2015 ('Jats to raise 'sena' to launch quota stir') एवं अगस्त 22, 2015 ('Jat Sacrifice Brigade' fromed to counter OBCs').
12. दैनिक भास्कर, अगस्त 17, 2015 हिसार एवं गोहाना से रिपोर्ट।
13. दैनिक भास्कर, अगस्त 24, 2015 पानीपत से रिपोर्ट।

2(ii).3 अन्ततः जनवरी 2016 में हुए पंचायती चुनावों से फ़ारिग़ होते ही, कई जाट संगठनों ने आन्दोलन के अपने-अपने कार्यक्रम तय कर लिए। नरवाना में 7 फरवरी 2016 को महापंचायत करके अनशन शुरू किया गया और मैय्यड़ में 12 फरवरी को धरने-प्रदर्शन और रेल-रोको से इसकी शुरुआत हुई परन्तु ये दोनों आन्दोलन भाजपा के जाट नेताओं के आश्वासनों के बाद शीघ्र ही खत्म कर दिये गए।[14] इसके बाद श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के हल्के सांपला में 14 फरवरी 2016 को स्वाभिमान रैली हुई और जाट आरक्षण आन्दोलन एक नए दौर में प्रवेश कर गया। 14 फरवरी के पश्चात विभिन्न जिलों में अलग अलग सड़कों पर जाम लगाने शुरू कर दिये गए। रोहतक जिला में बड़ी कठोरता से सड़के अवरुद्ध की गई। मयायड में भी दोबारा से रेल एवं रोड जाम कर दिये गए। 17 तारीख तक जिला रोहतक, सोनीपत, झज्जर, हिसार में अनेक राष्ट्रीय राज मार्ग एवं राज्य मार्ग एवं जिले की मुख्य सड़कें भी रोक दी गई। रेल सेवाओं को बंद करना पड़ा जिस से अंतर्राजीय आवागमन प्रभावित हुआ। ट्रकों के पहिये थम गए। इक्का-दुक्का जगह कुछ ट्रकों को नुकसान भी पहुंचाया गया। हालांकि 17 फरवरी तक आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से हिंसक नहीं हुआ परन्तु इस दौरान जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। 17 फरवरी को जाट आरक्षण समितियों एवं जाट खापों के नुमाइंदों को मुख्य मंत्री हरियाणा ने बातचीत हेतु बुलाया। मुख्य मंत्री ने कहा कि अधिकारियों की एक समिति आरक्षण के मुद्दे पर विचार कर रही है। उसकी रिपोर्ट आने पर आरक्षण की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही। उपस्थित प्रतिनिधियों ने इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। सरकार द्वारा प्रस्तावित आर्थिक पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण बढ़ाने और जाट जाति को इस का फ़ायदा देने के लिए इसकी आय-सीमा 6 लाख तक करने के प्रस्ताव पर कई नेता तो तैयार थे परन्तु युवा इसके लिए तैयार नहीं हुए और चंडीगढ़ से वापसी के दौरान उन्हें भी उनका रोष सहना पड़ा। उनके लिए भी रास्ते नहीं खोले गए जिसके चलते वे रात 2.30 बजे ही रोहतक पहुँच पाए। उनके अनुसार इसके बाद किसी आन्दोलनकारी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वह आन्दोलनकारियों को पीछे हटने के लिए कह सके। एक आंदोलनकारी के अनुसार 18 फरवरी दोपहर के बाद यह आन्दोलन नहीं रह गया था एवं अराजक स्वयंभू नेताओं के हाथ में चला गया था। उन्होंने सरकार पर निष्ठावान लोगों से बातचीत करने की बजाय, ऐसे लोग, जिनको मनमाफ़िक ढाला जा सके, से ही बातचीत करने का आरोप भी लगाया। प्रत्यक्ष हिंसा की शुरुआत 18 तारीख से होती है, यह तो चिह्नित किया गया है और इसके लिए कुछ ख़ास घटनाओं को रेखांकित किया जाता है, परन्तु इस विषय पर भी विचार एवं जांच करने की जरूरत है कि क्या 18 तारीख से शुरू हुई प्रत्यक्ष हिंसा में 17 तारीख को मुख्यमंत्री से हुई आरक्षण आन्दोलनकारियों से हुई बातचीत, उस बातचीत में शामिल होने वाले लोगों में किसी खास संगठन या नेता के समर्थकों के वर्चस्व की भी कोई भूमिका रही? एक उच्च स्तर के अधिकारी के अनुसार सरकार की ओर से बैठक के लिए आमंत्रित लोगों की सूची को सरकार के जाट समुदाय के दो मंत्रियों को दिखाने के लिए कहा गया था। यह भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि आरक्षण आंदोलन के कुछ नेताओं ने इस बैठक का बहिष्कार किया। इसके साथ ही आंदोलन एक नए दौर में प्रवेश कर गया।

14. दैनिक जागरण, रोहतक 20 फरवरी पृष्ठ 1।

3. हिंसा का स्वरूप एवं इसकी जिम्मेदारी

3(i) रोहतक की जन-सुनवाई की रपट[15]

3(i).1 जन-सुनवाई की तारीख – 19 मार्च एवं 3 अप्रैल 2016, रोहतक जिले में शहर के अलावा महम एवं कलानौर में भी जन-सुनवाई आयोजित की गई। उसका विवरण अलग से दिया गया है। यहाँ केवल रोहतक शहर की जन-सुनवाई का विवरण दिया जा रहा है। रोहतक में दो स्थानों पर जन-सुनवाई हुई– सुखपुरा चौक के पास स्थित आई.एम.ए. हाउस एवं डी-पार्क स्थित सैलिब्रेशन बैंक्वेंट हॉल में। इन के अलावा आयोग ने शहर में घूम कर हालात का जायजा लिया एवं लोगों से बातचीत की। कुछ लोग आयोग से व्यक्तिगत तौर पर अलग से भी मिले थे। दोनों दिन 19-19 लोगों ने आयोग के समक्ष अपनी बात रखी। इनमें आन्दोलनकारी (सरकार/प्रशासन के साथ वार्ता में शामिल लोग भी), आरक्षण के विरोध में बोलने वाले एवं पीड़ित शामिल थे। जाट, दलित, सैनी, पंजाबी, महाजन इत्यादि समुदायों के गवाह शामिल थे। आयोग ने रोहतक की मुख्य घटनाओं बाबत जानकारी प्राप्त करने के विशेष प्रयास किए। इनमें एक घटना रोहतक में अदालत-परिसर के बाहर हए झगड़े की थी। इस पर प्रकाश डालने के लिए परस्पर-विरोधी विचार वाले वकील एवं इसकेस में नामित एक व्यक्ति भी आयोग के सामने पेश हुआ। छात्रालयों में हुई पुलिस कार्यवाही भी काफी अहम थी। इस सिलसिले में जाटकॉलेज से प्रधानाचार्य ने अपने प्रतिनिधि को भेजा। वहीं नेकी कॉलेज के छात्रावास से एक विधार्थी आयोग के सामने उपस्थित हुए। इसके अलावा रोहतक होकर आयोग का कई बार आना-जाना हुआ जिसके चलते शहर के बाकि हिंसाग्रस्त इलाकों को देखा जा सका। इस सबके आधार पर जो घटनाक्रम उभरता है वह इस प्रकार है।

3(i).2 14 फरवरी को सांपला में हुई रैली में आरक्षण की मांग रखते हुए सरकार को 31 मार्च तक का समय देने का निर्णय हुआ परन्तु वहाँ उपस्थित एक वर्ग, जिस में समाचार-पत्रों के अनुसार ज़्यादा संख्या युवाओं की थी, ने उसी समय सड़क जाम करने का निर्णय लिया जिस पर खाप नेताओं की सहमति नहीं थी। अगले दिन के अख़बार खाप नेताओं के इस आशय के बयानों से भरे थे कि हम तो अभी कठोर कदम नहीं उठाना चाहते थे, परन्तु अब आन्दोलन युवा पीढ़ी के हाथ में चला गया है। अब वे ही आगे की राह तय करेंगे। इस मसले में जाट समुदाय में मतभेद इस हद तक थे कि समाचार-पत्रों के अनुसार 14 तारीख को अन्ततः सड़क पर आ बैठे खाप नेताए 15 तारीख को फिर सड़क छोड़ कर जाम-स्थल के पास स्थित चौ. छोटू राम परिसर में जा बैठे और वहाँ पर सांकेतिक धरना दिया (हालांकि दिन ढलने तक वे फिर सड़क पर आ बैठे)।[16] हालांकि 1 फरवरी को खबर छपी थी कि युवाओं को नेतृत्व दिया जाएगा (रेफेंस तलाश करना है जाट-आरक्षण हेतु आन्दोलनरत संगठनों के अलग-अलग कार्यक्रम पहले से तय थे, कुछ हो चुके थे, कुछ होने थे। यहाँ तक

15. फरवरी आंदोलन की अखबारों से ली गई जानकारी के संदर्भ-सूत्र तभी दिये जा रहे हैं अगर कोई विशेष जानकारी है। जो जानकारी इस दौरान अखबारों में व्यापक तौर पर छपी है उसके लिए संदर्भ-सूत्र नहीं दिये जा रहे।
16. 'अमर उजाला', रोहतक फरवरी 16, 2016, रोहतक परिशिष्ट पृष्ठ 1

कि जिस दिन 14 फरवरी को सांपला में आन्दोलन के वर्तमान दौर की शुरुआत हुई, उसी दिन जाट आरक्षण आन्दोलन के एक महत्वपूर्ण घटक यशपाल मलिक का कार्यक्रम सांपला में न होकर दिल्ली स्थित घेवरा मोड़ पर था।[17] समाचार-पत्रों के अनुसार 15 तारीख को कृषि-मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ के सामने सड़क जाम करने वालों ने उन द्वारा दिए गए आश्वासन कि विधान सभा के वर्तमान सत्र में जाट आरक्षण हेतु बिल सरकार ले आएगी, को लिखित में देने की शर्त रखी थी जिसे मंत्री जी ने नहीं माना।[18] कई जाट संगठनों ने सांपला से शुरू हुए आन्दोलन का विरोध भी किया।[19]

3(i).3 चाहे जैसे भी शुरू हुआ हो, सड़क-जाम रूपी यह आन्दोलन शीघ्र ही रोहतक के चारों ओर फैल गया और जगह-जगह सड़क जाम होने लगी, छोटे-छोटे रास्ते भी जाम लगाए जाने लगे। शहर से बाहर स्थित स्कूलों जैसे, जिनमें स्कालर रौजारी स्कूल में आवागमन मुश्किल हो गया,। 15 तारीख को ही वापसी में एक स्कूल के बच्चों को बहुत परेशानी हुई और स्कूल को अगले दिन से बंद करना पड़ा। 17 तारीख को रोहतक में सेक्टर-14 के सामने स्थित महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के गेट के आगे धरना और जाम शुरू हो गया था। इस बीच प्रशासन ने सड़क और रेल यातायात जाम करने वालों को उठाने का और जनजीवन सामान्य करने का कोई प्रयास नहीं किया (अपील करने के आलावा)। हालांकि कई जगह से खापों की यह अपील भी आई कि बीमार एवं शादी जैसे आपात मामलों में रास्ता दिया जाए परन्तु आम तौर पर समाचार-पत्रों में छपी खबरों के अनुसार यातायात जाम बहुत कठोरता से लागू किया गया। स्कूल बंद हो गए, पैट्रोल पम्प बंद होने लगे, दूध की किल्लत की खबरें आने लगीं।

3(i).4 इस सबके बीच, कुछ गवाहों के अनुसार 17 तारीख को चौ. छोटू राम चौक पर 'जाट एकता', 'जाट बलवान' इत्यादि नारे लगाते हुए 12-15 लोगों ने, जबरदस्ती दुकान बंद करवाने की कोशिश की। इसके विरोध में व्यापार-मण्डल के लोग उपायुक्त को मिले परन्तु उन से हुई बातचीत से वे आश्वस्त नहीं हुए। शाम को झज्जर-रोड स्थित सैनी धर्मशाला में तथाकथित '35 बिरादरी' की बैठक हुई और अगले दिन प्रशासन को जाम हटवाने हेतु ज्ञापन सौपने का निर्णय लिया गया। '35 बिरादरी' के इस आयोजन में शामिल एक प्रमुख व्यक्ति ने आयोग के समक्ष अपने बयान में कहा कि अगले दिन 18 फरवरी को जब हम भिवानी स्टैंड से जुलूस के रूप में चले तो हमारे पास कोई बैनर और प्लैकार्ड नहीं थे, झज्जर मोड़ से एक पंजाबी संगठन जुलूस में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि नामालूम कब '35 बिरादरी संघर्ष समिति' और '35 बिरादरी जो चाहेगी, उसी को CM बनाएगी' के बैनर-प्लैकार्ड आ गए। दूसरी ओर, 18 तारीख को वकीलों के एक समूह (बार एसोसिएशन का ऐसा कोई समूहिक फैसला नहीं था) ने अदालत परिसर के पास धरना शुरू कर दिया। इसके उद्देश्य के बारे में अलग-अलग जानकारी दी गई। कुछ के अनुसार यह जाट आरक्षण के पक्ष में था तो दूसरों के अनुसार यह जे.एन.यू. प्रकरण में कन्हैया के विरोध में था। आयोग के समक्ष एक वकील ने बताया कि जब सुबह उन्होंने धरनास्थल पर इस बारे में बात की तो इस बारे में मतभेद थे परन्तु जिक्र दोनों का हुआ था। उनके अनुसार मुख्य मुद्दा जाट आरक्षण का ही था, हालांकि कुछ लोगों ने दूसरा मुद्दा भी साथ जोड़ना चाहा।

3(i).5 जब '35 बिरादरी' के बैनर वाला जुलूस, जो उपायुक्त को ज्ञापन (यह ज्ञापन आयोग को उपलब्ध

17. 'अमर उजाला', रोहतक फरवरी 15, 2016, रोहतक पृष्ठ 4
18. 'दैनिक जागरण', रोहतक 16 फरवरी 2016, पृष्ठ 15
19. 'अमर उजाला', रोहतक फरवरी 16, 2016, पृष्ठ 2, एवं पृष्ठ 10

नहीं हुआ, बताया गया कि यह भगदड़ में गुम हो गया) देने जा रहा था, वह पहले गेट से उपायुक्त कार्यालय परिसर में न जा कर दूसरे गेट, जो अदालत परिसर के पास से होकर जाता है, पर पहुँच गया। यहाँ वकीलों और इन के बीच झड़प हो गई। किसने शुरुआत की इसके बारे में विपरीत मत हैं, परन्तु अगर दोनों समूह आमने-सामने न होते, तो टकराव टल सकता था। जुलूस में शामिल प्रमुख व्यक्ति (जो बाद में गिरफ्तार भी हुआ) का कहना था कि वकीलों ने छींटाकशी की तो जुलूस में शामिल कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया कर बैठा, जिससे झगड़ा हुआ। उसी प्रमुख व्यक्ति का कहना था कि उसने वहाँ रखी कुर्सियों पर खड़े होकर माहौल शांत करने की कोशिश की तो किसी ने कुर्सी खींच दी, जिससे झगड़ा बढ़ गया। दूसरी तरफ वकीलों का पक्ष रखने वालों ने अपनी गवाही में कहा कि झगड़ा जुलूस के लोगों ने शुरू किया। शुरुआत किसी भी तरफ से हुई हो, इसके बाद अफरा-तफरी मच गई। वकीलों के साथ मारपीट की सूचना अन्य वकीलों को मिली तो वे अपने साथियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। 'ज्ञापन देने वाला उक्त जुलूस भी बिना ज्ञापन सौंपे बिखर गया। इस मारपीट में वकीलों में घायल 2 वकील जाट समुदाय के व 3 वकील गैर-जाट बताए गए। जुलूस में शामिल कई लोग भी घायल हुए। विश्वविद्यालय के पास धरने पर बैठे लोगों को जब 'जाट वकीलों' की पिटाई की खबर पहुँची तो उनमें से कई लोग अदालत की तरफ दौड़ लिए। तब तक वकील भारी संख्या में इकट्ठे हो चुके थे। उन्होंने एक ओर अदालत परिसर के समीप स्थित सोनीपत स्टैंड पर रोड जाम कर दी और दूसरी ओर युवाओं को कहा कि तुम वापिस जाओ, हम वकील अपना मामला आप सुल्टा लेंगे। अदालत परिसर के पास हुई इस घटनाक्रम पर पहले वकीलों के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई और कुछ वकीलों को हिरासत में ले लिया गया। इन को देर रात जमानत मिल गई एवं देर रात को ही वकीलों ने दूसरे पक्ष के खिलाफ़ एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी। (उक्त प्रमुख गवाह का दावा है कि इसकेस में 8 लोग नामजद हैं, उनमें से कइयों को बयान दर्ज करवाने के लिए थाने बुलाया गया परन्तु सबसे पहले गिरफ़्तार केवल कांग्रेसी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और गिरफ़्तारी के दौरान उस पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम लेने का दबाव बनाया गया। सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों को नामित होने के बावजूद गिरफ़्तार नहीं किया गया।)

3(i).6 उक्त जुलूस में शामिल लोग झड़प वाले स्थान से भाग कर चौ. छोटू राम चौक पर एकत्रित हो गये और रास्ते खुलवाने की मांग करने लगे। सुरक्षा-बल भी घटना स्थल पर पहुँच चुके थे। इस दौरान यह अफवाह फैली कि इस चौक पर स्थित चौ. छोटू राम की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। इसके चलते एक आक्रोशित भीड़ सोनीपत स्टैंड से चौ. छोटू राम चौक की तरफ चल पड़ी। अब दो गुट आमने-सामने थे और उनके बीच सुरक्षा-बल था। आक्रोशित भीड़ को चौ. छोटू राम चौक की तरफ आते देख कर वहाँ खड़ी भीड़ तितर बितर हो गई और सुरक्षा बलों ने दूसरी ओर से आती भीड़ को भी नियंत्रित कर लिया। वहाँ चौ. छोटू राम की प्रतिमा को सुरक्षित देख यह भीड़ भी लौट गई पर इस बीच वहाँ एक मोटर साइकिल को आग के हवाले एवं 2-4 मोटर साइकिलों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने शहर की मुख्य सड़क से भीड़ को हटाना शुरू कर दिया परन्तु सुरक्षा-बलों के वहाँ से हटने के बाद भीड़ फिर इकट्ठी हो जाती। इस घटनाक्रम में अशोका चौक पर खड़ी गैर-जाट समुदाय की भीड़ के सामने (शायद भीड़ की प्रकृति को समझने में भूल के चलते) कुछ मोटर साइकिल सवार युवकों ने जाट आरक्षण के पक्ष में नारे लगा दिये। भीड़ में से कुछ लोगों ने उनकी पिटाई की और उनकी मोटर साइकिलों को आग लगा दी।

3(i).7 इस प्रकार शहर में प्रत्यक्ष हिंसा की शुरुआत 18 तारीख को दोपहर बाद हो गई। इसके बाद शहर में जगह-जगह दोनों तरफ की भीड़ इकट्ठी होती रही, जगह-जगह रोड जाम होते रहे एवं पत्थरबाजी भी होती

रही। 18 तारीख को सुरक्षा-बलों ने विश्वविद्यालय के सामने के धरने-रोड जाम को छोड़ कर दिल्ली रोड पर बाकी जगह से भीड़ को हटाने के प्रयास किए एवं बल-प्रयोग भी किया। इस कड़ी में शाम को पावर हाउस/ पंडित नेकी राम कॉलेज के सामने एकत्रित भीड़ को भी तितर बितर किया एवं सड़क को खुलवाया। काफ़ी हद तक भीड़ छट गई थी। परन्तु कुछ शरारती तत्व पुलिस पर पत्थरबाजी एवं गाली-गलौज करते रहे।[20] समाचार-पत्रों के अनुसार दो पुलिस वालों को बंधक भी बना लिया गया।[21] इस प्रक्रिया में एक समय पर पुलिस पर पत्थरबाजी के बाद उपद्रवी, जाट कॉलेज एवं पंडित नेकी राम कॉलेज के छात्रावासों में घुस गए। सुरक्षा-बल भी इन के पीछे-पीछे छात्रावासों में घुस गए और वहाँ मिले छात्रों की अंधाधुंध पीटाई की। छात्रावास की मैस और कमरों में घुस कर छात्रों को पीटा। इस भगदड़ में कुछ छात्र पुलिसिया कहर से बचने के लिए ऊपरी मंजिलों से भी कूद गए। जो सामने आयाए पुलिस ने उसकी पिटाई की। कुछ को पुलिस की पिटाई से और कुछ को ऊपर से कूदने से चोट लगी। इसमें जाहिर है कि निर्दोष छात्र भी घायल हुए। छत से कूदने से एक छात्र की रीढ़ की हड्डी में भी चोट लगी बताई गई। पंडित नेकी राम कॉलेज के पहले छात्रावास में ज़्यादा चोटें आईं परन्तु दूसरे छात्रावास तक पुलिस के पहुँचने से पहले छात्र सावधान हो गए थे। जाहिर है कि पुलिस ने छात्रावासों में प्रवेश बिना वहाँ के प्राचार्य की अनुमति के किया एवं अंधाधुन्ध पिटाई की। हालांकि कई जगह आयोग को यह सुनने को मिला कि पुलिस ने चुन-चुन कर, परिचय पत्र देख-देख कर, जाट छात्रों की पिटाई की परन्तु आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किसी छात्र या अध्यापक ने ऐसा आरोप नहीं लगाया। आयोग को पंडित नेकी राम कॉलेज के 10 घायलों की एक सूची मिली है (हालांकि यह सब घायलों की सूची नहीं है) जिसमें चार जाट, दो दलित, दो नाई, एक दर्जी एवं एक सैनी समुदाय से हैं। जाट कॉलेज से मिली पांच घायलों की सूची में जाति का विवरण नहीं है।

3(i).8 18 तारीख की घटनाओं के बाद एक ओर पथराव एवं आगजनी इत्यादि शुरू हो गई, दूसरी ओर इन घटनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर अफ़वाहों का बाजार गर्म हो गया। शहर में अलग-अलग मौहल्लों में एक दूसरे पर हमले की अफ़वाहें फैलने लगींए तो गाँवों में रोहतक के 'जाट' वकीलों और छात्रों पर हमले की ख़बर बड़ा चढ़ा कर पहुंचाई गई। इसके बाद गाँवों से हथियारों से लैस भीड़ शहर की तरफ आने लग गई। 19 तारीख को शहर में गाँवों से बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर-ट्राली भर-भरके लोग आने लग गए। विश्वविद्यालय धरनास्थल इस सब का केन्द्र-बिन्दु था। समाचार-पत्रों के अनुसार इस भीड़ ने धरनास्थल के पास स्थित एग्रो-माल पर हमला कर दिया और वहाँ खड़े वाहनों को तोड़-फोड़ दिया। आँसू-गैस के गोले छोड़ने पर भी भीड़ नियंत्रण में नहीं आई। बड़ी मुश्किल से एग्रो-माल में फंसे लोगों एवं पुलिस वालों को बाहर निकाला गया। एक वीडियो में दिखाई पड़ता है कि पुलिस के वाहन पहले चल पड़ते हैं और सुरक्षाकर्मी भाग भाग कर चलते वाहनों में चढ़ते हैं। सुरक्षा-बल आगे-आगे भागते दिखाई देते हैं और पथराव करती भीड़ उनके पीछे भागती दिखाई देती है।[22] इसके बाद एकत्रित भीड़ ने विश्वविद्यालय धरनास्थल के समीप दिल्ली चौक और वहीं स्थित सरकारी विश्राम-गृह एवं आई जी आवास पर हमला बोल दिया। मगर जाट समुदाय के एक गवाह ने कहा कि भीड़ आई जी को ज्ञापन देना चाहती थी, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं दिया दिया। प्रदर्शनकारियों ने वहां तोड़फोड़ व आगजनी

20. वीडियो सबूत 6
21. 'दैनिक जागरण', रोहतक दिनांक 19 फरवरी, 2016 पृष्ठ 15
22. वीडियो सबूत 7

की, वहां पर गोली बारी भी हुई। इसमें एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगने के समाचार भी हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों ने गोली चला दी जिस में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई जख्मी हुए। विश्राम गृह के जिस कमरे में पुलिस अधिकारी मौजूद थे, पहली मंजिल के उस कमरे की बाहरी बालकनी की दीवार पर गोली लगी होने का निशान था, जिसे जन आयोग के सदस्यों ने वहां पहुँच कर हालत का निरिक्षण करते हुए देखा।

3(i).9 शहर में भीड़ का राज हो जाता है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी पर तोड़फोड़ की जाती है व जला दी जाती है (आने वाले दिनों में उस पर बार-बार हमला होता है) और जगह-जगह आगजनी होती है। चुन-चुन कर निजी प्रतिष्ठान लूटे और जलाए जाते हैं। इस बीच हरियाणा के पुलिस प्रमुख टी.वी. पर कहते सुनाई देते हैं कि शहर में, सुरक्षा-बल सड़कों पर नहीं हैं, सुरक्षा-बल पुलिस लाइनमें हैं।[23] 19 फरवरी के इस घटनाक्रम के बाद कर्फ़्यू की घोषणा कर दी गई और सेना को बुला लिया जाता है। कई गवाहों ने बताया कि पुलिस के कहने से कि कर्फ़्यू लग गया है, अब चिंता की बात नहीं है, दुकानदारों ने 19 फरवरी शाम से ही दुकानें बंद कर दी थीं और 20 तारीख को वे घरों में ही रहे। परन्तु यह कर्फ़्यू केवल कागजों में लगा था, वास्तव में भीड़ पर इस का कोई असर नहीं हुआ। आयोग को सुखपुरा चौंक स्थित सदर थाने के गेट पर ताला लगा होने का फ़ोटो दिखाया गया। इस थाने से सटी दुकानों पर जबरदस्त लूटपाट और आगजनी हुई। जब लूटमार और आगजनी करने वाले आए तो लगभग कोई दुकानदार मौके पर नहीं था और बिना किसी विरोध के वे अपना कार्य कर पाए। सेना भी सड़क-मार्ग से नहीं पहुँच पाई और हैलीकाप्टरों से थोड़े थोड़े करके पहुँची। अगले दिन यानी 20 फरवरी को, सेना आने के बाद भी सुरक्षा-बल फ़्लैग.मार्च करते हुए विश्वविद्यालय धरनास्थल तक पहुँचने से पहले ही, बिना रोड-जाम खुलवाए और घोषित कर्फ़्यू को लागू किए, मुड़ कर पुलिस लाइन लौट जाती है।[24] अगले दिन भी यही घटनाक्रम दोहराया गया, सुबह एक बार सुरक्षा-बलों का फ़्लैग-मार्च होता है और मुख्य धरनास्थल से पहले ही ये वापिस लौट जाते हैं एवं कर्फ़्यू के बावजूद धरनास्थल पर भीड़ बनी रहती है।

3(i).10 इससे आन्दोलनकारियों का हौसला बढ़ जाता है और 20 तथा 21 तारीख को जगह-जगह लूटपाट और आगजनी की घटनाएँ होती हैं। पूरे शहर में आतंक का माहौल था और आवासीय क्षेत्रों में लोगों ने रात-रात भर जाग कर पहरा दिया है। यहाँ तक आयोग को बताया गया कि उच्च अधिकारियों के परिवार भी अपने घर को छोड़ कर पुलिस सुरक्षा में एक जगह इकट्ठे हो गए थे।[25] दो पुलिस चौकियों सहित शहर के अंदर दिल्ली रोड, दिल्ली बाइपास, शीला बाइपास, सुखपुरा चौक पर दुकानों को (सुखपुरा चौक और कैंप में कुछ घरों को भी), और शहर के बाहर सोनीपत रोड, गोहाना रोड और दिल्ली रोड एवं खेड़ी-साध के समीप औद्योगिक क्षेत्र में स्थित स्कूलों, कालेजों, धार्मिक डेरा एवं व्यावसायिक परिसरों को चुन-चुन कर लूटा और जलाया जाता है। घोषित तौर पर कर्फ़्यू के चलते दुकानें/प्रतिष्ठान बंद थे एवं इन के मालिक मौके पर उपस्थित नहीं थे, इसलिए उपद्रवियों ने बिना रोक-टोक लूटपाट की। कुछ जगह उत्पातियों का विरोध/मुक़ाबला भी किया गया। किला रोड एवं सुखपुरा चौक पर उपद्रवियों पर गोली चलाने की भी सूचना समाचार-पत्रों में छपी

23. 'दैनिक जागरण', रोहतक 20 फरवरी, 2016 पृष्ठ 15
24. 'अमर उजाला', रोहतक दिनांक फरवरी 21, 2016, रोहतक परिशिष्ट पृष्ठ1
25. उच्च न्यायालय में चल रहे एक केस के संदर्भ में इस आशय की ख़बर 'द ट्रिब्यून' दिनांक मार्च 29, 2016 "Army 'was sent to protect judicial officers at acting CJ's instance" में भिवानी के संदर्भ में छपी है। रोहतक में न्यायधीशों के परिवारों द्वारा अपने सरकारी आवास को छोड़ कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेने बाबत ख़बर भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

है व गवाह के ब्यान से आयोग के संज्ञान में आई है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के परिवार से जुड़े प्रतिष्ठानों को छोड़ कर, अधिकांश नुकसान गैर-जाट समुदाय के लोगों का हुआ है। एक स्कूल में दो ठेकेदारों की बसें लगी हुई थीं। एक ठेकेदार जाट समुदाय से है और दूसरा पंजाबी। जैसा स्कूल के एक कर्मचारी ने बताया कि जाट ठेकेदार अपनी बसों को निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले जा पाया, वहीं दूसरा ठेकेदार संभवत सूचना ना होने के चलते अपनी बसों को नहीं निकल पाया और उसकी बसें जला दी गईं कुछ जगह, जैसे पंजाबी-बहुल गांधी नगर/कैंप में जाट समुदाय की दुकानों को भी लूटा गया। दिल्ली रोड पर भी जाट समुदाय के कुछ प्रतिष्ठानों में भी आगजनी और लूटपाट हुई, इनमें एक गन हाउस भी शामिल है।

3(i).11 कुल मिला कर रोहतक में आगजनी और लूटपाट बड़े पैमाने पर हुई है। इससे भय का वातावरण बन गया। यहाँ तक कि महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास पर भीड़ के हमले की अफ़वाहें जब फैलने लगीं, एक छात्रा ने बताया कि कुछ छात्राएं उस समय के हालात से बेहद आतंकित थी, कई छात्राओं ने अपने आपको एक कमरे में बंद कर लिया था, छात्रावास पर हमला होने की स्थिति में वे आत्महत्या की हद तक जाने को तैयार थीं। छात्रा ने कहा कि वह उन छात्राओं में शामिल नहीं थी, बल्कि ऐसी उसकी जानकारी है। शहर के लगभग हर मौहल्ले में कई दिनों तक रात को मिल-जुल कर पहरा दिया गया। असुरक्षा और अफ़वाहों का माहौल कई दिनों तक बना रहा। समाचार-पत्रों के अनुसार 25 से अधिक लोगों ने 1 करोड़ से अधिक के नुकसान का मुआवजा मांगा है। सम्पत्ति के नुकसान के अलावा इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले भी बड़े पैमाने पर बेरोजगार हुए हैं। एक शैक्षणिक समूह के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहाँ 200 लोग काम करते थे अब मात्र 50 लोग काम पर हैं, बाकी 150 को हटाना पड़ा। आयोग के सामने नागरिक एकता व सद्भाव समिति द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 2000 लोगों का रोजगार खत्म होने का अनुमान है। कई प्रवासी मजदूर वापिस चले गए हैं और इस समय, शैक्षणिक वर्ष के अंत में, परिवारों के विस्थापन से बच्चों की पढ़ाई भी निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। हालात सामान्य होने के बाद, सुखपुरा चौक पर एक व्यक्ति की दुकान की मुरम्मत के दौरान करंट लगने से मृत्यु हो गई, कई लोग मानसिक रूप से परेशान रहे हैं। एक पीड़ित ने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और उनके फेल होने का ख़तरा है। औद्योगिक क्षेत्र में एशियन पेंट्स की एक इकाई को जला दिया गया परन्तु मुख्य इकाई जहाँ पेंट बनता है, को आस-पास के गाँव वालों ने बचा लिया क्योंकि उन को किसी ने बताया कि अगर इस में आग लग गई तो आस-पास के सब गाँवों का भोपाल गैस कांड वाला हश्र होगा।[26]

3(i).12 21 तारीख को एक ओर केन्द्र ने सेना को सख़्ती से रास्ते साफ़ कराने के आदेश दिये और दूसरी ओर केंद्रीय गृह-मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ जाट आरक्षण आन्दोलनकारी नेताओं की बातचीत के बाद कुछ उन नेताओं ने आन्दोलन वापिस लेने की घोषणा कर दी। समाचार-पत्रों के अनुसार केंद्रीय स्तर पर जाट आरक्षण के लिए एक मंत्री-समूह गठित किया गया और हरियाणा में 31 मार्च से पहले विधान सभा में जाट आरक्षण का प्रावधान करने के लिए बिल पास करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद 22 तारीख से हालात कुछ सामान्य होने लगे। सांपला से धरना और रोड-जाम हटा लिया गया परन्तु विश्वविद्यालय के सामने यह जारी रहा। यहाँ से 23 फरवरी को रोड-जाम को हटा कर विश्वविद्यालय के सामने एक किनारे पर धरना जारी रखा गया जिसे कुछ दिन बाद जाट भवन में स्थानांतरित कर दिया गया।

---

26. 'अमर उजाला', रोहतक मार्च 1, 2016 रोहतक परिशिष्ट पृष्ठ 2

3(i).13 सुखपुरा चौक के पीड़ितों ने कहा कि हिंसा में शामिल लोग आस.पास के गाँवों के थे (उन्होंने कुछ गाँवों के नाम भी लिए), 'हमारे ग्राहक थे, परन्तु भय के चलते नाम ले नहीं सकते। अभी भी वही मंजर दोहराने की धमकी दी जा रही है ('ठीक कर लो दुकान, फिर वही हाल कर देंगे।') एक बार पुलिस को तीन लोगों के नाम दिये थे तो अगले ही दिन अख़बारों में उपद्रवियों के नाम देने वालों के नाम आ गए थे। प्रकाश सिंह कमीशन के पास भी 13 नामों की सूची लेकर गए थे परन्तु उन्होंने जब यह कहा कि इस सूची पर अपना नाम–पता भी लिखकर दे जाओ तो उपद्रवियों के नाम की सूची बिना सौंपे वापिस ले आए।

3(i).14 एक आन्दोलनकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के तहत जाट समुदाय का जातिगत आरक्षण रद्द हो गया था तो कानूनी तौर पर जाट समुदाय को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलने वाला आरक्षण तो मिलना शुरू हो जाना चाहिए था। उनका दावा है कि इस विषय पर पत्राचार भी किया गया परन्तु सरकार द्वारा यह सामान्य सा काम भी नहीं किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उन सब जातियों के लिए है जिन्हें अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। इस लिए यह दावा बिलकुल सही है कि जाट आरक्षण रद्द होने के बाद जाट जाति को भी इस का लाभ अवश्य मिलना चाहिए था। यह एक सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जो नहीं अपनाई गई (आयोग को बताया गया कि इस मामले में उच्च न्यायालय में एक रिट भी लंबित है।) इससे जाट युवाओं को यह लगा कि न इधर के रहे न उधर के। (कुछ बैंकों में जाट आरक्षण के आधार पर नौकरी पा चुके लोगों को भी बाहर कर दिया गया। इस फैसले को अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने रद्द किया है एवं उनकी नौकरी बहाल की है।)[27]

3(i).15 शहर के एक वरिष्ठ वकील के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम योजनाबद्ध आयोजन लगता है और इसे मात्र 2–3 घटनाओं, जैसा कि अदालत परिसर के पास, अशोका चौक एवं छात्रावास की हिंसक घटनाओं का परिणाम नहीं माना जा सकता जैसा की आम तौर पर आन्दोलनकारी मानते हैं। परन्तु निराशापूर्ण लहजे में उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने वाले लोग न आज तक कभी चिह्नित हुए हैं और न उनके चिह्नित होने की कोई उम्मीद है। उनका यह भी मानना था कि जाट आरक्षण हेतु हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया कानून अदालतों द्वारा रद्द कर दिया जाएगा और स्थिति कभी भी फिर भड़क सकती है।

3(i).16 समाचार–पत्रों में बाद तक पी.जी.आई.एम.एस. में इलाज में जातिगत द्वेष की खबरें आती रही हैं। आयोग इसकी छानबीन नहीं कर पाया। आयोग के सामने 18 तारीख को कॉलेज छात्रावास में पुलिस पिटाई के बाद घायलों के साथ हस्पताल में कागजी कार्यवाही में भेदभाव और लापरवाही का दावा किया गया। जहाँ पर एक ओर एक आन्दोलनकारी गवाह ने जान–बूझ कर एम.एल.आर. न काटे जाने की बात कही, वहीं इस मसले पर उपस्थित एक प्राध्यापक ने कहा कि 'छात्रों को एम.एल.आर. कटवाने के लिए निरुत्साहित किया गया'। आम मामलों में भी पुलिस/डाक्टरों के व्यवहार को देखते हुए यह बात विश्वसनीय प्रतीत होती है। इस संदर्भ में आयोग के सामने उपस्थित पी.जी.आई.एम.एस. से सेवानिवृत्त डाक्टर ने कहा कि हो सकता है कि डाक्टरों द्वारा एम.एल.आर. दर्ज करने में या पोस्टमार्टम करने में कोई चूक हुई हो, परन्तु इस पूरे घटनाक्रम में, जब सारा शहर जाम था और पुलिस एवं प्रशासन दोनों नदारद थे, वहाँ समाज को यह स्वीकार करना चाहिए कि पी.जी.आई.एम.एस. के डाक्टरों ने अनथक काम किया और हस्पताल पहुँचे 2–3 लोगों की ही जान गई,

27. 'हिंदुस्तान टाइम्स' दिल्ली, अप्रैल 18, 2016, http://www.hindustantimes.com/india/jat-bank-officers-get-to-keep-jobs-despite-nullification-of-quota/story-R77QdlV8nIkeSc2FXXCtBM.html

शेष को डाक्टरों ने बचा लिया।

3(i).17 जहाँ तक मुआवजे की बात है, आयोग के सामने रोहतक में प्रस्तुत कोई भी व्यक्ति इससे संतुष्ट नहीं था फिर चाहे वह जाट समुदाय से था या गैर-जाट समुदाय से। इस बारे में पीड़ित व्यक्ति धरना-प्रदर्शन भी कई बार कर चुके हैं। सम्पत्ति के नुकसान के अलावा उन की नियमित आय भी खत्म हो गई है और जब तक व्यवसाय दोबारा शुरू नहीं होता, पीड़ितों की आमदनी शुरू नहीं होगी। इसके अलावा जो कर्मचारी इन प्रतिष्ठानों में काम करते थे, वे भी बेरोजगार हो गए हैं। सब से खराब स्थिति तो घायलों की है। वे न काम करने लायक हो पाए हैं और न ही उनको कोई मुआवजा मिला है। इनमें से एक व्यक्ति, जो लाठी के सहारे चल रहा था, आयोग की दोनों सुनवाइयों में पेश हुआ। श्री सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री पृथ्वी सिंह एक चिनाई मजदूर है। उन्हें आन्दोलन के दौरान हिसार रोड पर लगी गंभीर चोटों के चलते कई दिन हस्पताल रहना पड़ा था। उन्होंने बताया कि उन्हें अब तक किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला एवं इलाज पर लगभग 75 हजार रुपए खर्च हो गए हैं, जिसकी भी अब तक कोई भरपाई नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि अलबत्ता उपायुक्त के दखल के बाद एफ.आई.आर. जरूर दर्ज हो गई है। पीड़ितों ने मुआवजा वितरण में राजनैतिक भेदभाव के आरोप भी लगाए। दूसरी ओर, जाट समुदाय के कई गवाहों ने दुकानदारों द्वारा बढ़ा-चढ़ाके मुआवजे के दावे किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि अवसर आने पर वे सबूत भी देंगे। हिंसक घटनाओं की जांच में भी कुछ ख़ास घटनाओं, जैसे कैप्टेन अभिमन्यु के परिवार के घर को जलाए जाने को, विशेष महत्व दिये जाने के आरोप भी आयोग के सामने आए हैं।

3(i).18 आन्दोलनकारियों एवं गैर-जाट समुदाय के गवाहों पर लगभग हर मुद्दे पर दो अलग अलग वृतांत थे। आन्दोलनकारी आन्दोलन को अपने हक के लिए नितांत शांतिपूर्ण एवं जायज बता रहे थे, हिंसा में जाट समुदाय की हिस्सेदारी से मना कर रहे थे, और युवाओं के आवेश को रोहतक में 18 तारीख को अदालत परिसर के पास, अशोका चौक एवं छात्रावासों में हुई हिंसा की प्रतिक्रिया बता रहे थे (अन्य शहरों में भी लगभग इसी तरह की व्याख्या की गई)। इसके ठीक विपरीत गैर-जाट समुदाय के लोग जहाँ एक ओर सरकार को कोस रहे थे, वहीं वे जाट आन्दोलनकारियों को ही लूटपाट और हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे और ज़्यादातर लोग '35 बिरादरी' संगठनों को निर्दोष बता रहे थे। इस मुद्दे की विवेचना हम बाद में करेंगे।

3(ii) महम की जन-सुनवाई की रपट

3(ii).1 जन-सुनवाई की तारीख 20 मार्च, 2016 समय 10 बजे से 12 बजे तक, स्थान सैनी धर्मशाला किशनगढ़, महम। यहाँ 6 लोग उपस्थित हुए और एक व्यक्ति से अलग से बाद में बातचीत हुई। इनमें आन्दोलनकारी समाज एवं अन्य तबकों के गवाह थे। इनमें से एक के परिवार का सदस्य घायल हुआ था, दो की दुकान लुटी थी एवं 4 अन्य को व्यक्तिगत रूप से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ सबूत के तौर पर दो वीडियो दिये गए। इस जन-सुनवाई से निम्नलिखित घटनाक्रम सामने आता है।

3(ii).2 19 तारीख तक बाजार खुला था हालांकि रोहतक रोड और हिसार रोड कई दिनों से जाम थे। 20 तारीख को सबसे पहले सुबह 4-5 बजे फ़ायर ब्रिगेड के दफ़्तर को आग लगा कर अग्नि शमन यंत्र को नष्ट किया गया। 20 तारीख को ही आस-पास के गाँवों से महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर आस-पास के गाँवों से 2000-2500 की भीड़ लगभग 10 बजे इकट्ठी हुई और फिर यह शहर के बाजार में घुस आई। वहाँ स्थित पैट्रोल-पम्प पर तोड़-फोड़करके वहाँ आग लगा कर तुरन्त चली गई। भीड़ के जाने के बाद आस-पास

के लोगों ने पेट्रोल-पम्प की आग बुझा दी। फिर गाँवों से आई भीड़ ने खंड विकास कार्यालय और बाजार में तोड़-फोड़ की। इस का एक वीडियो भी आयोग को दिया गया। इस वीडियो में लगभग 11.06 बजे से 11.15 बजे तक की रिकार्डिंग है।[28] 15-20 लोग आराम से एक दुकान को लूट रहे हैं। 1-2 ने चेहरे ढक रखे हैं और बाकी खुले मुँह हैं। इस वीडियो से उनकी पहचान हो सकती है। कोई जल्दबाजी नहीं थी। आराम से सामान को ढूंढ रहे थे। बाजार में 50-60 दुकानों को लूटने-जलाने के अलावा, तहसील, नए बने सचिवालय इत्यादि लगभग सभी सरकारी कार्यालयों को जला दिया गया, बसें जला दी गईं और थाने को लूट लिया गया। यहाँ के थाने से सबसे अधिक हथियार लूटे गए हैं जिन में पंचायत चुनावों के दौरान जमा करवाए गए निजी हथियार भी शामिल हैं। थाने को पुलिस पहले ही छोड़ चुकी थी। जाट समुदाय के एक दुकानदार की दुकान भी इसी हिंसा का शिकार हुई। यह घटनाक्रम लगभग 3 बजे तक चला। 20 तारीख की हिंसा से पहले भी 18 तारीख को ही चांग रोड़ पर सड़क जाम के दौरान एक मोटर साइकिल सवार युवक विनोद पर भी लाठी का वार हुआ। वह अब तक कोमा में है। उसके पिता जी ने बताया कि आपरेशन के दौरान कपड़े उतारने पर पता चला की उस पर तेजाब भी डाला गया था। उसकी मोटर साइकिल को बाद में थाने में फूँका गया। कोमा में पड़े युवक के परिवार को सुनवाई होने तक कोई सहायता नहीं मिली है अपितु बेहोश होने के बावजूद हस्पताल से घर जरूर भेज दिया गया है।

3(ii).3 इसके बाद अगले दिन, 21 फरवरी को शाम 7 बजे के आसपास आगजनी का शिकार हुए एक बैंक्वेट हॉल में सर्वसमाज की बैठक बुलाई गई। इस में शहर के जाट समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों ने शहर में हुई लूटपाट और आगजनी की घटनाओं के लिए अपने समुदाय की ओर से खेद जताया एवं शहर में अमन और भाईचारा बना कर रखने का फैसला किया गया। इसके लिए एक सर्वजातीय कमेटी बनाने और अगले दिन सुबह वहीं इकट्ठे होकर एवं प्रशासन से मिल कर बाजार खुलवाने का निर्णय लिया गया। परन्तु इसके बाद भी, 21 तारीख की रात को भी कुछ दुकानें आगजनी का शिकार हुईं। इसके लिए जहाँ कुछ गवाह जाट आरक्षण आन्दोलनकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे हैं वहीं अन्य गवाह इसके पीछे अन्य जातियों के ऐसे लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, जो भाईचारा पुन: स्थापित करने के खिलाफ़ थे। 22 तारीख को सुबह जब सभी बिरादरियों के कुछ शांतिप्रिय लोग पिछले दिन तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार उक्त बैंक्वेट हाल में एक जगह इकट्ठे हो रहे थे तो उन्हें सूचना मिली की '35 बिरादरी' के नाम पर कुछ और लोग महाजन धर्मशाला में इकट्ठे होकर बैठक कर रहे हैं। शांति बैठक के लोग भी महाजन धर्मशाला की ओर चल पड़े। वे जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहले से इकट्ठे हुए लोग, रात को हुई आगजनी को सर्वसमाज की बैठक में हुए 21 शाम के निर्णय का उल्लंघन मान कर, वहाँ से एक जुलूस निकालने लग रहे थे। शांतिप्रिय लोगों ने उग्र भीड़ को शांत करने के प्रयास किए परन्तु वे सफल नहीं हुए। एक गवाह के अनुसार महाजन धर्मशाला में उपस्थित लोगों को स्थानीय आर एस एस प्रचारक, जिनका उन्होंने नाम भी लिया, ने सम्बोधित किया व स्थानीय महिला एस डी एम जो जाट समुदाय से थीं, के विरुद्ध विष वमन किया। यहाँ एकत्रित भीड़ को भड़काने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कुछ और लोगों के नाम भी आयोग को बताए गए। जब यह उग्र जुलूस चल पड़ा तो उनका सामना शीघ्र ही एस.डी.एम. से हो गया और वहाँ पर एस.डी.एम. की गाड़ी को आग लगा दी गई।[29] एस.डी.एम. को पहले

28. वीडियो सबूत 11
29. वीडियो सबूत 12

मोटर साइकिल पर बैठ कर भागना पड़ा था परन्तु वह शीघ्र ही लौटी और भीड़ को तितर-बितर किया। एस.डी.एम. के साथ हुई घटना के बाद, गाँवों में उनके साथ कथित दुर्व्यवहार की अफ़वाहें फैलने लगीं। शहर में इस सम्बन्ध में पुष्टि के लिए फ़ोन आने लगे और शांति समिति के लोगों ने, जो पहले से ही इकट्ठे हो चुके थे,लोगों को इन अफ़वाहों पर ध्यान न देने को कहा और कस्बे की ओर आने वाली सारी सड़कों पर इकट्ठे होकर लोगों को बताया कि एस.डी.एम. की गाडी जलाने के अलावा उनके साथ और कुछ बदसलूकी नहीं हुई है। जो लोग रिहायशी इलाके में घुस गए थे उन्हें वापिस करके, गाँवों से आने वाली भीड़ को नये बस अड्डे पर इकट्ठा करके, वहाँ उन की एस.डी.एम. से भेंट करवा दी गई। एस.डी.एम. ने लोगों को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद गाँवों से एकत्रित होकर आए लोग शांत होकर वापिस चले गए। 22 तारीख को केवल एस.डी.एम. की सरकारी गाड़ी को जलाया गया, अन्य कोई हिंसक घटना नहीं हुई। शीघ्र ही एस.डी.एम. वीना हुडा का तबादला कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, यह समझ नहीं आता। उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान बताया गया कि उक्त आर एस एस प्रचारक इस घटना के बाद महम में नजर नहीं आया।

3(ii).4 जहाँ तक मुआवजे और पुनर्वास की बात है, खंड कार्यालय भवन के दरवाजे-खिड़कियों की मुरम्मत हो चुकी है। परन्तु मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान करने वाले एक युवक ने बताया कि उसके पास तो पुराने मोबाइल ही थे और अब सरकार पक्के बिल मांग रही है। दूसरी ओर जिन ग्राहकों के मोबाइल थे वो रोजाना आकर तक़ाजा करते हैं। इसके लिए उधार लेकर भी कुछ लोगों को पैसे दिये गए हैं परन्तु सब को तो नहीं दे सकते। रोजाना ग्राहकों से इस बारे में कहासुनी होती है। उन्होंने 7 लाख का नुकसान होने का दावा किया परन्तु उन्हें अब तक कुछ नहीं मिला। कोमा में पड़े मजदूर के परिवार को भी कुछ नहीं मिला है परन्तु कई दुकानदारों को कुछ मुआवजा मिला है।

3(ii).5 व्यापक हिंसा से पहले ही फ़ायर ब्रिगेड की गाड़ी जलाने की घटना सुनियोजित षड्यंत्र इंगित करती है। जाट समुदाय के प्रतिनिधियों ने गाँव से भीड़ को संगठित करके, या मुनादी करके इकट्ठा करके लाने के प्रयासों के दावों को नकारा और कहा कि अफ़वाहों के चलते ही लोग अपने आप गाँवों से निकल पड़े थे। इसके विपरीत पक्ष के गवाहों ने गाँवों में मुनादी करके लोगों को इकट्ठे किए जाने का दावा किया। खंड कार्यालय के पास चाय की दुकान पर बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ आई भीड़ एक पटाका फटने पर भी भाग ली थी। अगर उन्हें कोई रोकने वाला होता, पुलिस होती, तो इतनी हिंसा और लूटपाट नहीं होती। यानी कि 20 तारीख को हिंसक भीड़ को किसी ने भी रोकने के प्रयास नहीं किए। उसके बाद दोनों समुदायों के लोगों के प्रयासों से 20 तारीख के बाद शहर में हिंसा को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सका। 20 फरवरी को आरक्षण आन्दोलनकारियों के हिंसक होने के कारण पूछने पर एक गवाह ने बताया कि यह रोहतक में 18 फरवरी को दो कोलेज छात्रावासों में विधार्थियों की पुलिस दवारा बेरहमी से की गई पिटाई की प्रतिक्रिया थी।

3(iii) कलानौर की जन-सुनवाई की रपट

3(iii).1 जन-सुनवाई की तारीख 20 मार्च, 2016 समय 3 बजे से 6 बजे तक, स्थान नगरपालिका कार्यालय, कलानौर (रोहतक)। आयोग ने जन-सुनवाई से पहले सत जिंदा कॉलेज का दौरा किया एवं वहाँ हुए नुकसान का सरसरी जायजा लिया। यह छुट्टी का दिन था। वहाँ उपस्थित माली से बातचीत की गई। कलानौर जन-सुनवाई में एक महिला सहित 9 लोगों ने गवाही दी। गवाही देने वालों में आन्दोलन स्थल पर मौजूद रहा जाट समुदाय का एक व्यक्ति भी शामिल था (यह गवाही देने से आशंकित नजर आ रहा था)। अन्य गवाहों में

सुनार, गुज्जर एवं पंजाबी समुदाय के लोग थे। गवाही देने वालों के अलावा लगभग 10 अन्य व्यक्ति भी जन-सुनवाई में उपस्थित थे। एक ज्ञापन भी आयोग को सौंपा गया। जन-सुनवाई के आधार पर निम्नलिखित घटनाक्रम उभरता है।

3(iii).2 कॉलेज-मोड़ पर आरक्षण आन्दोलनकारियों का धरना कई दिनों से चल रहा था जिस में काफ़ी संख्या में लोग शामिल थे। इनमें महिलाएँ भी शामिल थीं। रोहतक की ओर जाने के मुख्य रास्ते के अलावा छोटी सड़कें भी जगह-जगह बंद थीं परन्तु कलानौर-भिवानी मार्ग खुला था। रास्ते जाम होने, बाकी जगह हिंसा की घटनाओं की खबरों, आशंका और अफ़वाहों के बावजूद कलानौर की दुकानें शुक्रवार, 19 फरवरी तक खुली थीं और शनिवार 20 फरवरी को भी सुबह खुली थीं। धरने स्थल पर मौजूद रहे उक्त व्यक्ति ने बताया कि 20 फरवरी को कॉलेज-मोड़ पर बैठे कुछ लोगों की ओर से शहर की तरफ़ चलने के प्रयास कई बार हुए परन्तु अन्य लोग उन्हें रोकने में सफल रहे, जिनमें वह भी शामिल था। लोगों को कलानौर की ओर कूच करने से रोकने में रोड जाम करने के लिए कॉलेज मोड पर बैठी महिलाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आन्दोलनकारियों द्वारा शहर की ओर कूच करने की अफ़वाहों के चलते, 20 फरवरी को दोपहर बाद शहर की अधिकतर दुकानें बंद हो गई थीं। इस व्यक्ति के अनुसार 20 की रात को जिंदराण मोड़/हस्पताल (या स्थानीय तौर पर जिसे मेडिकल मोड़ कहते हैं) के पास गाँवों से आने-जाने वाले जाट समुदाय के 4-5 लोगों के साथ मारपीट/टोका-टाकी/गाली-गलौज हुआ जिस में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। यह खबर कॉलेज-मोड़ के धरनास्थल तक पहुँची और शहर की ओर कूच करने की मांग उठने लगी। परन्तु धरने पर बैठे कुछ लोग इस को रोकना चाहते थे। उन्होने ने 21 फरवरी को सुबह एक प्रतिनिधिमण्डल (जिसमें मोखरा के श्री प्रमोद मलिक, जिनकी कलानौर में दुकान भी हैं, शामिल थे) कलानौर के मौजिज लोगों से मिल कर आपसी झगड़ा रोकने के लिए भेजा। कलानौर में श्री धर्मपाल गुज्जर के घर पर 100-150 लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने कॉलेज-मोड़ से आए प्रतिनिधिमण्डल पर शुरू में ही यह आरोप लगाया कि वे यहाँ तो शांति की बात करने आए हैं, दूसरी ओर बाहर उनके साथी शहर पर चढ़ाई करने वाले हैं। इसके बाद कॉलेज-मोड़ प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि चलो पहले बाहर जा कर ही देख लेते हैं और शहर से एक प्रतिनिधिमण्डल को धरनास्थल से 300-400 मीटर पहले तक ले जा कर दिखाया कि उनकी ओर से शहर पर चढ़ाई नहीं हो रही। माहौल में अविश्वास का अंदाजा इस बात से हो जाता है कि शहर के प्रतिनिधिमण्डल को धरनास्थल तक न ला कर 300-400 मीटर पहले से लौटा कर ले जाया गया। वापिस जाकर शहर में दोनों प्रतिनिधिमण्डलों की बातचीत हुई और दोनों ओर के प्रतिनिधिमण्डल ने अपने.अपने लोगों को शान्त रखने का वायदा किया। यह निर्णय हुआ कि शहर के लोग गाँव से शहर आने वालों के साथ मारपीट नहीं करेंगे और कॉलेज-मोड़ पर धरने पर बैठे लोग शहर की ओर कूच नहीं करेंगे। कॉलेज-मोड़ से आए प्रतिनिधिमण्डल के एक सदस्य को वापिस छोडने के लिए उसका एक साथी-भागीदार (जो दूसरी जाति से था) मोटर साइकिल पर बैठा कर ले गया और वहीं खड़ा होकर भाषण सुनने लगा। उसके साथ वहाँ एक व्यक्ति ने मारपीट की जिस का धरनास्थल के कई लोगों ने विरोध किया परन्तु माहौल और खराब होने से पहले वह व्यक्ति वापिस लौट आया। इस पर नामित अपराधी के खिलाफ़ एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई है और पीड़ित व्यक्ति को एक दिन हस्पताल भी रहना पड़ा।

3(iii).3 इसके बाद धरनास्थल पर शहर की ओर कूच करने पर बार-बार विवाद होता रहा। कुछ लोग इसके पक्ष में थे और कुछ विरोध में। परन्तु कुछ समय तक शहर की ओर कूच सफलतापूर्वक रोका गया। इस बीच महिलाएँ माहौल शान्त देखकर गाँव लौट गईं। इसके बाद यह बताया गया कि सुंडाणा की ओर से 5-7

ट्राली भर कर लोग आ गए और बिना रोक-टोक की परवाह किए शहर की ओर बढ़ गए। इस समय 1500 के करीब लोग धरनास्थल पर पहले से बैठे थे। शहर की ओर कूच का विरोध करने वालों ने धरनास्थल पर पहले से बैठे लोगों को रोकने का प्रयास किया, अपने-अपने गाँव के लोगों को समझाने का प्रयास किया पर धीरे-धीरे धरनास्थल पर बैठे लोग या तो शहर की ओर होने वाले कूच में शामिल हो गए या हिंसा की आशंका के चलते या अपने दिए आश्वासन को न निभा पाने के चलते शर्म के मारे अपने गाँव लौट गए।

3(iii).4 गवाहों के अनुसार शहर की ओर कूच करने वाली भीड़ की अगुवाई चेहरा ढाँपे हुए 4-5 आदमियों का एक हथियार बंद समूह कर रहा था जो हवा में लगातार गोली चला रहा था। इनके पास भरपूर बारूद था। गवाहों द्वारा व्यक्त की गई आशंका के अनुसार बाहर से (अन्य प्रदेशों से) अपराधी तत्व बुला रखे थे और इस समूह ने ही हरियाणा में एक जगह से दूसरी जगह जाकर हिंसा की अगुवाई की। 19 तारीख की रात को ही अधिकांश सिपाही थाना छोड़ कर चले गए थे (बाकी जिलों में भी यही हुआ बताया गया। झज्जर में भी 19 तारीख को ही चौकी खाली करा ली गई थी।) जब शहर के लोग 20 तारीख को थाने गए तो केवल थानेदार वर्दी में उपस्थित था और 2-3 सिपाही बिना वर्दी के थे। हिंसा के दिन, 21 तारीख को तो थाना बंद ही था। कई गवाहों ने बताया कि थाने या 100 नम्बर पर फ़ोन करने से भी कोई सहयोग नहीं मिला। एक गवाह के अनुसार एक व्यक्ति को तो फ़ोन पर जातीय द्वेष भरा जवाब भी दिया गया। वापिस 21 तारीख के घटनाक्रम की बात करते हैं। दुकानें तो पहले से बंद थीं और जो लोग उपस्थित थे वे भी भीड़ का उग्र रूप और गोलीबारी के चलते चले गए। भीड़ ने फैक्ट्री, राधा स्वामी आश्रम और दुकानों को लूटा और आग लगा दी। एक गवाह ने बताया कि मेरे घर से दुकान का रास्ता 5-7 मिनट का है पर जब तक मैं पहुँचा तब तक दुकान जल चुकी थी। उनके अनुसार उन्होंने ऐसे दुकान को जलते पहले कभी नहीं देखा, शॉर्ट सर्किट से भी इतनी जल्दी आग नहीं लगती। उनका इशारा किसी विशेष पदार्थ के प्रयोग की ओर था (झज्जर में भी इस तरह की बात सामने आई)। चलते-चलते भीड़ एक ऐसी जगह पहुँची जहाँ बाजार दो हिस्सों में बंट कर संकरा हो जाता है। वहाँ जगदम्बा ज्वैलरी और क्लॉथ हाउस पर तीसरी मंजिल का निर्माण चल रहा था। वहाँ छत पर लोग इकट्ठे थे और उन्होंने छत पर पत्थर और शीशे की बोतलें भी इकट्ठी कर रखी थीं। वहाँ बाहर से आई भीड़ ने एक खम्भे की आड़ से 15-20 गोलियाँ चलाईं। दूसरी ओर छत से पत्थर और शीशे की बोतलें फेंकी गईं। इसके चलते भीड़ वापिस मुड़ कर चली गई। गवाहों का यह मानना था जब संकरी गलियों में विरोध होना शुरू हुआ तब ही भीड़ वापिस लौटी। गवाह ने यह भी कहा कि भीड़ के वापिस लौटने के कुछ देर बाद ही सुरक्षा-बल कलानौर पहुँचे। इस लिए यह संभावना भी हो सकती है कि सुरक्षा-बलों के कलानौर की ओर आने का समाचार मिलने पर भीड़ ने वापसी का रुख़ किया हो। भीड़ ने चुन-चुन कर गैर-जाट दुकानों को निशाना बनाया। क्योंकि कलानौर में ज़्यादा दुकानें पंजाबी समुदाय की हैं इस लिए ज़्यादा दुकानें पंजाबी समुदाय की जलीं। लगभग 300 प्रतिष्ठान लूट और आगजनी के शिकार हुए बताए गए।

3(iii).5 कॉलेज-मोड़ की तरफ से आई भीड़ जब वापिस चली गई तो शहर से भी एक समूह ने जाट समुदाय की दुकानों में आगजनी की। बिडम्बना यह है कि जो जगदंबा ज्वैलरी और क्लॉथ हाउसकॉलेज-मोड़ स्थल से आई भीड़ के हाथों लुटने और जलने से बच गया, उसे दोबारा शहर की भीड़ ने जलाने की कोशिश की क्योंकि उस पर एक जाट समुदाय के व्यक्ति का नाम था। परन्तु वहाँ उस समय 50-60 स्थानीय लोग उपस्थित थे जिन्होंने यह कह कर आगजनी को रोका कि यह तो नौकर का नाम था जो अब छोड़ कर चला गया है और दुकान तो एक गैर-जाट की है। दुकान पर लिखा जाट समुदाय के व्यक्ति का नाम भी तुरन्त मिटा दिया गया।

जाटों की करीब 25 दुकानों में आगजनी होने का दावा किया गया।

3(iii).6 एक महत्वपूर्ण गवाही में बताया गया कि 20 तारीख की रात को गाँवों से उनके परिचितों के यहाँ से फ़ोन आने लगे कि आज रात आप के शहर और आपके प्रतिष्ठान को लूटा-जलाया जाएगा। इसके बाद उनके परिवार ने मुख्यमंत्री के पी.ए. पुराने ओ.एस.डी. श्री जवाहर यादव एवं एक वर्तमान ओ.एस.डी. को कई बार फ़ोन किए। 'सुरक्षा-बल भेजे जा रहे हैं' ये आश्वासन तो दिए गए परन्तु वास्तव में कुछ नहीं हुआ। अन्य लोगों ने भी बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से पहले के दिनों में तो आश्वासन दिए जाते रहे परन्तु फिर हाथ खड़े कर दिए गए कि हम कुछ नहीं कर सकते। उपरोक्त गवाह ने बताया कि इस प्रक्रिया में उन्हें अपने फ़ौजी सम्पर्कों से फ़ौज के रोहतक भेजे गए अधिकारियों के फ़ोन नम्बर मिल गए। जब 21 तारीख को भीड़ ने हमला कर दिया तो इन्होंने फ़ौज के उन अधिकारियों से बार-बार सम्पर्क किया, उन्होंने हैलिकॉप्टर भेजे और फिर 3.30/4 बजे तक सुरक्षा बल पहुँचे परन्तु उस से पहले भीड़ भी लौट गई थी। इस बीच इन को अपने सम्पर्कों से साकेत कुमार आई.ए.एस., जिनको कलानौर का चार्ज दिया गया था, का फोन नम्बर मिल गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे कलानौर पहुँच कर उनसे सम्पर्क करेंगे। 22 तारीख को दोपहर को फिर उनके पास गाँव से उनके परिचितों के फोन आए कि यह चर्चा है कि कल कलानौर में तीन मुख्य ठिकाने तो बच गए, इस लिए आज फिर हमला होगा। जो तीन ठिकाने बच गए बताए गए थे उन में सत जिंदा आश्रम/ठिकाना, बस स्टैंड और उक्त गवाह का प्रतिष्ठान शामिल थे। 22 तारीख को सत जिंदा कॉलेज पर तीसरी बार हमला हुआ (इससे पहले 21 तारीख को शहर की ओर कूच करने से पहले और लौट कर भी कॉलेज में हिंसा हुई थी परन्तु ज़्यादा नुकसान तीसरी बार 22 तारीख को हुआ)। दोबारा शहर पर हमला होने की सूचना उपरोक्त गवाह को मिली तो उन्होंने फिर साकेत कुमार आई.ए.एस. को सूचना दी और उनको बताया कि कॉलेज के पास भीड़ इकट्ठी हो रही है। सूचना मिलते ही वे फोर्स के साथ कॉलेज पहुँचे और भीड़ को तितर-बितर किया। इसके बाद कलानौर में हिंसा थमी। कुछ लोगों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में एस.एच.ओ. पर आन्दोलनकारियों का सहयोग करने का आरोप भी लगाया है परन्तु जन-सुनवाई में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि ज्ञापन बाद में पढ़ा गया एवं ज्ञापन पर कोई सम्पर्क-नम्बर भी नहीं है।

3(iii).7 जहाँ तक पुनर्वास की बात है, यह बताया गया कि कुल 320-324 क्लेम में से 118 लोगों को जनसुनवाई/अब तक कुछ भी नहीं मिला, बाकी लोगों को पुनर्वास की एक किश्त मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार मुआवजे पर सक्रियता से काम हुआ है परन्तु बाद में साधारण दफ़्तरी तरीके से ही काम हो रहा है जिसके चलते छोटी-मोटी कमी ठीक करने की कार्यवाही भी टलती रहती है। जहाँ कई लोग मुआवजा न मिल पाने के कारण अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं वहाँ कई लोगों ने वैसे भी काम-धंधा मंदा हो जाने की बात कही। एशियन पेंट्स के एक डीलर ने गवाही देते हुए बताया कि एशियन पेंटस की चल रही फैक्ट्री के प्लांट में आग लगा दी गई थी, वहीं नए प्लांट, जिस का उद्घाटन 21 फरवरी को होना था, उसे अब कंपनी ने शुरू ही न करने का विचार किया है। कंपनी ने वर्तमान प्लांट में भी उत्पादन कम कर दिया है जिस से दुकानदारों को माल ही नहीं मिल रहा। दुकानदारों के अलावा, कुल मिला कर लगभग 500 दिहाड़ीदारों, का काम छुट गया है। जिनमें रिक्शा चालक जैसे असंगठित क्षेत्र से आजीवका कमाने वाले भी शामिल थे, जैसे कि रिक्शा चालकों के समूह ने बताया।

3(iii).8 यहाँ की गवाही में हथियारबंद, मुँह ढाँपे समूह की अगुवाई को रेखांकित किया गया है। यह भी पता चलता है कि आन्दोलन के दौरान आन्दोलनकारियों के एक हिस्से ने आगजनी और लूटपाट को रोकने की

कोशिश भी की और तथाकथित '35 बिरादरी' की ओर से भी परस्पर पंचायती तौर पर शांति बनाए रखने के प्रयास हुए। परन्तु कुछ लोगों ने इसके ठीक उल्टा व्यवहार भी किया। इन्हें चिह्नित करने के प्रयास में कांग्रेस और भाजपा का नाम आया और आस-पास के कई गाँवों गाँवों का नाम भी आया। आन्दोलन में शामिल एक गवाह के अनुसार रोहतक में 'जाट वकीलों द्वारा आरक्षण के समर्थन' में किए जा रहे धरने पर तथाकथित '35 बिरादरी' जुलूस की झड़प और हॉस्टल में जाट छात्रों की पिटाई से आन्दोलन उग्र हुआ (यह बात कई और जगह भी सुनने को मिली)। परन्तु ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ प्रत्यक्ष हिंसा रोहतक की उपरोक्त घटनाओं के 3 दिन बाद हुई। एक गवाह के अनुसार 'अगर शीघ्र और सही मुआवजा मिल जाए तो जख्म तो भर जाएँगे परन्तु आपस में अविश्वास की खाई भरनी मुश्किल है'।

3(iv) झज्जर की जन-सुनवाई की रपट

3(iv).1 जन-सुनवाई की तारीख 4 अप्रैल 2016, दिन भर झज्जर जिले में 6 जगह जन-सुनवाई/बातचीत हुई। व्यवस्था न होने के कारण डीघल गाँव में प्रस्तावित जन-सुनवाई के स्थान पर इस आन्दोलन के दौरान मारे गए एक परिवार के यहाँ बातचीत हुई। इसके बाद खेड़ी खुम्मार में घायल व्यक्ति (बैंक गार्ड) के घर आयोग पहुँचा। झज्जर शहर में छावनी मौहल्ले, मुख्य बाजार स्थित अंबेडकर भवन, छोटू राम धर्मशाला एवं एक अन्य घायल (छोटू राम धर्मशाला के प्रधान) के घर पर सुनवाई हुई। कुल 18 लोगों ने आयोग के सामने अपनी बात रखी। इनमें जाट, सैनी, दलित, पंजाबी, कुम्हार, यादव इत्यादि कई समुदाय के व्यक्ति शामिल थे। इसके आधार पर नीचे दिया गया घटनाक्रम उभरता है।

3(iv).2 14 फरवरी से सांपला-कार्यक्रम के लिए झज्जर में तैयारियाँ पहले से हो रही थीं एवं वहाँ रोड जाम शुरू होने के बाद झज्जर के आस-पास भी जाट आरक्षण आन्दोलन शुरू हो गया और रास्तों को अवरुद्ध कर दिया गया। 15 तारीख तक झज्जर, गुड़गाँव से सड़क-सम्पर्क को छोड़ कर, सब ओर से कट चुका था। स्थानीय रास्ते भी बंद थे। गुड़गाँव से कुछ समय तक सम्पर्क बना रहा परन्तु 19 तारीख को यह रोड भी जाम कर दिया गया। आस-पास के कस्बों– जैसे बेरी, दुजाना इत्यादि– में हिंसात्मक घटनाएँ शुरू हो गई थीं। 19 तारीख को ही तलाव गाँव के पास रास्ता रोकने के दौरान ही एक व्यक्ति की चोट लगने से मृत्यु हो गई थी (इस बारे में एफ.आई.आर. भी दर्ज हो चुकी है)। 19 तारीख को ही डीघल के पास स्थित टोल प्लाजा एवं डीघल रेलवे स्टेशन को आग लगा दी गई। डीघल में दो अंबुलेंस को भी आग लगाए जाने के समाचार हैं।[30] इसके अलावा डीघल एवं दुजाना चौकी को भी आग लगा दी गई। दुजाना चौकी से डी.एस.पी. के नेतृत्व में सुरक्षा-बलों ने आन्दोलनकारियों को खदेड़ कर पुलिस चौकी के स्टाफ़ को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद झज्जर से बाहर स्थित पुलिस चौकियों एवं नाकों से पुलिस को हटा कर झज्जर बुला लिया गया। कई गवाहों ने ऐसा कहा। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार इस आशय के दस्तावेजी सबूत भी उपलब्ध हैं।[31] टायरों से भरे एक ट्रक एवं नकारा बसों को छोड़ कर बस अड्डे पर खड़े सभी वाहनों को भी पुलिस लाइन में खड़ा कर दिया गया।

3(iv).3 20 फरवरी को सुरक्षा-बलों ने फ़्लैग-मार्च करके कर्फ़्यू की घोषणा की जिसके चलते तब तक खुले बाजार भी बंद हो गए। परन्तु उसके कुछ देर बाद ही, 50-60 लोगों ने हथियार समेत पूरे शहर में जुलूस

30. 'अमर उजाला', दिनांक फरवरी 20, 2016 झज्जर परिशिष्ट पृष्ठ 1, एवं दैनिक जागरण, फरवरी 20, 2016 रोहतक पृष्ठ 16
31. वायर लैस रिकार्ड में 19 तारीख को इस आशय का संदेश दर्ज है।

निकाला और उग्र प्रदर्शन किया। 100 से अधिक पुलिसकर्मी, एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट समेत, उनके साथ-साथ चलते रहे। कर्फ़्यू की घोषणा के बावजूद पुलिस की उपस्थिति में इस उग्रता के प्रदर्शन से जाट आरक्षण आन्दोलनकारियों के हौसले बढ़ गए एवं उन्होंने दोपहर 12 बजे के लगभग पुलिस की उपस्थिति में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी को आग लगा दी। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद यह भीड़ शहर के अनेक सार्वजनिक कार्यालयों को आग के हवालेकर देती है, वहाँ खड़े वाहनों को आग लगा देती है। झज्जर के छिक्कारा चौक पर एक शराब के ठेके को लूट लिया गया। इसके बाद जहाँआरा स्टेडियम के पास फ़ौज से झड़प हुई। (20 तारीख के यहाँ तक के घटनाक्रम के बारे में छोटू राम धर्मशाला में हुई सुनवाई में भी पुष्टि हुई हालांकि यहाँ पर इसके बाद हुई पुलिस कार्यवाही को जरूरत से ज़्यादा सख्त बताया गया।) एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह के अनुसार पहले आँसू गैस छोड़ी गई, फिर हवा में गोली चलाई गई, फिर धरती पर मारी गई, और उसके बाद ही भीड़ पर गोली चलाई गई। यहाँ दो लोगों की जान चली गई। भीड़ कुछ कम हो गई थी और कुछ पीछे हट गई थी परन्तु इसके बाद सुरक्षा-बल पुलिस लाइन चले गए, और उपद्रवी वापिस जाती फ़ौज के पीछे भी भागे। इसके बाद शहर उपद्रवियों के हाथ में चला गया और खूब लूटपाट और आगजनी हुई। इससे पहले केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ था, दुकानों का नुकसान सुरक्षा-बलों के साथ हुई मुठभेड़ और उनके वापिस लौट जाने के बाद ही हुआ बताया गया है। आगजनी के बारे में बताया गया कि कोई विशेष पदार्थ प्रयोग किया गया क्योंकि गवाहों के अनुभव में आग धीरे-धीरे लगती थी परन्तु फिर तेजी पकड़ती थी जिसे बुझाना मुश्किल हो जाता था। ऐसी आग उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी।

3(iv).4 इसी कड़ी में शाम 5.30 बजे के लगभग बस अड्डे के समीप स्थित स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला की शाखा के बाहर आगजनी होती है।[32] ए.टी.एम. को तोड़ा जाता है और वाहनों को आग लगाई जाती है। बैंक बंद है और अंदर केवल एक सुरक्षा गार्ड है (जो भूतपूर्व सैनिक है जिसे पेस मेकर लगा हुआ है)। उसने बताया कि जब भीड़ ने बैंक के अंदरूनी गेट को खोलने का प्रयास किया तो उसने गोली चलाई थी। इसके बाद भीड़ बैंक में आग लगा देती है, छत को तोड़ कर उसके अंदर से बैंक के अंदर ज्वलनशील पदार्थ डाल देती है। मिर्ची पाउडर भी डाले जाने का दावा किया गया। बैंक धुँए से भर जाता है। बैंक मैनेजर को पता चलता है तो वह सुरक्षा अधिकारियों से सम्पर्क करते हैं। बैंक के उच्च अधिकारी भी सरकार के उच्च स्तर पर सम्पर्क करते हैं। सुरक्षा-बल पहुँचाने का वायदा किया जाता है पर कोई पहुँचता नहीं है। गार्ड पास के गाँव से है और यादव समुदाय से है। उसके परिवार वालों, गाँव वालों को पता चलता है पर उग्र भीड़ के घेरे को देख कर वे बेबस हैं। गार्ड के गाँव के लोग समय-समय पर किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से मौके से जानकारी जुटाते रहते हैं। उन्हें देर रात भीड़ कम होने की जानकारी मिलती है। इसके बाद पहले से ट्रैक्टर ट्राली में तैयार बैठे गार्ड के परिवार, गाँव और समुदाय के लोग ट्रालियों में जाकर 21 तारीख अल सुबह 0.50 मिनट पर गार्ड को बाहर निकाल पाने में सफल होते हैं। बाहर निकलते ही गार्ड बेहोश हो जाता है। लगभग 7 घंटे तक धुँए भरे वातावरण में रहने के चलते उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं। उसे 4 दिन आई.सी.यू. में रखना पड़ता है और इसके बाद 9 दिन और हस्पताल में भर्ती रहने के बाद अब वह घर में स्वास्थ्य-लाभ कर रहा है। आयोग जब गार्ड से घटना के 44 दिन बाद मिला तो भी वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। मानसिक रूप से भी वह पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। वह खतरनाक मंजर उसे अब भी परेशान कर रहा है। गार्ड के अनुसार उस ने केवल हवा में गोली चलाई थी

32. एक अन्य बैंक की ब्रांच भी आगजनी का शिकार हुई है।

परन्तु अखबारों में अपुष्ट समाचारों के अनुसार 1-3 लोग गार्ड की गोली से मरे। मगर गवाहों ने कहा कि वहां गोली लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। इसके चलते अब भी बैंक गार्ड की जान को खतरा है और 2-2 पुलिस वाले लगातार उसकी सुरक्षा में नियुक्त किये गए बैंक गार्ड को अपने बैंक से पूरा सहयोग मिला है। अभी तक कोई मुआवजा या सम्मान तो नहीं मिला परन्तु इलाज का खर्चा बैंक ने वहन किया है और बैंक अधिकारियों ने उस से सम्पर्क बनाए रखा है। विडम्बना यह है कि आस-पास के क्षेत्र से बैंक-गार्ड की जाति के मंत्री/नेताओं ने तो उससे भेंट की है परन्तु इस इलाके के मंत्री (जो जाट समुदाय से हैं) या नेताओं से न कोई सहयोग मिला है और न ही किसी ने भेंट की है। बैंक गार्ड के परिवार का यह कहना था कि 'सरकार नहीं आई है'।

3(iv).5 इस दौरान बस अड्डे पर आगजनी के बाद चंद युवकों ने वहाँ खड़े टायरों से लदे ट्रक को बेहद पेशेवर अंदाज में बस अड्डे से निकाल कर उतने ही पेशेवर अंदाज में थाने के संकरे गेट में घुसा कर आग लगा दी और साथी की मोटर साइकिल पर वहाँ से लौट आए। हालांकि सिरसा रोडवेज डिप्पो के इस ट्रक को बस अड्डे में छोड़े जाने के पीछे, जब कि चालू हालत की सब बस वहाँ से हटा कर पुलिस लाइन में पहले ही खड़ी कर दी गई थीं, यह कारण बताया गया कि ट्रक की चाबी नहीं थी और उसके बिना ट्रक चालू नहीं हो पाया, उपद्रवियों ने कैसे उस ट्रक को चालू कर लियाए यह समझ से परे है।

3(iv).6 स्थानीय विधायक जो दलित समुदाय से और कांग्रेस पार्टी से हैं, के घर को भी आग लगा दी गई और थाने की तरह इसे भी चंद मोटर साइकिल सवार लोगों ने अंजाम दिया न कि भारी भीड़ ने। इस तरह 20 तारीख देर रात तक लूट और आगजनी की घटनाएँ होती रहीं जिसमें ज़्यादातर गैर-जाट समुदाय के प्रतिष्ठान निशाने पर रहे। गवाहों ने बताया कि 20 तारीख की रात को झज्जर में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास गाँवों से हमदर्दों के फ़ोन आते रहे कि रात को सैनी/पंजाबी रिहायशी इलाकों में हमला होगा। दिन भर की हिंसा के बाद शहर के सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे और मिल-जुल कर पहरा दिया। रात को कुछ विशेष नुकसान नहीं हुआ परन्तु 3 प्रमुख व्यक्तियों की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई। इनमें से शहीद छिकारा सहित जाट समुदाय से सम्बन्धित दो स्थानीय महानुभावों की थीं एवं तीसरी राव तुलाराम की थी। कई लोगों ने बताया कि यह काम रात के अंधेरे में चंद लोगों ने किया न कि भीड़ ने। 21 तारीख सुबह लोग सड़कों पर निकले और तबाही का मंजर देख कर जगह-जगह इकट्ठे होकर इस बारे में बातचीत कर रहे थे। मुख्य बिन्दु यही था कि प्रशासन के भरोसे नहीं बैठा जा सकता और खुद ही मिल कर सुरक्षा के उपाय करने होंगे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उस समय तक जाटों से बदला लेने की कोई चर्चा नहीं थी।

3(iv).7 परन्तु इसके कुछ समय बाद ही छोटू राम धर्मशाला, जिसे बोलचाल में जाट धर्मशाला भी कहा जाता है, पर शहर की बड़ी भीड़ ने हमला कर दिया। वहाँ उपस्थित लोगों के साथ मार-पिटाई की गई। आगजनी और तोड़फोड़ की गई। चौ. छोटू राम की प्रतिमा का सर धड़ से अलग कर दिया गया, जो आज भी उसी स्थिति में है। धर्मशाला के प्रधान ने बताया कि छोटू राम धर्मशाला में रखी गई पिछले दिन मारे गए लोगों की लाशों (जिन में दो जाट समुदाय के युवकों की थीं एवं एक शहर के ब्राहमण समुदाय के युवा की थी, जिसकी मृत्यु बैंक के एटीएम के सामने हुई बताई गई थी) के साथ भी बदसलूकी की गई व जाट समुदाय के दो मृतकों के जो वारिस वहां मौजूद थे जब वे उस बदसलूकी को रोकने लगे तो उन्हें भी मारा गया। धर्मशाला के प्रधान की टांग तोड़ दी गई थी। वे अब भी बिस्तर पर हैं। इसके बाद कुछ लोगों के समझाने से भीड़ वहाँ से लौट आई। इन समझाने वालों में शहर के प्रतिष्ठित जाट व्यवसायी भी शामिल थे। इस घटना के बाद प्रशासन और सुरक्षाबल हरकत में आते हैं। गैर-जाट समुदाय की भीड़ ने जाट समुदाय के अन्य प्रतिष्ठानों, आवासीय क्षेत्रों

(दिल्ली पाना) पर भी हमला किया बताया गया परन्तु वहाँ 20 के करीब जाट समुदाय के लोगों ने उनको खदेड़ दिया। इसके बाद गाँवों में अफ़वाहों का बाजार गरम हो गया और जाटों के प्रतिष्ठानों पर हमले की ख़बरों एवं अफ़वाहों के बाद गाँवों से हजारों की संख्या में भीड़ झज्जर की ओर चल पड़ी।

3(iv).8 गाँवों से आई इस भीड़ ने चौधरी छोटू राम धर्मशाला से वापिस गाँवों की और लौटते हुए झज्जर के छावनी मौहल्ले में, जो कि सैनी-बहुल मोहल्ला है, घरों में घुस कर लूटपाट, मारपीट और आगजनी की। एक गवाह ने बताया कि भीड़ का एक ग्रुप सीधा निकल गया था मगर शेष भीड़ ने यह हमला किया। ऐसे हमले के अंदेशे के चलते छावनी मोहल्ले में प्रवेश द्वार पर ट्रैक्टर इत्यादि अड़ा कर उसे बंद कर रखा था परन्तु इन को जला कर उपद्रवी अंदर घुस आए। पास के एक जाट समुदाय से एक वरिष्ठ वकील एवं उनके बेटे ने उपद्रवियों को समझाने, रोकने का प्रयास भी किया परन्तु उपद्रवियों को एक सीमा के बाद रोका न जा सका। जाट समुदाय की दुकानों को छोड़ कर बाकी दुकानों में आगजनी की गई। बड़े पैमाने पर गोली-बारी भी हुई। यहाँ दो लोगों की मौत हो गई। उनकी विधवाओं ने बताया की वे तो अपनी जवान बेटियों को लेकर घरों के अंदर/पिछले मौहल्ले में शरण लिए हुए थीं यानी महिलाएँ विशेष तौर पर असुरक्षित महसूस कर रही थीं। उपद्रव एक घंटे तक चला और पुलिस के सायरन की आवाज सुन कर ही उपद्रवी भागे। हालांकि उस समय सुरक्षाबल पास से कहीं और जा रहे थे न कि छावनी मौहल्ले में आ रहे थे। उपद्रवियों के जाने के लगभग आधे घंटे के बाद फ़ौज पहुँची। कुछ गवाहों ने बताया कि जब फ़ौज के अधिकारियों को पता लगा कि यह छावनी मौहल्ला है तो उन्होंने कहा कि हमें तो पुलिस ने छावनी मौहल्ले का कोई और पता बताया था और हम वहाँ भटकते रहे। इसलिए हम यहाँ देर से पहुँचे। छावनी मौहल्ले में उपायुक्त, जो यादव समुदाय से है और पास के भाजपा विधायक की बहन हैं, को छोड़ कर बाकी प्रशासन के प्रति गहरा रोष था। जाट समुदाय में स्थिति ठीक इसके उल्टी थी। वहाँ उपायुक्त के प्रति जातीय विद्वेष के आरोप लगे। एक गवाह ने बताया कि एक एस.एच.ओ. स्तर के अधिकारी ने प्रकाश सिंह कमीशन को बताया कि छोटू राम धर्मशाला में आगजनी के बाद, अंदर से आती आवाजों को नजरअंदाज करके, पुलिस अधीक्षक ने वहाँ से चलने के आदेश दिये परन्तु एस.एच.ओ. ने आई.जी. से आदेश लेकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला।

3(iv).9 अखबारों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार उपायुक्त एवं पुलिस प्रशासन के बीच तालमेल की कमी थी। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उपायुक्त ने प्रकाश सिंह आयोग के सम्मुख भी इस बाबत शिकायत की है। प्रकाशित समाचारों के अनुसार पुलिस प्रशासन से सहयोग न मिलने के बाद सीधे केन्द्र से अनुमति प्राप्त करके उपायुक्त ने फ़ौज को स्वयं निर्देशित किया।

3(iv).10 छोटू राम धर्मशाला पर हमले एवं छावनी मौहल्ले में हिंसा के बाद पुलिस-प्रशासन सक्रिय हो गया और गाँवों से शहर आने वाली भीड़ को शहर में न घुसने देने के प्रयास किए गए जिसके लिए फ़ौज को गोली भी चलानी पड़ी। झज्जर में सब से ज़्यादा, 15 मौत हुई हैं। इनमें से 2 सैनी, 1 ब्राह्मण, 1 खाती, 1 कुम्हार, 9 जाट समुदाय से एवं 1 किसी अन्य प्रदेश का है। इनमें से संभवत: एक रोड जाम के दौरान मारा गया, 2 छावनी मौहल्ले में उपद्रवियों द्वारा मारे गए, 1 बैंक गार्ड की गोली से और 11 की मृत्यु फ़ौज/सुरक्षा बलों की गोली से हुई। इनमें डीघल गाँव से खाती जाति का नौजवान शामिल है। यह लड़का स्थानीय टोल प्लाजा पर चाय-पानी पिलाने का काम करता था। 21 तारीख को यह घर से निकला था (टोल प्लाजा पर पहले ही आगजनी हो चुकी थी और यह बंद था) और परिवार को यह नहीं पता कि यह कैसे और कब झज्जर पहुँचा। परिवार ने यह बताया कि उन्हें तो तीसरे दिन इसकी मृत्यु की सूचना मिली। फ़ौज द्वारा पकड़े और पुलिस को

सौंपे गए 44 लोगों में से केवल 26 को गिरफ़्तार किया गया। जन सुनवाई के समय तक कुल 41 लोगों को गिरफ़्तार किया गया बताया गया है।

3(iv).11 कुछ गाँवों, जैसे ढाणी सैनियान, में भी हमले हुए हैं। 21 तारीख को तो शहर में घर बना कर रहने वाले कई जाट समुदाय के लोग अपने गाँव लौट गए और कई दिन बाद लौटे। यह भी बताया गया कि गाँवों से आई भीड़ ने मुख्यत: पंजाबी और सैनी समुदाय को चिह्नित किया, अन्य गैर-जाट दुकानदार तो वैसे लपेट में आ गए। ऐसे कुल 4-5 दुकानदार हैं। उपद्रवियों में किसी विशेष पार्टी के लोग शामिल नहीं थे। एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह ने बताया कि 20 तारीख को 2 बजे तक उपद्रवी थोड़े ही थे, उसके बाद भीड़ बढ़ी जिस में शहर के जाट भी शामिल थे। ऐसे लोगों का नाम बताने में झिझक रहे इस गवाह ने बताया कि इस भीड़ में जाट समुदाय की महिलाएँ भी शामिल थीं। बड़े खेद के साथ उन्होंने बताया कि बचपन में जिस जाट महिला का मैंने दूध तक पिया था वो भी इस जातिगत हिंसा में शामिल थी।[33] इस गवाह ने अपनी दुकान की सी.सी.टी.वी. रिकार्डिंग भी आयोग को सौंपी है जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे।

3(iv).12 बस अड्डे के समीप स्थित एक गारमेंट्स के शो-रूम का मालिक आयोग के सामने पेश होते हुए फूट-फूट कर रो पड़ा। उस ने बताया कि उसका 2 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। पहले उनके यहाँ 14 लोग काम करते थे और आज वह स्वयं किसी और के यहाँ नौकरी करने पर मजबूर हैं क्योंकि उन्हें अभी तक कुछ भी मुआवजा नहीं मिला है। कई ओर लोगों ने भी नाम-मात्र का मुआवजा मिलने या न मिलने की बात कही। घायलों को भी मुआवजा/हर्जाना नहीं मिला है। जिन दो मृतकों के परिवार से आयोग मिल पाया, एक खाती और एक कुम्हार परिवार से, उन्होंने ने बताया कि अभी तक उन्हें कहीं से भी सरकारी या गैर सरकारी, किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है। जब छोटू राम धर्मशाला में यह मुद्दा उठाया गया तो उन्होंने ने बताया कि अभी चंदा इकट्ठा हो रहा है पर अभी तक किसी को नहीं दिया गया। और अभी यह तय होना बाकी है कि यह केवल जाट मृतकों के अभिभावकों को मिलेगा या सभी मृतकों के वारिसों लोगों को बांटा जाएगा।

3(iv).13 19 तारीख के बाद जिले से पुलिस के हट कर पुलिस लाइन तक सीमित होने और 20 तारीख को जहाँ आरा स्टेडियम पर सुरक्षाबलों से मुठभेड़ तक के घटना क्रम के बारे में जाट और गैर-जाट समुदाय के गवाहों के बयानों में ज़्यादा अंतर नहीं है (जाम लचीला था या कठोर, इसके बारे में मतभेद जरूर थे) परन्तु इसके बाद के घटनाक्रम के बारे में परस्पर विरोधी रुख़ था। गैर-जाट समुदाय के लोग जहाँ जाट समुदाय को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे वहीं जाट समुदाय इससे पूरी तरह पल्ला झाड़ कर अपने आप को निर्दोष ठहरा रहा था। जब आयोग के एक सदस्य ने छोटू राम धर्मशाला में यह पूछा कि 'अगर राज कुमार सैनी या 35 बिरादरी के लोगों ने जाटों को बदनाम करने के लिए यह सब किया है, न कि जाटों ने, तो यह हिंसा उन इलाकों में क्यों नहीं हुई जिन में जाट समुदाय अल्पसंख्यक हैं, और केवल उन इलाकों में ही क्यों हुई जहाँ जाट समुदाय मजबूत है', तो इस का कोई जवाब नहीं आया।

3(iv).14 आयोग को सौंपी गई 20 फरवरी दोपहर बाद की एक सी.सी.टी.वी. रिकार्डिंग[34] से पता चलता है कि इस समय सड़कें खाली थीं, इक्का-दुक्का लोग गलियों से आ जा रहे थे। दो बजे के आसपास गलियों से आती 1-2 मोटर साइकिल रुक जाती हैं और फिर कुछ देर बाद साइड की गली से मुड़ कर निकल जाती हैं।

---

33. झज्जर में महिलाओं द्वारा पुलिस से लाठियों से लड़ाई का वीडियो भी आयोग को मिला है। वीडियो सबूत 8
34. वीडियो सबूत 13

इससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें सामने मुख्य सड़क पर उग्र भीड़ दिखाई दे रही है। मोटर साइकिलों के मुड़ कर निकल जाने के तुरन्त बाद, दोपहर 2.05 बजे के लगभग चंद युवा लाठियों से दुकान के बाहर रखे स्टील के काऊंटर को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती है। थक कर छोड़ देते हैं, फिर दूसरे लोग आकर यही काम करते हैं, अंत में इसे गिरा देते हैं। इसके बाद सी.सी.टी.वी. की रिकार्डिंग बंद हो जाती है। इन युवाओं ने अपने चेहरे को छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया और ये 20 से कम उम्र के नादान बच्चे भी नहीं लगते। इसी सी.डी. में दुकान के अंदर की विडियो रिकार्डिंग भी है। यह शाम 5 बजे के आस-पास की है। इस में 4.45 बजे के करीब एक युवा आता है, आराम से चॉकलेट इत्यादि उठाता है और जाते हुए काउंटर पर रखे सामान को गिरा जाता है। इसके बाद अगले 30-45 मिनट तक कभी एक, कभी दो, कभी कई युवा आते हैं, किसी-किसी ने मुँह ढाँप रखा होता है परन्तु ज़्यादातर खुले मुँह दुकान में आते हैं और फ़ुर्सत से सामान उठा कर ले जाते हैं। बाकी दुकान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। चॉकलेट, मिठाई, इत्यादि बोरियों/कट्टों में भर कर ले जाते हैं। शाम पाँच बजे के बाद बाहर सड़क पर से भीड़ एक ओर जाती दिखाई देती है। इसके बाद फ़ुटेज खत्म हो जाती है। इससे प्रतीत होता है कि 2 बजे के लगभग दुकान के बाहर तोड़फोड़ करने वाली भीड़ तो जाट आरक्षण आन्दोलनकारी भीड़ है (दुकान सैनी स्वीट्स है), उनके चेहरों पर गुस्सा और तनाव है और फिर सी.सी.टी.वी. कैमरे को तोड़ दिया जाता है या उसका मुख मोड़ दिया जाता है। परन्तु इसके दो घंटे बाद दुकान में घुसे नौजवान जाट समुदाय से भी हो सकते हैं और केवल लूट के उद्देश्य से आए किसी भी समुदाय के भी हो सकते हैं। ये लोग एक-एक करके आते-जाते रहते हैं, फ़ुर्सत से सामान उठाते हैं और बिना किसी तोड़फोड़ के चले जाते हैं। केवल 1-2 लोगों के हाथ में लाठी हैं बाकी खाली हाथ हैं। इस सवाल पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि क्या इन दो तरह के लूटपाट करने वालों में, एक जो दुकान को चिह्नित करके तोड़फोड़ की शुरुआत करते हैं, आगजनी करते हैं और अन्य जो टूटी हुई दुकान से सामान उठा कर ले जाते हैं, के बीच कोई अंतर करना चाहिए या नहीं।

3(v) हांसी की जन-सुनवाई की रपट

3(v).1 जन-सुनवाई की तारीख 5 अप्रैल 2016, तीन जगह - ढाणी पाल, जग्गा बाड़ा एवं शहर में मानवती आर्य विद्यालय में - जन-सुनवाई हुई। कुल 31 लोगों की गवाही हुई। इसके आधार पर यह घटना क्रम उभरता है।

3(v).2 हांसी के पास मैय्यड़ में जाट आरक्षण के लिए धरना और रेल व रोड जाम था परन्तु ग्रामीण रास्ते आम तौर पर खुले थे। एक गवाह के अनुसार 19 फरवरी की रात को सिसाय, जो कि एक जाट बहुल (एवं बहुत बड़ा) गाँव है, से हांसी को जाने वाले आन्दोलनकारियों के मार्ग को सैनीपुरा के पास पेड़ काट कर रोक दिया गया था। इसके चलते 20 फरवरी को मैय्यड़ जाने के लिए सिसाय की दिशा से 6 वाहन जग्गा बाड़ा (जो कि एक गुज्जर बहुल छोटा सा गाँव है) के रास्ते से घूम कर जा रहे थे। यह सुबह 11 बजे के आसपास की घटना है। जग्गा बाड़ा के गवाह के अनुसार गाड़ियों में सवार युवा हो-हल्ला मचाते हुए जा रहे थे और वहाँ भेड़ चराते हुए एक बुजुर्ग ने उन्हें ऐसा करने से रोका क्योंकि वहाँ औरतें कपड़े धो रही थीं और उन्होंने उन की उपस्थिति में ऐसा करना अशोभनीय माना। कुछ वाहनों में उपस्थित लोगों ने यह बात मान ली परन्तु अंतिम गाड़ी वालों के साथ कहा सुनी हो गई और उन्होंने आगे निकले वाहनों में फ़ोन करके उन्हें भी वापिस बुला लिया और चरवाहे के साथ मारपीट होने लगी जिस की सूचना जग्गा बाड़ा गाँव वालों को मिली/खेतों में उपस्थित किसानों

ने देखा और वे घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। वहाँ झगड़ा हुआ और सिसाय या सिसाय दिशा से आए वाहन वापिस चले गए परन्तु एक गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया जिसे जग्गा बाड़ा के कुछ युवकों ने जलाना भी चाहा परन्तु बाकी लोगों के समझाने से जलाया नहीं गया। इस घटना के बारे में इन वाहनों में बैठे लोगों से बात नहीं हो पाई। सिसाय और उस दिशा के जाट-बहुल गाँवों में अफ़वाहों का बाजार गरम हो गया। वहाँ पडोसी गाँवए मसूदपुर, में खेल प्रतियोगिता हो रही थी, जिस में कई गाँवों से लोग आए हुए थे। वहाँ जाटों के साथ मारपीट की घोषणा की गई। इन गाँवों से जग्गा बाड़ा के सरपंच (सरपंच-प्रतिनिधि भी हो सकता है क्योंकि महिला के सरपंच होने पर उसके परिवार के पुरुष को सरपंच कहना आम बात है) के पास इन गाँवों से जानकारी लेने के लिए फ़ोन आने लगे। सरपंच ने प्रशासन से सम्पर्क किया और हिंसा की आशंका जताई। प्रशासन मौके पर पहुँच गया और जग्गा बाड़ा के लोगों को शांति बनाए रखने को कहा और घरों में जाने को कहा। यह आश्वासन दिया गया कि आने वालों को वे नियंत्रित कर लेंगे। परन्तु मसूदपुर से आई भीड़ अनियंत्रित होकर जग्गा बाड़ा में घुस आई और तोड़फोड़ एवं आगजनी की। यह घटना 1 बजे के आस पास की है। लगभग 50-51 घरों और दुकानों में तोड़फोड़ हुई। एक महिला से कान की बाली भी छीनी गई। सड़क के पास स्थित घरों में घुस कर भी तोड़फोड़ हुई। राशन की दुकान पर आस-पास के गाँवों से राशन लेने आए लोगों के वाहन भी जला दिये गए। आगजनी और लूटपाट में गुज्जर समुदाय के साथ-साथ दलितों के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। एक व्यक्ति, श्री राम निवास सैनी, जो श्री अतर सिंह सैनी, भूतपूर्व मंत्री के परिवार से हैं और खेत में काम कर रहे थे, को गोली भी लगी। जग्गा बाडा में जनसुनवाई के दौरान जब एक युवा ने गवाही देते हुए जैसे ही कहा कि वह रास्ते में खड़ा था, उसने गाड़ियों को हांसी की तरफ जाते हुए व फिर तुरंत ही मुड़ कर आते हुए देखा था। उसी समय झगड़े की सूचना मिलने पर गाँव के कुछ लोग उधर भागे, वह भी साथ था। मौके से गाड़ियों वालों को भागना पड़ा मगर उनकी गाडी में जग्गा बाड़ा के लोगों ने तोड़ फोड़ की। तभी उक्त सरपंच ने उसे रोक दिया। उसके बाद वह युवा जनसुनवाई के स्थल से चला गया। इसी तरह एक गवाह ने बताया कि झगड़े वाली जगह के नजदीक मंदिर के पुजारी ने गाँव के लोगों को फोन कर बुलाया था। हांसी में एक अन्य गवाह ने कहा था कि सिसाय/मसूदपुर की तरफसे जो गाड़ियाँ आई थी, उनमें सवार लोग जाट आरक्षण के समर्थन में नारे लगा रहे थे। जिसके चलते जग्गा बाडा के कुछ लोगों ने सड़क पर उनसे झगड़ा किया।

3(v).3 इसके बाद 20 तारीख, यानी जग्गा बाड़ा वाली घटना के दिन दोपहर बाद को ही, विभिन्न समुदायों, जाट एवं गैर-जाट समुदाय, के लोगों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ़ हिंसा होनी शुरू हो गई। हांसी में (सिसाय की दिशा में) जाट समुदाय, विशेष तौर पर सिसाय गाँव से सम्बन्धित जाट समुदाय के प्रतिष्ठानों पर हमले हुए। जाट धर्मशाला पर पत्थरबाजी हुई। हिंसाग्रस्त हुए कुछ अन्य जाट समुदाय के प्रतिष्ठान हैं शहनाई पैलस (इस बाबत दर्ज एफ.आई.आर. में एक ब्राह्मण एवं एक खटीक जाति के व्यक्ति को नामजद किया बताया जाता है, इस प्रतिष्ठान के मालिक का भतीजा हांसी पुलिस में है परन्तु सूचना मिलने के बावजूद समय पर पुलिस प्रशासन नहीं पहुँचा), डी.वी.एन. स्कूल एवं हिन्दू स्कूल (प्रधानाचार्य ने बताया की भीड़ के ही कुछ लोगों ने उनकी और उनके परिवार की जान बचाई, यहाँ 21 और 22 को भी भीड़ का हमला और आगजनी हुई)। यह घटनाक्रम 4 बजे के करीब शुरू हो गया था। शहनाई पैलेस में लगी आग को भीड़ के जाने के बाद पड़ोस के गुज्जर समुदाय के लोगों ने बुझाया। इन स्थानों पर वारदात होने के बाद प्रशासन पहुँचा। शहनाई पैलेस के मालिक (जो सिसाय गाँव के ही रहने वाले हैं) के मालिक ने बताया कि उसने गाँव के लोगों को अपने पैलेस पर हुए हमले की जानकारी दी थी। इस बीच शहर के दूसरे कोने में करीब 5 बजे से हांसी में मैयड़ के पास धरने

पर बैठे आन्दोलनकारियों की तरफ़ से ग़ैर-जाटों के प्रतिष्ठानों पर हमले शुरू हो गए। इनमें सैनी मोटर्ज से जुड़े 2-3 प्रतिष्ठान शामिल थे। इन्होंने बताया कि 100 नम्बर पर फ़ोन उठाया ही नहीं गया परन्तु जब इन्होंने गोली चलाई तो उपद्रवी भाग गए। वैसे इस दिन उन की संख्या भी 21 फरवरी की अपेक्षा काफ़ी कम थी। इसके अलावा देर शाम सैनीपुरा में, जो सिसाय हांसी रोड़ पर पड़ता है, कापड़ों गाँव के जाट समुदाय की एक गाड़ी को जलाने की सूचना मिली है। इस बीच प्रशासन की ओर से आस-पास के गाँवों मे फ़ोन से सम्पर्क करके शांति बनाए रखने की अपील भी की गई।

3(v).4 हिंसा का घटनाक्रम अगले दिन 21 तारीख को भी शहर के दोनों कोनों पर जारी रहा। 2-2.0 बजे के करीब हिसार रोड पर भाईजी होटल से आगे पीर की मजार तक सुरक्षा बलों ने फ़्लैग-मार्च किया और वहाँ से लौट आए। उनके लौटते ही पीछे-पीछे मैय्यड दिशा से भीड़ ने दुकानों पर हमला कर दिया। यह बताया गया कि जब भाई जी प्रतिष्ठान में आगजनी और लूटपाट चल रही थी तो सुरक्षा-बल लगभग 100 मीटर दूरी पर खड़े देख रहे थे। जैसे जैसे उपद्रवी लूट का सामान लेकर जाते रहे और भीड़ की संख्या कम हो गई तब सुरक्षा-बलों ने कार्यवाही करके बाकी भीड़ को तितर-बितर किया। यहीं पर स्थित सैनी मोटर्स पर भी दोबारा हमला किया गया (इन प्रतिष्ठानों पर 20 तारीख को शाम को भी हमला किया गया था)। इनका एक प्रतिष्ठान किराए के भवन में है जिसका मालिक जाट समुदाय से है। यह पता चलने पर तेल छिड़कने के बावजूद आग नहीं लगाई गई। (इस प्रतिष्ठान के मालिक इनेलो पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं और इन्होंने फ़ोटो-विडियो की सहायता से आस-पास के 30 लोगों को चिह्नित भी किया है जिस में से 8-9 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है)।

3(v).5 सिसाय के वर्तमान एवं भूतपूर्व सरपंच, (दोनों जाट) हैं, ने बताया कि हमारे गाँव में, हम ने एवं अन्य मौजिज लोगों ने युवाओं को शांत बनाए रखने के, शहर न जाने देने के, प्रयास किए। 20 फरवरी की रात को भी और अगले दिन सुबह भी, परन्तु इस सब के बावजूद 21 तारीख को सुबह सिसाय की ओर से भीड़ ढ़ाणी पालए सैनीपुरा, हांसी रोड पर चल पड़ी। प्रशासन के कहने के बाद भीड़ को रास्ते से लौटा लाने के लिए भी प्रयास किए। सुरक्षा-बलों की उपस्थिति और पंचायतियों के समझाने के बावजूद, भीड़ सैनीपुरा की ओर बढ़ती रही। एक विवरण के अनुसार ढ़ाणी पाल के मोड़ पर इस भीड़ पर गैर-जाट लोगों की भीड़ द्वारा गोलीबारी हुई जिससे भीड़ तितर-बितर हो गई और वापिस लौट गई। गुज्जर समाज के गवाहों ने ऐसी किसी गोलीबारी का जिक्र नहीं किया परन्तु भीड़ वापसी का और कोई ख़ास कारण भी नहीं बताया गया। इसके चलते गैर-जाट समुदाय के लोगों द्वारा गोलीबारी की घटना सही प्रतीत होती है। 21 तारीख को ही जब मुख्य भीड़ छट चुकी थी, ढ़ाणी पाल के खेतों में बसे श्री साधू राम गुज्जर के यहाँ आकर मोटर साइकिल सवार 10-12 युवाओं ने गोली चलाई जो उनके बेटे को लगी। उसके बाद श्री हरफूल गुज्जर के यहाँ भी गोलीबारी और आगजनी हुई। उनके परिवार के सदस्यों को भीड़ के जाने के बाद पिछली खिड़की तोड़ कर निकाला गया। 21 तारीख को शाम को प्रशासन ने सिसाय गाँव में (और शायद अन्य गाँवों में भी) बैठक करके शांति की अपील की।

3(v).6 ढाणी पाल के खेतों में बसे गुज्जर परिवारों के अनुसार उन पर हुए हमले की खबर सुनकर इन के सगे सम्बन्धी 22 तारीख को इन के यहाँ हालचाल पूछने के लिए इकट्ठे हुए। 500 के लगभग लोग रहे होंगे। 22 तारीख को सुबह 8 बजे के आसपास ढाणी पाल के पास स्थित सिसाय गाँव के जाट समुदाय की ढाणीयों में आगजनी की घटना हुई जिस में भीड़ ढाणी पाल की दिशा से आई बताई गई (यानी गैर-जाट समाज की भीड़ थी)। दो घरों और कुछ ट्यूबवेल के कोठों को आग लगा दी गई। यहाँ रहने वाले परिवार पहले ही घर छोड़ कर जा चुके थे। इस बीच एक सबमर्सिबल ट्यूबवेल चलता छोड़ कर किसान परिवार भाग गया जो तीन दिन तक चलता

रहा जिस से उस खेत की फ़सल ख़राब हो गई। इसके बाद सिसाय और ढाणी पाल की सीमा पर काफ़ी संख्या में सुरक्षा-बल पहुँच गए। ढाणी पाल के रहने वाले एक गवाह ने बताया कि इसके बावजूद 22 तारीख को ही 2 बजे के लगभग सिसाय दिशा से 10-12 हजार की भीड़ द्वारा पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में ढाणी पाल पर हमला किया गया। दावा है कि 2000 के करीब गोली चलाई गईं, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और 20-22 लोगों को चोट लगी। गुज्जर समुदाय के लोग भीड़ आती देख अपने घर छोड़ कर खेतों में भाग लिए। महिलाएँ तो तीन दिन बाद वापिस घर लौटीं और पुरुष 4.30-5 बजे के करीब लौटे जब तक भीड़ जा चुकी थी। काफ़ी बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी हुई और यह सब सुरक्षा-बलों की उपस्थिति में हुआ। दो लोगों ने इंगित किया कि ढाणी पाल की हिंसा में शराब माफ़िया के वर्चस्व की लड़ाई ने भी भड़काने का काम किया।

3(v).7 अन्य कई जगहों पर जन-सुनवाई में यह कहा गया था कि शहर में हुई हिंसा के लिए जाट समुदाय दोषी नहीं है क्योंकि अगर उन्होंने ने हिंसा करनी होती तो ग्रामीण क्षेत्र में भी हिंसा होती जो कि उनके इलाके में नहीं हुई। इसके विपरीत हांसी में ग्रामीण क्षेत्रों में भी हिंसा हुई। ऊपर वर्णित ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा ढाणा कलाँ जो हांसी और मुंढाल रोड पर है और यादव-बहुल है, वहाँ पर भी हिंसा हुई। (कैथल/झज्जर में भी ग्रामीण क्षेत्र में हिंसा और जातीय तनाव की सूचना मिली है।)

3(v).8 रोहतक और झज्जर के मुक़ाबले यहाँ मौके पर सुरक्षा-बलों की उपस्थिति ज़्यादा रही। चाहे कुछ देर से ही सही पर पुलिस-प्रशासन घटनास्थल पर पहुँचते रहे, आम तौर पर फ़ोन पर भी सम्पर्क बना रहा। परन्तु इसके साथ-साथ उन की उपस्थिति में भी हिंसा जारी रही, बक़ौल एक गवाह के 'फ़ौज वाले बैंड वालों की तरह घूमते रहे'। प्रशासन पर जाट समुदाय के हावी होने और इन के अपने समुदाय के प्रति पक्षपात करने के आरोप भी लगे। जग्गा बाड़ा के घटनाक्रम में पास के गाँव के एक व्यक्ति श्री लाल चंद के ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी को किसी के बहकाने पर लिखवाया गया बताया गया। अब संभवत: यह वापिस ले ली जाएगी है, ऐसा उस व्यक्ति ने बताया।

3(v).9 शाम को स्कूल में हुई जन-सुनवाई में, जिस में दोनों पक्षों के लोग शामिल थे, यह बताया गया कि सब से ज़्यादा नुकसान तो ढाणी पाल के गुज्जर समुदाय का हुआ है (हालांकि आयोग के सामने व्यक्तिगत तौर पर सब से ज़्यादा 7 करोड़ का नुकसान पंजाबी समुदाय के भाई जी होटल प्रतिष्ठान का आया) और उन्हें (गुज्जर समुदाय को) काफ़ी हद तक मिले मुआवजे से संतुष्टि थी (जब कि वहाँ भी कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला है या बहुत थोड़ा मिला है)। जग्गा बाड़ा में भी मुआवजे पर आम तौर पर संतुष्टि थी हालांकि वहाँ भी आगजनी के शिकार हुए वाहनों का मुआवजा अभी नहीं मिला है। हांसी में बाकी जगह नाम-मात्र का मुआवजा मिला था। आयोग के संज्ञान में आया है कि ढाणी पाल के खेतों मे रहने वाले ज़्यादातर परिवार सिरसा स्थित एक डेरे से जुड़े हुए हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या इस का मुआवजा वितरण से कोई सम्बन्ध है, क्योंकि इसके अलावा ज़्यादातर जगहों पर मुआवजे से संतुष्टि नहीं पाई गई परन्तु आयोग इसकी पड़ताल नहीं कर पाया। आयोग ने पाया कि शांति एवं सद्भाव के काम में लगे कुछ लोग जातीय संगठनों से भी जुड़े हुए थे एवं स्वयं जातीय भेदभाव से ग्रस्त थे। रोहतक में जहाँ जाट समुदाय द्वारा सभी घरों से चंदा लेने के आरोप लगे थे (अन्य जातियों को वितरण एवं हिसाब-किताब में शामिल नहीं करने के बावजूद) इसके ठीक उलट यहाँ पर जाट-इतर समुदाय द्वारा अपने लोगों की सहायता हेतु जाट समुदाय से चंदा न लेने का आरोप भी लगा। हांसी में कई कालोनियों में, जिन में जाट-बहुल कालोनियाँ भी शामिल हैं, गेट लग गए हैं जो कि असुरक्षा की व्यापकता को दर्शाता है।

3(vi) जुलाना की जन-सुनवाई की रपट

3(vi).1 जन-सुनवाई की तारीख 7 अप्रैल 2016, जन-सुनवाई पंजाबी धर्मशाला में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हुई। पांच गवाहों ने अपनी बात कही, जिनमें पंजाबी, दलित, महाजन एवं लुहार समुदाय के गवाह शामिल थे। जन-सुनवाई के आधार पर यह घटनाक्रम उभरता है।

3(vi).2 जुलाना के पास रोहतक-जींद सड़क पर धरना और जाम तो 17 फरवरी से चालू था एवं 18 तारीख से ही आस-पास के सारे रास्ते बंद थे (परन्तु मोटर साइकिलों से आना-जाना जारी था)। 18-19 की रात को ही मुख्य सड़क पर दुकानों के शटरों एवं मीटरों के साथ तोड़फोड़ की गई और सड़क पर खड़ी 8-10 गाड़ियों को आग लगा दी गई। मौके पर उपस्थित एक दलित दुकानदार ने बताया कि वह अपनी आँखों के सामने अपनी दुकान को तहस-नहस होते देखता रहा परन्तु भय के चलते कुछ कर नहीं सका। इसके बाद भी छिटपुट घटनाएँ होती रहीं और 20 तारीख को सुबह 10 बजे के करीब जाट एकता के नारे लगाते हुए भीड़ मुख्य बाजार में दाखिल हो गई। शुरू में तो केवल 20-22 लोग थे परन्तु बाद में संख्या बढ़ गई। भीड़ थाने पर पहुँची जहाँ एक पुलिस वाले ने हवाई फ़ायर किया जिसके चलते भीड़ वहाँ से आगे खिसक ली। बाकी पुलिस वालों ने उस सिपाही को भी अंदर खींच लिया और फ़ायर करने से रोक दिया। भीड़ पूरे बाजार में भड़काऊ नारे लगाते हुए एवं शटरों, मीटरों, बोर्डों को नुकसान पहुँचाते हुए रेलवे स्टेशन तक गई एवं वहाँ आगजनी की। मार्किट कमेटी, फ़ायर ब्रिगेड की गाड़ी, खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। तहसील में जाट समुदाय के कुछ बुजुर्गों के समझाने से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। भीड़ ने पुन: थाने आकर वहाँ खड़ी बस को भी आग लगा दी। जैजैवंती एवं किनाना रेलवे स्टेशन पर भी आगजनी की वारदात हुई बताई गई। यानी कि जुलाना में मुख्य नुकसान सार्वजनिक संपत्ति का हुआ (हालांकि पंजाबी धर्मशाला में खड़ी एक बैंक मैनेजर की निजी गाड़ी, जो रास्ते बंद हो जाने के कारण 18 तारीख से वहाँ खड़ी थी, को भी जला दिया गया)। भीड़ के उग्र रूप, लहराते हथियारों और दुकानों पर हुई टूट-फूट के चलते भय का वातावरण बन गया था। वीडियो बनाने वालों को धमकाया गया एवं उनके फ़ोन/कैमरे छीन लिए गए। यह बताया गया कि बार-बार सम्पर्क करने के बावजूद प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला।

3(vi).3 इसके विरोध में बाकी जातियों के 1000-1200 व्यक्ति मंडी में इकट्ठे होकर थाने में पहुँचे जहाँ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यह कहा गया कि कल तक फ़ोर्स आ जाएगी। इस जुलूस में '35 बिरादरी एक हैं, डट कर मुकाबला करेंगे' जैसे नारे लगाए जा रहे थे। व्यापारियों ने अपने दम पर सुरक्षा करने का जिम्मा लिया और रात को पहरे का प्रबन्ध किया। 20 तारीख की रात को ही दो सामाजिक कार्यकर्ता मुख्य सड़क पर स्थित धरना स्थल पर पहुँचे एवं वहाँ पर उपस्थित बुजुर्गों से बातचीत का प्रयास किया। आन्दोलनकारियों ने कहा कि शहर में जो कुछ हुआ है वह आन्दोलनकारियों ने नहीं किया है फिर भी कल दिन में आकर व्यापारियों से शांति वार्ता करेंगे परन्तु अगले दिन भी वे व्यापारियों को आश्वस्त करने बाजार में नहीं आए।

3(vi).4 भाजपा से सम्बन्धित एक गवाह ने हरियाणा के एक कांग्रेस सांसद के एक समर्थक का हाथ जुलाना में आन्दोलन के पीछे बताया। यहाँ तक बताया गया कि उक्त सांसद इस समर्थक ने कहा कि टिटोली की तरफ उसके रिशतेदारों ने रोड जाम कर दिया है, अब हमें भी करना होगा। यह भी कहा गया कि जुलाना में जाम लगवा कर यह नेता जींद दिशा में आगे भी जाम लगवाने के लिए चला गया। भाजपा के एक अन्य पदाधिकारी ने बताया कि उन्हें अब अपनी पार्टी से भी कोई अपेक्षा नहीं है। गवाही देते हुए एक गवाह ने बताया

कि उसने अपने कबाड़ी के रोजगार के लिए एक पुरानी गाड़ी 75 हजार में खरीदी थी, जिसे लाठियों से लैस 8-10 लोगों ने जला दिया था। जिसे वह डर के मारे छुप कर देखता रहा। वह अपने नुक्सान की भरपाई के लिए मांग जन आयोग से कर रहा था।

3(vii) जींद की जन-सुनवाई की रपट

3(vii).1 जन-सुनवाई की तारीख 7 अप्रैल 2016, जन-सुनवाई अर्बन इस्टेट स्थित सामुदायिक केन्द्र में 12.30 से 2 बजे तक हुई। यहाँ 7 गवाह पेश हुए। एक-एक गवाह ब्राह्मण एवं दलित समाज से थे, अन्य जाट समुदाय से थे। जन-सुनवाई के आधार पर यह घटनाक्रम उभरता है।

3(vii).2 जींद में धरना और रास्ते जाम का कार्यक्रम 14 तारीख से ही शुरू हो गया। इसकी कठोरत के बारे में अलग-अलग समुदाय के लोगों ने अलग-अलग बात कही। जहाँ जाट समुदाय के गवाहों ने इसे लचीला बताया ('जाम के बावजूद बाएँ-दाएँ से रास्ता मिलता गया'), वहीं दलित समाज के एक गवाह ने बताया कि वह साइकिल (न कि मोटर साइकिल) पर ही 20-22 किलोमीटर जा कर 'भात' पहुँचा पाया और शादी के बाद दुल्हन भी मोटर साइकिल पर ही आ पाई। 19-20 फरवरी को जाट समुदाय के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने जाट समुदाय की भीड़ को जाट धर्मशाला में ही रोके रखा और उन्हें बाजार जाने से रोका परन्तु इसके बावजूद कुछ लोग 20 तारीख को सैनी धर्मशाला में सुबह 11-12 बजे पत्थरबाजी कर गए। इसके बाद 2.30-3 बजे सैनी धर्मशाला में तथाकथित '35 बिरादरी' की बैठक हुई जिसमें 1000-1500 लोग होने का अनुमान है। यह भीड़ जाट धर्मशाला की ओर चल पड़ी। इसके पहले कि भीड़ जाट धर्मशाला पहुँचती, उपायुक्त ने जाट धर्मशाला में पहुँच कर जाट समुदाय को सुरक्षा देने का वायदा किया और उन से हथियार रखवा लिए। तथाकथित '35 बिरादरी' के जुलूस को जाट धर्मशाला पहुँचने से पहले ही बल-प्रयोग करके रोक लिया गया। इसके बाद चौ. छोटू राम की प्रतिमा और श्री परमिंदर सिंह ढुल की कोठी पर हमले की आशंका थी परन्तु यहाँ पर भी प्रशासन समय पर पहुँच गया एवं भीड़ को हिंसक नहीं होने दिया। जाटों की 2-3 दुकानों को क्षति जरूर पहुँची।

3(vii).3 जन सुनवाइयों के दौरान जींद इकलौता ऐसा शहर मिला जहाँ प्रशासन, खास तौर पर उपायुक्त विनय सिंह की भूमिका को सराहा गया। उपायुक्त के अलावा विशेष ड्यूटी के तहत तैनात ए.डी.जी.पी. बी.के. सिन्हा की भूमिका को भी सराहा गया। इसके चलते बाकी जिलों की तुलना में जींद शहर शांत रहा। जींद शहर तो हिंसा से काफ़ी हद तक बच गया परन्तु जींद जिले के जुलाना, उचाना और सफ़ीदों की रपट को देखते हुए पूरे जींद जिले के बारे में यह संतोष प्रकट नहीं कहा जा सकता।

3(viii) उचाना की जन-सुनवाई की रपट

3(viii).1 जन-सुनवाई की तारीख 7 अप्रैल 2016, जन-सुनवाई मंडी स्थित मार्किट कमेटी के परिसर में दोपहर बाद हुई। 7 गवाह पेश हुए जिन में एक महाजन समुदाय से था और बाकी सब जाट समुदाय से थे। जन-सुनवाई के आधार पर यह घटनाक्रम उभरता है।

3(viii).2 जाट समुदाय के गवाहों ने बताया कि 20 तारीख के दिन 1-1.30 बजे के करीब 15 से 20 वर्ष की उम्र के जाट समुदाय के 200-250 युवा उचाना मंडी में आए और उन्होंने बैंक, मार्किट कमेटी, स्टेशन, मिनी सचिवालय, डाकखाना, पुलिस चौकी इत्यादि लगभग सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और आगजनी की। थाना परिसर में उपस्थित पुलिसजनों के परिवार भी खेतों में भाग गए थे। इन गवाहों का यह भी मानना था

कि इस हिंसा में धरने-रोड जाम पर बैठा जाट समुदाय शामिल नहीं था और नामालूम ये नौजवान कहाँ से आए थे। इनके अनुसार इस घटना के विरोध में मंडी के सारे व्यापारी जिन में जाट समुदाय के आढ़ती भी शामिल हैं, अग्रवाल धर्मशाला में इकट्ठे हुए एवं अपने सुरक्षा-दस्ते गठित किए जिसके चलते फिर कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। मंडी की इस पंचायत के प्रतिनिधि जींद-नरवाना रोड पर धरना-जाम लगा कर बैठे जाट समुदाय के पास भी गए जहाँ उन्हें बताया गया कि मंडी में हुई हिंसा का इस धरने से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत एक व्यापारी ने आयोग के साथ अलग से भेंट में बताया कि मंडी में हुआ घटनाक्रम जाट आरक्षण के लिए चल रहे धरने से ही जुड़ा हुआ है और मंडी के जाट आढ़ती भी इस आन्दोलन से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं। इन के अनुसार हालात इतने बुरे थे कि फ़ौज भी मुख्य रास्तों से न आकर खेतों के रास्ते आई।

3(viii).3 यह भी बताया गया कि मंडी में हिंसा करने से पहले वही भीड़ स्थानीय कॉलेज, जिससे केन्द्र सरकार में मंत्री श्री बीरेंद्र सिंह का निकट सम्बन्ध बताया जाता है, पर भी गई थी परन्तु वहाँ से सुरक्षा-बलों ने भीड़ को खदेड़ दिया था। फिर यह भीड़ एक ढाबे पर गई जिसके मालिक ने उन्हें खिला-पिला कर अपने ढाबे को बचा लिया। यहाँ पर हुडदंगियों ने शराब भी पी।

3(viii).4 आयोग के सामने दो जाट महिला भी पेश हुईं और अपने बच्चों की, केवल भीड़ में फ़ोटो होने के आधार पर, गिरफ़्तारी का विरोध किया। इनमें से एक ने दुकानदारों द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर मुआवजा लेने के आरोप भी लगाए।

3(ix) सफ़ीदों की जन-सुनवाई की रपट

3(ix).1 जन-सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल 2016, जन-सुनवाई विश्राम-गृह में देर शाम हुई। 7 गवाह पेश हुए जिन में जाट, दलित, महाजन, लुहार एवं सैनी समुदाय के गवाह शामिल थे। जन-सुनवाई के आधार पर निम्नलिखित घटना क्रम उभरता है।

3(ix).2 यहाँ 21 तारीख को तोड़फोड़ हुई। शुरू में, 11-11.30 बजे उपद्रवियों की संख्या केवल 5-7 लड़के थे परन्तु बाद में 15-20 हो गई। इन्होंने दुकानों के शटर और मीटर आदि को तोड़ाफोड़ा एवं बाहर खड़े वाहनों को आग लगा दी। दुकानदारों द्वारा 2 लड़कों को पकड़ा गया और पुलिस को सौंप दिया गया। दुकानदारों ने बताया कि पुलिस ने उन को छोड़ दिया। इस दौरान उपद्रवियों की संख्या बढती गई। उसके बाद पुलिस की उपस्थिति में रेलवे रोड पर तोड़फोड़ जारी रही और पुलिस को दरकिनार कर भीड़ शहर में घुस आई। उसी भीड़ ने गोलियाँ भी चलाई गईं। 3-4 बजे तक यह सिलसिला चला। रेलवे रोड पर तोड़फोड़ करने के बाद आन्दोलनकारी श्री करमबीर सैनी (जिन्होंने पिछले दो विधानसभा चुनावों में बसपा एवं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था) के कार्यालय में चले गए एवं वहाँ तोड़फोड़ की। लगभग 6 बजे वहाँ से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि कार्यालय पर तोड़फोड़ तो हुई थी परन्तु वहाँ आग नहीं लगाई गई थी। बाद में इस भवन में आग लगा दी गई। इस बारे में गवाह ने इंगित किया कि शायद यह आग स्वयं लगाई गई हो।

3(ix).3 आन्दोलनकारियों ने न केवल सफ़ीदों में हिंसा की अपितु पीलू खेड़ा में स्टेशन और तहसील को आग लगा दी गई एवं थाने को भी लूटा गया। यहाँ से लूटे हथियार कालवा एवं दल्होड़ी गाँव से मिलने की सूचना है। थाने के स्टाफ़ ने भाग कर जामनी गाँव में शरण ली, ऐसा भी एक गवाह ने बताया। इस बीच 2ण्30-3 बजे के करीब शहर वालों की तरफ़ से एक जुलूस निकाला गया। हालांकि आयोग के सामने उपस्थित कुछ गवाहों ने कहा कि शहर वालों के इस जुलूस ने जाट धर्मशाला पर कोई तोड़फोड़ नहीं की और वहाँ खड़ी मोटर

साइकिलों को जाटों ने स्वयं जला दिया परन्तु दूसरे गवाहों ने बताया, और इसकी संभावना ज़्यादा है, कि जाट धर्मशाला पर तोड़फोड़ की गई। वहाँ अगले दिन होने वाली शादी की तैयारियाँ चल रही थीं एवं शादी में देने हेतु खड़ी एक मोटर साइकिल समेत 4-5 मोटर साइकिलों को आग लगा दी गई। इसके बाद गैर-जाट समुदाय की यह उग्र भीड़ स्थानीय भाजपा समर्थक निर्दलीय विधायक श्री जसबीर देशवाल, जो जाट समुदाय से हैं, के निवास पर गई। कुछ गवाहों ने कहा कि दिन में हुए उपद्रव का केन्द्र विधायक-निवास ही था और उपद्रव करने के बाद जाट आन्दोलनकारी वहीं चले गए थे। विधायक-निवास पर गोली चली जिस में श्री नवीन सैनी नाम के एक युवा की मौत हो गई। इस बारे में दर्ज एफ.आई.आर. में स्थानीय विधायक एवं उनका बेटा नामजद हैं। इसके अलावा एक और नौजवान, जो सिख समुदाय से था एवं जिसके बारे में कहा गया कि वह विडियो बना रहा था, की भी गोली लगने से मृत्यु हुई। दोनों मरने वाले दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे। शाम को फिर गैर-जाट समुदाय की बैठक हुई और लगभग 8 बजे इस भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया बताया गया और 25 के करीब मोटर साइकिलों को आग के हवालेकर दिया गया। गोलीबारी भी हुई। सुरक्षा-बल 21 तारीख की रात को 10-11 बजे पहुँचे एवं उसके बाद उपद्रव शांत हुआ। 22 तारीख को मृतक की देह के साथ श्री करमबीर सैनी के नेतृत्व में फिर बैठक होने का दावा भी किया गया।

3(ix).4 आयोग के सामने दो परिवार पेश हुए जिन्होंने अपने परिजनों को निर्दोष होने के बावजूद पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाया। इनमें एक 60 वर्षीय दलित श्री पाले राम है जिसके बारे में उसकी पत्नी ने बताया कि भीड़ में केवल उसकी फ़ोटो होने के आधार पर उसे गिरफ़्तार किया गया है। बालकिशन पर जाट धर्मशाला में हुई तोड़फोड़ में शामिल होने का आरोप है और वह एक महीने से गिरफ़्तार है। उसकी बहन ने बताया कि वह तो जाट धर्मशाला में अगले दिन होने वाली शादी की सिलसिले में हलवाई के पास काम कर रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि हलवाई, जिसके पास उसका भाई उस दिन काम कर रहा था, इस आशय का शपथ-पत्र देने को तैयार है। डबडबाई आँखों से बालकिशन की बहन ने बताया कि केवल जाट धर्मशाला की विडियो में आने के कारण उस को गिरफ़्तार किया गया है जब कि वह तो वहाँ मजदूरी करने गया हुआ था। पीड़ितों के इन आरोपों की गहराई को देखते हुए इन मामालों की जाँच न्यायपूर्वक व परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए।

3(ix).5 आयोग के सामने ऊपर वर्णित दो लोगों के परिजनों के अलावा, श्री राधेश्याम, जो लुहार समुदाय से हैं और सी.पी.एम. की तरफ़ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, ने भी गवाही दी। इन्होंने ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ झूठे केस दर्ज हुए हैं। पुलिस ने हालांकि उन्हें एफ.आई.आर. की प्रति नहीं दी थी पर समन जारी करते हुए मौखिक तौर पर उन्हें बताया था कि उनके खिलाफ़ तीन केस दर्ज हैं। दो केस में तो उन पर जाट आन्दोलनकारियों में शामिल होने और तीसरे में गैर-जाट समुदाय की उस भीड़ में शामिल होने के आरोप लगाया गया हैं। जिस पर स्थानीय विधायक के निवास पर तोड़फोड़ करने के आरोप हैं। यानी उन पर दोनों तरफ़ की हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे हैं। संयोग से आयोग के सामने वह व्यक्ति भी उपस्थित हुआ जिस ने श्री राधेश्याम के खिलाफ़ उसको नामजद करते हुए शिकायत दे रखी थी। आयोग के सामने ही दोनों का पहली बार आमना-सामना हुआ। श्री राधेश्याम के खिलाफ़ नामजद शिकायत करने वाले व्यक्ति ने आयोग के सामने माना कि वह तो आज पहली बार इनसे मिला है और ये उसकी दुकान पर हुई आगजनी में शामिल नहीं हैं। उन्होंने बताया कि हाट गाँव के कुछ लोगों के नाम तो उन्होंने बताए थे पर बाकी कुछ और नाम पुलिस ने अपनी ओर से जोड़ दिये। वह इस आशय का शपथपत्र भी देने को तैयार हो गया।

3(ix).6 एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी द्वारा एन.जी.ओ. के नाम बहुत सारा नुकसान दिखा कर झूठा मुआवजा हड़पने का आरोप भी लगाया।

3(x) कलायत की जन-सुनवाई की रपट

3(x).1 जन-सुनवाई की तारीख 7 अप्रैल 2016, यहाँ शाम को दो स्थानों पर जन-सुनवाई हुई। पहले जाट समुदाय के लोगों से मटोर गाँव के स्कूल में बातचीत हुई जहाँ बड़सीकरी समेत कई अन्य गाँवों से भी लोग उपस्थित थे। इसके बाद कलायत के साई मंदिर के समीप कलायत के गैर-जाट समुदाय से बातचीत हुई। इनमें राजपूत, धीमान, ब्राह्मण एवं वैश्य समाज के लोग शामिल थे। मटोर एवं कलायत में 5-5 गवाहियाँ हुईं एवं 2 लोगों से अलग से बातचीत हुई। दोनों जन-सुनवाइयों में प्रत्येक में उपस्थित लोगों की संख्या 30-40 थी। जन-सुनवाई के आधार पर निम्नलिखित घटनाक्रम उभरता है।

3(x).2 जाट आरक्षण आन्दोलन के तहत कैथल के बाहरी इलाके में तितरम मोड़ पर मुख्य धरना और रोड जाम था (जिसमें कैथल में पेश हुए एक आन्दोलनकारी द्वारा 8-15000 लोगों के लिए खाना बनने का दावा किया गया)। कलायत के आस-पास कुछ अन्य स्थानों पर भी धरना और रोड जाम जारी था। 19 तारीख को सुबह मटोर और आस-पास के गाँवों से 4 ट्रैक्टर-ट्रालियों में सवार 40-60 लोगों ने वहाँ के मुख्य चौक (जिसे स्थानीय भाषा में कैंची चौक कहा जाता है) को जाम कर दिया था। मटोर गाँव जाम-स्थल से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। आस-पास सड़क जाम होने से बाहरी यातायात तो पहले से बंद था परन्तु कलायत में जाम लगाने से कलायतवासियों का कस्बे के अंदर चलना फिरना भी बंद हो गया क्योंकि यह स्थान कस्बे के बीचोंबीच पड़ता है। वहाँ 3-4 घंटे रोड जाम रखा गया एवं इसके बाद आन्दोलनकारी वापिस अपने गाँव लौट गए। इस बीच धरनास्थल पर आन्दोलनकारियों की स्थानीय लोगों से झड़प भी हुई क्योंकि रोड जाम होने से स्थानीय लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही थी। शहर की कुछ महिलाओं के साथ बदतमीजी करने की शिकायत भी आई। जाट समुदाय के गवाहों के अनुसार उनके धरना समाप्त करने के बाद गैर-जाट समुदाय की ओर से जाट विरोधी जुलूस भी निकाला गया और उन को चुनौती दी गई कि कल आकर दिखाओ। इस में सरकार/मुख्य मंत्री विरोधी एवं श्री राज कुमार सैनी के पक्ष में नारे भी लगने का दावा किया गया। शहर के लोग जुलूस इत्यादि से इनकार करते हैं परन्तु कुछ लोगों द्वारा गाली-गलौज की संभावना से इनकार नहीं करते। मटोर गाँव में 19 तारीख को फ़ेसबुक पर आई जाट विरोधी पोस्ट का भी जिक्र किया गया। यह भी कहा गया कि शहर के मंदिर में बैठक करके आरक्षण-समर्थक जाटों के विरोध करने की योजना बनाई गई।

3(x).3 19 तारीख के घटनाक्रम के चलते 20 तारीख को लगभग 4 हजार लोगों की भीड़ फिर कलायत में धरना लगाने के लिए पहुँच गई। जाट समुदाय से सम्बन्धित गवाहों के अनुसार ढ़ाई से तीन घंटे धरना-रोड जाम 'शांति पूर्वक' चलता रहा परन्तु 1 बजे आधुनिक हथियारों से लैस ओ.बी.सी. ब्रिगेड ने हमला कर दिया और धरनास्थल के पास खड़ी आन्दोलनकारियों की मोटर साइकिलों को आग लगा दी। इसके चलते अफरा-तफरी मच गई। पुलिस मौके से गायब हो गई। ओ.बी.सी. ब्रिगेड के पाँच नेताओं को भी चिह्नित किया गया। इस दौरान कई जाट आन्दोलनकारियों को चोट लगने का दावा किया गया परन्तु उनके नाम एवं संख्या इत्यादि के बारे में कहा गया कि कोई भी सामने नहीं आना चाहता और घायलों ने निजी हस्पतालों में इलाज करवाया है। लगभग 2.30 बजे फ़ौज आ गई और फ़ौज को भी गाँवों के रास्ते आना पड़ा क्योंकि मुख्य मार्ग

आन्दोलनकारियों द्वारा बंद थे। 4.30 बजे तक धरना खत्म कर दिया गया। जाट समुदाय से सम्बन्धित बुजुर्ग गवाहों ने कहा कि हम ने 20 तारीख को युवाओं को कलायत न जाने की सलाह दी परन्तु हमारी किसी ने नहीं सुनी। शांति बनाए रखने के लिए और विशेषतौर पर धरनास्थल से कलायत के अंदर जाने से रोकने के लिए कुछ बुजुर्ग भी युवाओं के साथ गए थे। एक पूर्व सरपंच ने कलायत में दुकानों में हुई आगजनी दुकानदारों द्वारा खुद की गई बताई और कहा कि अगर प्रशासन ने सख्ती न बरती होती तो 'जाटों की लाश उठाने वाले भी कम पड़ जाते', वहीं एक अन्य पूर्व सरपंच ने नेताओं को बिरादरियों को आपस में लड़वाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनके अनुसार 'न जाटों को आरक्षण की जरूरत है, और न जाटों को आरक्षण मिलने से किसी का नुकसान होने वाला था। उन्होंने यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को रद्द कर दिया था तो प्रधानमंत्री ने क्यों जाट-आरक्षण का वायदा किया। अगर यह वायदा न किया जाता तो अदालत का निर्णय मान कर हम भी शांत होकर बैठ जाते। (लगभग ऐसी ही बात कैथल में एक पंजाबी समुदाय के व्यक्ति ने कही और जोड़ा कि अगर आरक्षण देना ही था तो पहले ही दे देते)।

3(x).4 कलायत कस्बे में हुई जन-सुनवाई में, ठीक इसके उल्टाए 20 तारीख की हिंसा के लिए जाट आन्दोलनकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। मुख्य तर्क तो यह था कि जब सड़क यातायात पहले ही बंद था और आस-पास समीप में ही धरना चल रहा था तो शहर के बीच में सड़क जाम करके कस्बे की दिनचर्या को तहस-नहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा 19 तारीख को लगे जाम में फंसी बुग्गियों में महिलाओं से बदतमीजी करने और बीमार बच्चे को हस्पताल जाने से रोकने के प्रति भी रोष था। इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि 20 तारीख को न केवल रोड जाम किया गया अपितु बाजार में घुस कर भी लूटपाट, मारपीट और आगजनी की गई। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 15-16 लोग घायल हो गए। लगभग 45 दुकानों में तोड़-फोड़ की गई। घायलों को कैथल ले जा रही एंबुलेन्स के चालक पर भी तीतरम मोड़ पर घायलों को भीड़ के सुपुर्द करने का आरोप लगाया गया। एंबुलेन्स के साथ तोड़-फोड़ के आरोप अन्य लोगों ने भी लगाए और अंतत: पुलिस की गाड़ी में घायल लोग कैथल हस्पताल पहुँचाए गए। जाट आन्दोलनकारियों के साथ मार-पीट से इनकार करते हुए यह कहा गया कि जाट आन्दोलनकारियों द्वारा केवल मोटर साइकिल जलाने सम्बन्धी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है और चोट सम्बन्धी कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई गई है। गैर-जाट समुदाय के गवाहों ने बताया की 20 तारीख की घटना के बाद सभी वार्डों में शांति समिति बना कर जाट समुदाय के प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान की गई एवं कपिल मुनि परिसर के सरोवर में गिरे दो आन्दोलनकारियों को भी पुलिस को सुरक्षित सौंपा गया। शहर की जन-सुनवाई में यह सवाल भी उठाया गया कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तो आन्दोलनकारी हथियार लेकर क्यों आए थे।

3(x).5 कलायत की जन-सुनवाई में स्थानीय प्रशासन विशेष तौर पर एस.एच.ओ. और पुलिस अधीक्षक की भूमिका को नकारात्मक माना गया। इन दोनों का स्थानांतरण हो गया है। पुलिस अधीक्षक के बारे में कैथल और पुंडरी की सुनवाई में भी यही राय आई थी। जहाँ एक ओर मटोर गाँव में कलायत जाते हुए अब भी डर लगने की बात कही गई, वहीं कलायत में स्कूली बच्चों की लड़ाई को भी जातीय रंग देकर, स्थानीय लोगों के ख़िलाफ़ कार्यवाही करने के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया। स्थानीय विधायक, जो जाट समुदाय से है, के बारे में कलायत-सुनवाई में एक व्यक्ति, जिसने अपने आप को विधायक से सम्बन्धित बताया, संतुष्टि जताई तो बाकी सब ने इस का जबरदस्त विरोध किया और विधायक को भी आन्दोलनकारियों का सहयोगी बताया। उन पर अब तक पीड़ितों से भेंट तक न करने का आरोप भी लगाया गया। मुआवजे के मामले में भी

रोष था क्योंकि अभी तक केवल 10–15% नुकसान की ही भरपाई हुई है। एक बार दुकानों का मुआयना और विडियो होने के बाद प्रशासन के कहने पर लोगों ने मुरम्मत करा ली और अब दोबारा कमेटी सर्वेक्षण कर रही है जिससे नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाएगा।

3(xi) कैथल की जन-सुनवाई की रपट

3(xi).1 जन-सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल 2016, जन-सुनवाई सुबह 10 बजे से 12 बजे तक विश्राम-गृह में हुई। यहाँ एक आन्दोलनकारी समेत 8 लोगों (इनमें सैनी, पंजाबी, ब्राह्मण इत्यादि शामिल थे) की गवाही हुई। जन-सुनवाई के आधार पर यह घटनाक्रम उभरता है।

3(xi).2 तितरम मोड़ पर रोड-जाम और धरने के अलावा 17 तारीख से जाट कॉलेज में छुट्टी करवा कर करनाल रोड चौक पर, हनुमान वाटिका के पास भी जाम लगा दिया गया। (एक आन्दोलनकारी ने बताया कि कैथल शहर में आन्दोलन की शुरुआत में विलम्ब का कारण विभिन्न जाट आरक्षण आन्दोलनकारी संगठनों में एका न होना था।) जहाँ ज़्यादातर लोगों ने भीड़ की संख्या हजारों में बताई वहीं एक गवाह ने कहा कि संख्या किसी भी समय 1200 से अधिक नहीं थी और आम तौर पर 300–400 ही थी यानी अगर प्रशासन चाहता तो इसे नियंत्रित कर सकता था। न केवल करनाल.चौक पर मुख्य-मार्ग को जाम कर दिया गया, अपितु शहर में आने-जाने के छोटे- मोटे रास्ते भी बंद करके जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया गया। हथियारों से लैस उग्र भीड़ के चलते आस-पास के गैर-जाट प्रतिष्ठान धरना शुरू होने के बाद ही बंद हो गए जब कि जाट समुदाय के प्रतिष्ठान खुले रहे। नारे लगा कर गैर-जाटों को ही दुकान बंद करने को कहा गया। हालांकि एक पार्टी विशेष (इनेलो) से जुड़े गैर-जाट समुदाय के प्रतिष्ठानों को भी छोड़े जाने का दावा किया गया। भाजपा से जुड़े एक आन्दोलनकारी और कुछ पीड़ित, दोनों कैथल जिले में आयोग के सामने उपस्थित हुए। पंजाबी समुदाय के एक प्रतिनिधिमण्डल नेष्तीनों/पार्टियों को वर्तमान घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक गवाह ने बताया कि हालांकि भीड़ में ज़्यादा संख्या नौजवानों की थी परन्तु 30–40% अधेड़ और बुजुर्ग भी थे। यहाँ तक कि कुछ महिलाएँ भी धरने और जाम में शामिल थीं।

3(xi).3 20 तारीख को बड़े पैमाने पर सुरक्षा-बलों के पहुँचने के बाद दुकानदार थोड़ा आश्वस्त हुए परन्तु फिर सुरक्षा-बलों की उपस्थिति में ही उत्पात हुआ। एक गवाह के अनुसार पुलिस के आने के बाद धरनास्थल से माइक पर इस आशय की घोषणा होती रही कि पुलिस ' 'हमारी' है, ये अपने ही भाई हैं, ओ बी सी ब्रिगेड के लोगों को भीड़ में पहचान लो कहीं ये पुलिस पर पथराव करके माहौल खराब न कर दें।' यह भी कहा गया कि माइक से घोषणा की गई कि डरने की कोई बात नहीं है, भागना नहीं है, मर भी गए तो शहीद का दर्जा और नौकरी मिलेगी'। इसके बाद 20 तारीख को ही श्री सुभाष सैनी की, शहर की एक प्रतिष्ठित दुकान पर, तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। 21–22 तारीख को बड़े पैमाने पर दुकानों इत्यादि पर तोड़फोड़ की गई। यह शहर में एक से ज़्यादा स्थानों पर हुआ। जींद रोड बाइपास और करनाल रोड चौक दोनों स्थानों से पीड़ित व्यक्ति आयोग के सामने उपस्थित हुए। मोची और नाई जैसी छोटी दुकानों को भी नहीं छोड़ा गया। इस बीच 21 तारीख को चौ. छोटू राम, महाराजा शूर सैनी एवं डॉ. भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित होने की अफ़वाहें गरम रहीं। शहर के अलावा आस-पास के गाँवोंए जैसे रेहड़िया, में भी गैर-जाट समुदाय को हिंसा का सामना करना पड़ा। वहीं एक ब्राह्मण गवाह ने बताया कि हालांकि पट्टी अफगान में जाट समुदाय के युवकों ने आरक्षण के पक्ष में उग्र

आन्दोलन किया परन्तु उन्होंने जातीय हिंसा में हिस्सा नहीं लिया एवं शांति बनाए रखी। कैथल में यह भी अफ़वाह रही कि पुलिस अधीक्षक (जो भिवानी से भाजपा के सांसद धर्मबीर का भाई है) ने धरना-जाम स्थल पर जा कर स्वयं भी चन्दा दिया है। यह भी बताया गया कि प्रकाश सिंह आयोग के सामने 100 के लगभग पीड़ित प्रशासन के विरोध में गवाही देने के लिए इकट्ठे हुए तो 200 आन्दोलनकारी प्रशासन के पक्ष में गवाही देने के लिए आए।

3(xi).4 शांति स्थापित होने के बाद तथाकथित '35 बिरादरी' की ओर से कैथल बंद का आह्वान करके एक बड़ा जुलूस (10-20 हजार का) निकाला गया एवं प्रशासन पर दोषियों के खिलाफ़ कार्यवाही करने का दबाव बनाया गया। (इसकी तिथि को लेकर मतभेद रहे। जहाँ कुछ लोगों ने इसकी तारीख 23 फरवरी बताई वहीं अन्य लोगों ने इसे 1 मार्च बताया, परन्तु समाचार-पत्रों से पता चला है कि यह जुलूस 1 मार्च को ही निकाला गया था)। इस दिन ही यहाँ के पुलिस-अधीक्षक का तबादला कर दिया गया था। हालांकि उनके स्थान पर लगाए गए पुलिस-अधीक्षक भी झज्जर में हिंसा रोकने में असफल रहे थे, झज्जर में दोनों ही पक्षों ने उनके खिलाफ आरोप लगाये थे तथाकथित '35 बिरादरी' प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि हम ने अपने जुलूस में शरारती तत्वों से जाट समुदाय के प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए इन के पास से गुजरते हुए विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किए। इससे पहले 21-22 तारीख को इस समूह द्वारा केवल अपने समाज के महापुरुषों की प्रतिमा को सुरक्षित रखने के कदम उठाए जाने का दावा किया। परन्तु एक ब्राह्मण समुदाय के गवाह ने बताया कि तथाकथित '35 बिरादरी' की ओर से चौ. छोटू राम की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया था, जिसे प्रशासन ने विफल कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि मूर्ति खंडित तो हुई थी परन्तु प्रशासन ने तुरन्त ठीक करवा दी थी।

3(xi).5 भय एवं आतंक का माहौल ऐसा रहा कि एक करनाल बाईपास के एक दुकानदार ने तो अपनी दुकान को हिंसा के 2-3 दिन बाद आकर संभाला। उसके जाट पड़ोसियों ने ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया परन्तु इसके बावजूद सैनी-बहुल गाँव के इस निवासी ने तो दुकान बंद करके इसे किराए पर चढ़ा दिया है। यह पूछने पर कि दुकान जाट को किराए पर दी है या गैर-जाट को, उनका जवाब था कि जाट को तो बिलकुल भी नहीं दूँगा। एक ओर जाट आन्दोलनकारियों के उग्र व्यवहार से दहशत का माहौल था, वहीं पड़ोसी जाटों ने गैर-जाट समुदाय के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी की (यह बात एक अन्य सुनवाई में भी निकल कर आई)। कैथल में उपरोक्त के अलावा एक अन्य दुकान, श्री कृष्णसैनी की दुकान, पर तोड़-फोड़ शुरू होने पर आस-पास के जाट समुदाय के लोगों ने न केवल उपद्रवियों से दुकान को बचाया बल्कि पीड़ित परिवार को अपने घरों में सुरक्षित रखा। जब उनके रिश्तेदार सैनी परिवार को ले जाने के लिए आए, तो जाट समुदाय के लोगों ने कहा यह तो हमारे पर अविश्वास होगा और सैनी परिवार को अपने यहाँ ही रखा।

3(xi).6 जींद चौक पर टाटा मोटर्स के सर्विस स्टेशन पर 21-22 फरवरी के दोनों दिन हिंसा हुई। पहले दिन कम और दूसरे दिन ज़्यादा। 22 तारीख को तो 100 नम्बर पर फ़ोन करने पर फ़ायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँची एवं आग बुझाई। यहाँ प्रतिष्ठान के एक हिस्से में लूटपाट और आगजनी दोनों हुई, वहीं पिछले हिस्से में जाट स्कूल की बस खड़े होने के कारण केवल लूटपाट हुई और आगजनी नहीं हुई। एक गवाह ने कहा कि सुरक्षा-बलों ने बस स्टैंड और जाट संस्थानों की तो बखूबी सुरक्षा की परन्तु हमारे द्वारा सुरक्षा हेतु फ़ोन करने पर लाचारी प्रदर्शित की गई।

3(xi).7 कैथल में 60-65 प्रतिष्ठानों का नुकसान हुआ बताया गया। आम तौर पर पीड़ित मुआवजे से असंतुष्ट हैं। केवल एक राजनैतिक रसूख वाले पीड़ित दुकानदार को ही ठीक-ठाक मुआवजा मिला बताया

गया। इसी दुकानदार के पास विभिन्न पार्टियों के नेता एवं चुने हुए प्रतिनिधि भेंट करने के लिए भी आए हैं। पंजाबी समुदाय के एक प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि जहाँ एक ओर वास्तविक पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है वहीं कम से कम एक व्यक्ति को बिना किसी खास नुकसान के 3 लाख का मुआवजा मिला है। उनका इशारा इस ओर था कि मुआवजा-वितरण भी सामान्य सरकारी तरीके से हो रहा है न कि निष्पक्षता से। एक आन्दोलनकारी गवाह ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को फ़सल के नुकसान (सफ़ेद मक्खी से हुए नुकसान) का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया जब कि जाट आन्दोलन के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा बंट भी चुका है। दो गवाहों ने बताया कि कलायत से आए घायलों से पैसे जमा करवाने को कहा जा रहा था और सामाजिक कार्यकर्ताओं के दखल देने के बाद ही उनका इलाज नि:शुल्क हुआ।

3(xii) पुण्डरी की जन-सुनवाई की रपट

3(xii).1 जन-सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल 2016, जन-सुनवाई दोपहर बाद सैनी मोहल्ले की धर्मशाला में हुई। 6 गवाह पेश हुए जिन में सैनी, प्रजापति एवं ब्राह्मण समुदाय के गवाह शामिल थे। यहाँ पर आरक्षण-समर्थकों/आन्दोलनकारियों से बातचीत नहीं हो पाई। जन-सुनवाई के आधार पर यह घटनाक्रम उभरता है।

3(xii).2 इस इलाके का मुख्य जाम एवं धरना पाई गाँव की ओर था परन्तु 18 फरवरी को पुण्डरी में पेहवा चौक पर भी धरना शुरू हो गया जो 19 को और ज़्यादा बड़ा हो गया। तोड़फोड़ 20 तारीख को हुई। पहले बस अड्डे पर खड़ी बसों को आग लगाई गई। एक अधजली बस को एक ड्राईवर थाने की ओर ले गया तो उसे वहाँ बस खड़ी करने से भी रोका गया जिसके चलते उसने बस विश्राम-गृह में खड़ी की। यह सब लूटपाट सुरक्षा-बलों की उपस्थिति में दोपहर 12-12.30 के करीब हुई। इसके चलते बाजार में दहशत फैल गई और गैर-जाट समुदाय के लोग दुकानों को बंद करके चले गए। शाम 6.30 बजे के करीब व्यापक आगजनी हुई जिस में 40-50 दुकानों को नुकसान हुआ और 8 दुकानों को जलाया गया। इन 8 दुकानों में से 3 जाट समुदाय की भी थीं जिनके बारे में बताया तो यह गया कि ये जाट आन्दोलनकारियों ने गलती से जला दीं परन्तु ज़्यादा संभावना इस बात की है कि ये गैर-जाट समुदाय के व्यक्तियों द्वारा जलायी गई हों। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस 7.30 बजे के लगभग पहुँची परन्तु पुलिस पर सख्त कार्यवाही न करने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक, जिसे जाट समुदाय के सत्ता-पक्ष के एक सांसद का भाई बताया गया, के प्रति लोगों में काफ़ी रोष था। हालांकि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, कैथल का तबादला हो गया है परन्तु सत्ता के गलियारों में पहुँच के चलते उसके लौट आने से लोग अभी भी आशंकित हैं।

3(xii).3 पुण्डरी की इन घटनाओं के चलते जिन में शायद जाट समुदाय की दुकानों पर हमला भी शामिल हो, आस-पास के गाँवों में जाटों को हुए भारी नुकसान की अफ़वाहें फैल गईं जिसके चलते पुण्डरी के आस-पास के गाँवों में, विशेष तौर पर पाई गाँव में, जाट समुदाय की भीड़ इकट्ठी होने लग गई परन्तु उस को रोकने के लिए ड्रेन के पास पुलिस ने श्री सतीश गौतम, डी.एस.पी. के नेतृत्व में मोर्चा लगा लिया। काफ़ी हद तक पुलिस की सख्ती के चलते आन्दोलनकारी भीड़ को नियंत्रित किया जा सका परन्तु दाएँ-बाएँ से कुछ लोग शहर में आने में सफल हो गए। पुलिस-बल की उपस्थिति के चलते यह हथियारबंद समूह पेहवा चौक तक आकर परिक्रमा करके, सांकेतिक धरना दे कर, वापिस लौट गया। श्री सतीश गौतम, डी.एस.पी. की आयोग के सामने उपस्थित लोगों द्वारा काफ़ी प्रशंसा की गई कि उन की सख्ती व सूझबूझ के चलते स्थिति को नियंत्रित किया जा सका (उनके आश्वासन के चलते गैर-जाट समुदाय को भी उत्तेजित होने से रोका जा सका) वरना स्थानीय

पुलिस तो उपद्रवियों के सामने हथियार डाल चुकी थी और थाना परिसर में उपस्थित पुलिसजनों के परिवार भी खेतों में भाग गए थे। धारा-144 एवं कर्फ़्यू की धज्जियाँ उड़ने पर भी काफ़ी रोष था। एक गवाह ने यह भी कहा कि जाट समुदाय के युवा अब भी व्यक्तिगत स्तर की लूट-खसोट में लगे हुए हैं और दहशत के मारे व्यापारी को उनकी सेवा-पानी करनी पड़ती है इस लिए दोषियों को दंडित करना बहुत जरूरी है।

3(xii).4 21 तारीख को सैनी धर्मशाला में गैर-जाट समुदाय की बैठक हुई, जिसमें समीक्षा, सुरक्षा व उग्रता के भाव प्रकट हुए। 22 तारीख को व्यापार मण्डल की बैठक हुई एवं दो दिन दुकाने बंद रखी गईं एवं भूख हड़ताल की गई, जो सरकार के मंत्री और भाजपा अध्यक्ष के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई। सांसद श्री राज कुमार सैनी के प्रति कुछ लोगों ने मजबूत समर्थन प्रकट किया, यहाँ तक कि उन्हें गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला मसीहा बताया।

3(xii).5 दुकानों में हुए नुकसान के लिए मिले मुआवजे से लोग आम तौर पर संतुष्ट थे परन्तु वाहनों का मुआवजा न मिलने की शिकायत की गई। दो गवाहों ने यह भी कहा कि मुआवजा मिले न मिले परन्तु दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। एक घायल भी आयोग के सामने उपस्थित हुआ। उसने यह भी बताया कि उस पर घर बैठे हमला हुआ जब हिंसक भीड़ वापिस जा रही थी। उसका घर मुख्य बाजार के पास ही है। उसके अनुसार सब आन्दोलनकारी एक जैसे हथियार (गंडासी) लिए हुए थे जो एक योजनाबद्ध हमले को इंगित करता है।

3(xiii) पानीपत की जन-सुनवाई की रपट

3(xiii).1 जन-सुनवाई की तारीख 9 अप्रैल 2016, पानीपत जिले में जन-सुनवाई दो जगह 9 बजे से 11.30 बजे के बीच हुई। रानी महल मुहल्ले की धर्मशाला तथा सिवाह गाँव में सरपंच के घर/दफ्तर में जन-सुनवाई हुई। यहाँ दोनों जगह 5-5 लोगों की गवाही हुई। रानी मोहल्ले की सुनवाई में उपस्थित तो जाट समुदाय के लोग भी थे परन्तु गवाही अन्य जातियों के लोगों ने ही दी जिनमें दलित, सैनी एवं पंजाबी शामिल थे। सिवाह में एक दलित एवं 4 व्यक्ति जाट समुदाय से आयोग के सामने उपस्थित हुए। इसके आधार पर यह घटनाक्रम उभरता है।

3(xiii).2 कई लोग यह मानते हैं कि पानीपत में कोई हिंसा नहीं हुई। इस लिए शहर में जन-सुनवाई की आवश्यकता पर भी प्रश्न-चिह्न थे परन्तु जन-सुनवाई में यह पता चला कि शहर में भी हिंसा हुई थी। पानीपत-दिल्ली रोड पर सिवाह गाँव में मुख्य धरना था और राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 1 पर जाम लगाया गया था। स्थानीय रास्ते भी जगह-जगह जाम किए गए थे। एक गवाह ने बताया कि 'भात न्योतने' आई अपनी बहन को बड़ी मुश्किल से वापिस पहुँचाया और बड़ी मुश्किल से शादी में शामिल हो पाए। रोड-जाम के अलावा पानीपत के सैक्टर 11, 12 एवं 25 में हिंसात्मक घटनाएँ भी हुई। 21 फरवरी को मोटर साइकिल सवार 25-40 उपद्रवी युवकों ने हो-हल्ला एवं हवाई फ़ायर करके दहशत फैलाने की कोशिश की। ये सनोली एवं बबैन दिशा से आए बताए गए। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। एक पैट्रोल-पम्प पर आग भी लगाई परन्तु आग के उग्र होने से पहले वे वहाँ से भाग लिए और आग को बिना किसी विशेष नुकसान के बुझा लिया गया। सैक्टर 25 में स्थित मित्तल माल के बाहर पिज़्ज़ा डिलिवरी हेतु खड़े मोटर साइकिलों को आग लगा दी गई। सब्जी मंडी में भी शाम 3.30-4 बजे के बीच हवाई फ़ायर किए गए जिस से दहशत फैल गई और भगदड़ मच गई। जिससे कई दुकानदारों का सामान खराब हो गया। फ़ायर करने वालों को पकड़ लिया गया और पीटा गया

परन्तु वे छूट कर भागने में कामयाब हो गए। उत्पातियों की गाड़ी को भीमगौड़ा मंदिर के पास आग लगा दी गई। बाद में आग लगाने वाले को गिरफ़्तार कर लिया गया। 'किले' पर भी हिंसा का प्रयास हुआ पर स्थानीय लोगों के बड़ी संख्या में होने के कारण उपद्रवियों को भागना पड़ा। गवाहों द्वारा स्थानीय भाजपा विधायक एवं प्रधानमंत्री द्वारा चुप्पी को भी रेखांकित किया गया।

3(xiii).3 एक गवाह के अनुसार प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के बजाय अफ़वाहों को हवा दी और बाजारों के प्रधानों को फ़ोन करके, चढ़ाई करने वाली भीड़ का हवाला दे कर दुकानों को बंद रखने का दबाव बनाया। इनके अनुसार अगर प्रशासन के कहने पर बाजार बंद हो जाते तो यहाँ भी रोहतक वाला हाल होना था, यानी बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी होती। बाजार खुला होने के कारण ज़्यादा लूटपाट होने से बच गई। वहीं शहर के कई लोगों ने सिवाह गाँव के लोगों द्वारा आन्दोलनकारियों को शहर आने से रोकने के चलते पानीपत में तुलनात्मक रूप से कम हिंसा का श्रेय दिया।

3(xiii).4 सिवाह गाँव में 19 तारीख को धरने और जाम के प्रयास हुए और 20 तारीख से लेकर 21 तारीख की शाम तक पूरा समय धरना और रोड-जाम चला। हालांकि पहले से दूसरे स्थानों पर रोड-जाम होने से यातायात तो वैसे भी नाम-मात्र था। सिवाह गाँव वालों के अनुसार इस धरने मे मुख्य भूमिका दूसरे गाँव से आए जाट आन्दोलनकारियों की थी और 'हमें तो परिस्थितिवश इसमें शामिल होना पड़ा। 5 से 7 हजार की भीड़ थी। हमारा सारा ध्यान इस बात पर था कि शांति बनी रहे और आन्दोलनकारी शहर में न जाएँ और इस में हम सफल हुए।' इसमें महिलाओं ने मुख्य भूमिका निभाई जिसके चलते 8 मार्च को प्रशासन द्वारा सिवाह गाँव की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। शांति बनाए रखने के प्रयासों के पीछे दो विशेष कारण भी रेखांकित किए गए। एक तो 80 के दशक में हुए रेल-रोको आन्दोलन से, जिसमें भी मुख्य भूमिका दूसरे गाँव के लोगों की थी, गाँव की बहुत बदनामी हुई थी, यहाँ तक कि 'न सिवाह में लड़की दो और न सिवाह की लड़की लो' का नारा भी लग गया था। दूसरा, अब यह इलाका औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। अगर एक बार आगजनी शुरू हो जाती तो स्वयं गाँव इसकी चपेट में आ जाता।

3(xiii).5 यह भी बताया गया कि अगर शुरू में ही, 19 तारीख को जब संख्या बहुत कम थी, पुलिस कार्यवाही करती तो धरना लगता ही नहीं। धरने से गाँववासी भी परेशान हुए क्योंकि वे भी कहीं आ-जा नहीं सके। धरना 21 तारीख को शाम 5 बजे उठा लिया गया था। एक बुजुर्ग के अनुसार आरक्षण-आन्दोलन ने गलत दिशा ले ली थी और अगर तोड़ फोड़ करने वालों को सजा मिलती है तो हमें कोई दुख नहीं होगा।

3(xiv) मुरथल की रपट

3(xiv).1 तारीख 9 अप्रैल 2016, यहाँ पर एक गाँवए लड़सोली, जहाँ 22 तारीख को गोली चली थी, में एक घायल से बातचीत हुई। वहाँ घटनास्थल के पास स्थित बाल्मीकि बस्ती में महिलाओं और युवाओं से भी बातचीत हुई। मुरथल के एक ढाबा संचालक, जुरासिक पार्क मैनेजर, वर्तमान थाना इंचार्ज एवं आस-पास के दो अन्य लोगों सहित कुल 10 लोगों से बातचीत हुई। इसके आधार पर निम्नलिखित घटना क्रम उभरता है।

3(xiv).2 यहाँ तीन स्थानों पर धरना और रोड-जाम हुआ था। हसनपुर-कुराड़ चौक पर मुरथल का मुख्य जाम था। इसके अलावा कामासपुर और लड़सोली के पास भी जाम था। वैसे तो इलाका 17-18 तारीख से ही तनावग्रस्त था (एक ढाबा संचालक ने बताया कि 17-18 से ही उनका ढाबा बंद था) परन्तु ज़्यादा हिंसा 20 तारीख से शुरू हुई। 20 तारीख की रात को 10-10.30 बजे जुरासिक पार्क में कमासपुर धरना-स्थल की ओर

से आई लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया, मुख्य द्वार तोड़ दिया एवं अंदर आकर भी तोड़फोड़ की। इसके बाद किश्तों में बार-बार यहाँ उत्पात चलता रहा। 100 नम्बर पर फ़ोन करने पर पुलिस ने अपनी असमर्थता जताई। उसके बाद 21 तारीख को दोपहर 1.30-2 बजे फिर आगजनी शुरू हो गई। वहीं स्थित एक शिक्षण संस्थान जो स्थानीय सांसद (श्री रमेश कौशिक) के भाई से सम्बन्धित है, में आगजनी और लूटपाट हुई, उस संस्थान के सामने स्थित एक पेट्रोल-पम्प से पेट्रोल लूटा गया। सरकारी पेट्रोल-पम्प पर आगजनी के प्रयास हुए जो समझाने-बुझाने से रुक गए। इस दौरान सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। 2 दिन पहले से जाम में फंसे एक दूध के टैंकर को भी 21 तारीख को ही आग लगाई गई।

3(xiv).3 जुरासिक पार्क के मैनेजर ने बताया कि जुरासिक पार्क में 19 तारीख को हुई शादी के मेहमान वापिस नहीं जा पाए एवं वहीं फंसे हुए थे। उन्हें 20 तारीख को 11 बजे जुरासिक पार्क के पीछे स्थित साथ लगते धार्मिक-स्थल ओम शांति आश्रम में पहुँचा दिया गया था। 21 तारीख को सुबह फ़ौज ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जिसे पार्क के समीप के दोनों धरना-स्थलों, कमासपुर और हसनपुर-कुराड़, से आई भीड़ ने नहीं होने दिया और फ़ौज को वापिस लौट जाना पड़ा। उसके बाद पूरा दिन लूटपाट और आगजनी चलती रही। उपद्रवी आते-जाते रहे। इस आगजनी में शामिल रहे एक उत्पाती व्यक्ति की लाश भी बाद में भवन की ऊपरी मंजिल पर मिली जिस की पहचान पड़ोस की एक फैक्ट्री में काम करने वाले उत्तर प्रदेश निवासी के रूप में हुई जो लूटपाट के दौरान लगी आग से बच नहीं पाया। 2-3 अन्य उत्पाती आगजनी में फंस कर या आग लगे भवन से कूदने के दौरान घायल भी हुए। यह लूटपाट लगभग साँय 7 बजे तक चलती रही। उपस्थित मैनेजर कुल नुकसान के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। आयोग ने वहाँ हुई भीषण आगजनी का जायजा लिया। मेहमानों की दो गाड़ियों सहित कुल 6 गाड़ियाँ जुरासिक पार्क में जली बताई गईं।

3(xiv).4 21 फरवरी को केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आरक्षण आन्दोलनकारियों की बैठक में आन्दोलन वापिस लिए जाने की घोषणा कर दी गई। जिसके चलते उस दिन शाम को कुछ आन्दोलनकारी सड़क से हटना शुरू हो गये, वहीं कुछ अन्य ने लिखित समझौता दिखाए जाने की जिद्द की। उन्हें हटाने व सड़क खुलवाने की अफरा तफरी में पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। रात होते होते पुलिस ने जाम में फंसे हुए वाहनों को सुरक्षा घेरे में चलाना शुरू किया। दोनों तरफ से यातायात शुरू हो गया। मगर रात को 2.30-3.00 बजे उपद्रवी तत्वों पुनः इकठ्ठे होकर वाहनों पर बेरहम हमला किया। जिसमें वाहनों को जलाना, सवारियों से दुर्व्यवहार व लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। यह भी कहा गया है कि कुछ महिलाओं के साथ यौनिक अपराध/गैंग रेप जैसी घटनाएँ भी हुई। एक ढाबा मालिक ने बताया कि कुछ परिवार जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, बदहवास हालत में उनके ढाबे में शरण लेने आये थे। इस संदर्भ में 'दी ट्रिब्यून' में 24 फरवरी की एक खबर का हवाला यहाँ दिया जा सकता है। इसके अनुसार 21 फरवरी की रात को मुरथल के पास महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएँ हुई। इसके बाद पंजाब एव हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने विशेष जांच दल गठित किया। जिसने बाद में इस मामले में दर्ज हुए मुकद्दमे में एक गवाह बॉबी जोशी के बयान के आधार पर आई पी सी की धारा 354 के तहत महिलाओं से छेड़छाड़ की एक एक एफ.आई.आर. दर्ज की गई। जिसे बाद में गैंग रेप में बदल दिया गया। इसी बीच 'फर्स्ट पोस्ट' नामक वेब पोर्टल ने भी स्टोरी करते हुए बलात्कार होने की बात कही थी।

3(xiv).5 इस सम्बन्ध में घटनाक्रम इस प्रकार हुआ प्रतीत होता है। पानीपत निवासी ने एक व्यक्ति ने बताया कि 21 फरवरी को जाम खुलने की ख़बरों के बाद वह दिल्ली से पानीपत के लिए चला तो रास्ते में रास्ता

जाम होने की वजह से फंस गया।। उस दौरान उसने देखा कि सड़क पर 100 के करीब मोटर साइकिल सवार उत्पात मचाते हुए इधर-उधर आते-जाते रहे और उन्होंने कम से कम 30 जली हुई गाड़ियाँ देखीं। समझौते से नाराज, निराश व इसकी जानकारी ना मिलने, सुरक्षा बलों द्वारा बलपूर्वक धरने हटाये जाने से उत्तेजित व मूनक नहर को चालू करवाने के लिए फ़ोर्स द्वारा गोली चलाये जाने से दो लोगों के मारे जाने के फलस्वरूप 22 तारीख को आस-पास के कई गाँवों और अन्य धरना-स्थलों से भारी भीड़ लड़सोली चौक पर इकट्ठी हो गई। वहाँ पर उनकी सुरक्षा-बलों से झड़प हुई जिसके चलते सुरक्षा-बलों ने दोपहर 2-2.30 बजे गोली चलाई। इस गोली-बारी के बाद शाम तक यातायात खुल गया।

3(xiv).6 इस गोली-बारी में 5-6 लोगों की मृत्यु हुई बताई गई, 3 की मौके पर और अन्य की इलाज के दौरान। इसमें लड़सोली के गाँव के दो युवा भी घायल हुए जिनमें से एक, सुमित, से आयोग मिल पाया। सुमित ने बताया कि वह एक कम्पनी में नौकरी करता है और उस दिन खेत से लौट रहा था जब वह घायल हुआ। उसके पैर में गोली लगी थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सुरक्षा-बलों ने उन्हें पीटा भी जिसके चलते सिर में लगी चोट की वजह से वह 15-20 दिन हस्पताल में भी रहा। इलाज के लिए प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं मिली और कटवाल गाँव के किसी व्यक्ति ने हस्पताल के खर्चों का भुगतान किया। बाद में खापों की तरफ़ से भी कुछ सहयोग मिला है।

3(xiv).7 मुरथल थाने का सारा स्टाफ बदल दिया गया है। इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई परन्तु ऊपर वर्णित घटनाक्रम की लगभग पुष्टि हुई, विशेष तौर पर इस बात की कि 21 तारीख को एक बार जाम खुलने के बाद दोबारा जाम लगा और यह कि फ़ौज को भी हैलीकाप्टर की सहायता से ही लाना पड़ा। मूनक नहर से दिल्ली की ओर पानी खुलवाने के लिए भी गोली चलानी पड़ी जिस से दो लोगों की मौत हो गई। मुरथल थाने में 16 एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं और उन में 42 लोगों को गिरफ़्तार किया गया जिन में से 31 जाट समुदाय से सम्बन्धित हैं।

3(xiv).8 जहाँ तक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात है, जैसे अखबारों में आ चुका है, दोनों तरह की बातें सुनने को मिलीं। एक ढाबा-मालिक के बेटे ने बताया कि महिलाएँ यहाँ आकर छुपीं तो जरूर थीं, बल्कि गाड़ी चलती (स्टार्ट) छोड़ कर भाग कर ढाबे के पीछे जाकर छुपी थीं, परन्तु दुष्कर्म से ढाबा-मालिक के बेटे ने इनकार किया (इस बीच उस ढाबे में कई लोग ऐसे थे जो ग्राहक प्रतीत नहीं हो रहे थे, सम्भवत: सी.आई.डी. के लोग थे। ढाबा मालिक का बेटा आयोग से बातचीत अधूरी छोड़कर इनसे मिलकर आया। इससे पुलिस/प्रशासनिक दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता)। ढाबा-मालिक के अनुसार बाद में सुरक्षा-बल आकर उनको ले गए। दूसरी ओर गाँव के कुछ लोगों ने उसी ढाबे के सामने बणी (पेड़ों के झुरमुट) में ही महिलाओं को खींच ले जाने और अंतर्वस्त्र मिलने की बात कही। 3 अप्रैल को रोहतक में हुई सुनवाई में जनवादी महिला समिति की प्रतिनिधि ने बताया था कि पहले जब उनकी टीम छानबीन करने पहुँची तो गाँव की बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्होंने सुबह-सुबह एक महिला को बिलकुल निर्वस्त्र जाते देखा और गाँव वालों ने उसे शाल उढ़ाई थी परन्तु बात आगे जारी रखने से पहले ही उसके बेटे ने उन्हें चुप रहने को कह दिया। मुरथल कांड की निष्पक्ष जांच के लिए प्रयासरत संगठन की नेत्री ने यह भी बताया कि उच्च न्यायालय में सुनवाई के संदर्भ में जब वह वकील से मिल कर बात कर रही थी तो उनको कई फ़ोन किए गए। उससे पहले वहीं पर, अदालत परिसर में ही, इस मामले से सम्बद्ध एक वकील की पिटाई का नम्बर आने की बात भी उनको सुनाकर कही जा रही थी।

3(xiv).9 कुल मिला कर असुरक्षा का आलम यह है कि लड़सोली गाँव में बाल्मीकि समुदाय की बस्ती जिनका सीधे-सीधे कोई नुकसान नहीं हुआ है, वहाँ पर भी गली के मुहाने पर अब गेट लगा दिया गया है।

3(xv) गोहाना की जन-सुनवाई की रपट

3(xv).1 जन-सुनवाई की तारीख 9 अप्रैल 2016। जन-सुनवाई समता चौक स्थित एक भवन में शाम 5.30 बजे से 7.30 बजे के बीच हुई थी। हालांकि वहाँ 30-40 व्यक्ति उपस्थित थे, गवाही देने के लिए केवल 10 लोगों सामने आये। गवाहों में एक सक्रिय आन्दोलनकारी के अलावा अन्य व्यक्ति पीड़ित थे जो दलित, पंजाबी एवं सैनी समुदाय से थे।

3(xv).2 गोहाना में उपद्रव की सक्रिय शुरुआत 19 तारीख को ही हो गई थी। उस दिन देर शाम को अफरातफरी मचने पर अचानक शहर बंद हो गया था। उसके बाद उपद्रवियों के एक समूह ने बस अड्डे पर 5 मोटर साइकिलों को जला दिया इसके अलावा 18 बसों को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। 20 तारीख को सुबह के समय 40-45 ट्रैक्टर ट्रालियों में गाँवों से आई डी.जे. एवं हथियारों से लैस भीड़ बाजारों से होकर गुजरी और आते-जाते खटीक बस्ती, पालिका बाजार, रोहतक गेट, बस अड्डा इत्यादि पर लूटपाट, मारपीट और आगजनी की घटनाओं को भीड़ द्वारा अंजाम दिया गया। ये घटनाएँ एक बार में नहीं हुईं और भीड़ आती-जाती रही एवं लूटपाट करती रही। एक दलित महिला ने बताया कि दहशत का ऐसा माहौल था कि सुबह से घरों में खाना ही नहीं बना एवं उस ने चंडीगढ़ में कार्यरत अपने पति से 'आखिरी बातचीत की एवं बच्चों की भी उनके पापा से अंतिम बातचीत करवाई।' दुकानों के ऊपर स्थित घरों पर भी पथराव किया गया। शाम को 6 बजे के करीब आधा घंटा तक गोलियाँ चलने का दावा भी किया गया।

3(xv).3 हालांकि इस दौरान मुख्य तौर से गैर-जाट समुदाय के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया जिन में दलित, पंजाबी एवं सैनी इत्यादि शामिल थे, परन्तु इस बीच शहरवासियों यानी गैर-जाट समुदाय द्वारा जाट समुदाय की कुछ दुकानों को भी आग लगा दी गई। 20 तारीख दोपहर बाद को शहर निवासियों की एक भीड़ स्थानीय विधायक, जो जाट समुदाय से हैं, के निवास पर गई एवं वहाँ कुछ लोगों ने पथराव किया। विधायक-निवास पर विशेष नुकसान नहीं होने की बात कही गई। परन्तु इस घटना के चलते गाँवों से जाट समुदाय के लोग विधायक-निवास पर उन की सुरक्षा हेतु इकट्ठे होने लगे। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार 20 फरवरी की शाम को ही विधायक-निवास पर जाट समुदाय की हजारों की उग्र भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उन्होंने यहाँ पर पुलिस द्वारा हवाई फ़ायर करने का दावा भी किया। इसके बाद शहर के समता चौंक पर आकर विधायक निवास की तरफ से आई भीड़ ने दुकाने जलायी, लूटी व ताबड़ तौर फायरिंग की गई। एक गवाह ने यह बताया कि 21 तारीख को मुख्य बाजार में जहाँ ज़्यादा दुकानें पंजाबी समुदाय की थीं, दुकानदार सुरक्षा को लेकर मोर्चेबंदी कर रहे थे, तो वहाँ पर विधायक ने आकर कहा कि मेरे निवास पर एकत्रित जाट समुदाय के लोगों में रोष है। आप आकर कल शाम की मेरे घर पर पथराव की घटना के लिए खेद प्रकट कर दें वरना किसी अप्रिय घटना के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊँगा। इस पर, मतभेद होने के बावजूद, कुछ लोग विधायक-निवास पर जा कर माफ़ी मांग आए। इस बीच सुरक्षा-बलों के पहुँचने से माहौल कुछ शांत हुआ। इसके साथ-साथ शहरवासियों द्वारा पहरे की व्यवस्था भी चालू कर दी गई थी जिससे भी गाँवों से आने वाली भीड़ पर कुछ रोक लगी। एक गवाह के अनुसार 21 तारीख को रात में अनाज मंडी में जाट आन्दोलनकारी इकट्ठे भी हुए परन्तु तब तक 'जनता अपने

पाँव पर खड़ी हो चुकी थी, देवीपुरा बस्ती में एस.सी.बी.सी वर्ग ने मोर्चाबंदी कर ली थी, जिससे उत्पातियों की पार नहीं बसाई'।

3(xv).4 गोहाना में बस स्टैंड के पास गोलीबारी करने वाली व आगजनी कर रही भीड़ ने विक्रम नाम के एक दलित समुदाय के नौजवान की हत्या कर दी। उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं। उसकी माँ ने उपस्थित होकर यह बताया कि सरकारी सहायता के 10 लाख रुपये मिल गए हैं परन्तु 'ना रोजगार बाबत कोई कार्यवाही हुई है और ना मेरे बच्चे के हत्यारे पकड़े गए हैं'। अन्य घायल व्यक्तियों, जिनमें से तीन आयोग के सामने पेश हुए, को हस्पताल में इलाज के दौरान बाहर से कुछ सामान और दवाइयाँ मंगानी पड़ीं और इसके लिए उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़े। घायलों को अब तक न कोई मुआवजा मिला है और न ही इलाज-खर्च की भरपाई हुई है। यह इसके बावजूद है कि इनमें से कई मामलों में तो एफ.आई.आर. भी दर्ज हो चुकी है।

3(xv).5 सभी गवाह मुआवजे के मामले में परेशान थे। जहाँ एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी दुकान में जितना कबाड़ अब भी रखा है मुझे उसका ही मुआवजा मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा और पूरी तरह जले सामान की बात भूल जाऊँगा, वहीं एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि मुझे केवल दो लाख मुआवजा मिला है, मैं यह वापिस कर देता हूँ, मेरी दुकान दोबारा बनवा दी जाए। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि बीमा करवाने वालों का क्या कसूर है, सरकार कहती है कि जिन का बीमा है वे बीमा कम्पनी से भरपाई करवाएँ और 'सब को पता है कि बीमा से कभी पूरे नुकसान का भरपाई नहीं होती'। पालिका बाजार में क्षतिग्रस्त दुकानों की मालिक नगर-पालिका है और उसे ही दुकानों की मुरम्मत करवानी है जो अब तक नहीं हुई है। इन दुकानदारों का कहना है कि दुकानों की मुरम्मत तुरन्त करवाई जाए ताकि वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। एक दुकानदार ने मांग उठाई कि हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में एक कोटा आरक्षित किया जाए एवं लूट-पाट और हिंसा में हुए सम्पत्ति के नुकसान के अलावा कमाई में आए अवरोध की भरपाई भी की जाए। एक उच्च-शिक्षित दलित दुकानदार ने बताया कि 'एक ओर उच्च शिक्षा-प्राप्त और आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होने के बावजूद न केवल उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली अपितु उनके परिवार में स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षित 7 सदस्यों में से केवल एक को नौकरी मिली है, दूसरी ओर दुकानदारी भी ठप हो गई है। सरकार ने सामान के नुकसान की ही भरपाई नहीं की है, कंप्यूटर में दर्ज डाटा, जो मेरे काम के लिए अमूल्य है, की भरपाई का क्या जिक्र करें। इसके अलावा अभी तक नगर-पालिका द्वारा उनकी दुकान की मुरम्मत ही नहीं कारवाई गई है जिसके चलते वे काम-धंधा भी शुरू नहीं कर पाए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने बिजली बिल माफ़ी की घोषणा की थी परन्तु इसके बावजूद बिजली के बिल आ रहे हैं, इन्हें भरें तो दिक्कत और न भरें तो जुर्माने का ख़तरा। इससे तो अच्छा था कि सरकार इस रियायत की घोषणा ही न करती'।

3(xv).6 जहाँ तक प्रशासन की भूमिका की बात है, हालांकि अधिकांश गवाह सरकार को ही इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और पुलिस को मूक दर्शक मानते हैं परन्तु एक गवाह ने बताया कि पहली बार, पड़ोसी की दुकान में आगजनी होने पर तो फ़ायर-ब्रिगेड (अग्निशमन सेवा) की गाड़ी मौके पर पहुँच गई थी परन्तु फिर उस पर पथराव होने के चलते जब उस व्यक्ति की अपनी दुकान में आग लगी तोए अग्निशमन सेवा ने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने तत्कालीन एस.डी.एम. द्वारा मुआवजे हेतु किए गए अनथक प्रयासों का जिक्र भी किया।

3(xv).7 आयोग के सामने प्रस्तुत एक सक्रिय, अधेड़ उम्र के जाट आरक्षण आन्दोलनकारी ने कहा कि मुझे यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि जाट-आरक्षण आन्दोलन दिशाहीन हो गया था एवं संगठनों और खाप

नेताओं के हाथ से निकल कर आवारा, बेरोजगार तबके के हाथ में चला गया था। उन्होंने यह दावा किया कि 17 तारीख को सरकार/मुख्यमंत्री से हुई बातचीत में श्री हवा सिंह सांगवान समूह ने सरकार को भी इससे अवगत करवा कर अपने तरीके से आन्दोलनकारियों से निपटने को कह दिया था। उन्होंने दावा किया कि अलग-अलग संगठनों से जुड़े नेताओं, खाप नेताओं के साथ कई धरना-स्थलों पर धक्का-मुक्की/पिटाई भी हुई है। उन्होंने माना कि हवा सिंह सांगवान द्वारा मुख्य मंत्री को 'पाकिस्तानी' कहने से भी माहौल खराब हुआ है। अपने आपको आन्दोलन से दूर करते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्होंने मारे गए युवकों के परिवारों के लिए एकत्रित किए जाने वाले चंदे में सहयोग करने से भी मना कर दिया है।

4. जनसुनवाई के निष्कर्ष

4.1 14-23 फरवरी 2016 का जाट आरक्षण आन्दोलन लोक मानस में नायकों-प्रतिनायकों के निशान छोड़ गया है। सारत:, यह दौर एक दिशाहीन आर्थिक परिदृश्य में राजनैतिक बिजलियों की मार्गदर्शक कौंध और कानून व्यवस्था की आश्वस्तकारी कड़क के नदारद रहने का गवाह बनाए जिसका खामियाजा हरियाणा वासियों ने भुगता। आम धारणा है कि असुरक्षा व अविश्वास की दिलो-दिमाग में घर कर गई धारणा आसानी से नहीं जाएगी, चाहे आर्थिक नुकसान की भरपाई हो भी जाए। जो 31 जानें गई हैं उनकी तो क्षतिपूर्ति हो ही नहीं सकती। आज जमीनी स्थिति यह है कि पीड़ित तबके मुआवजे की सरकारी प्रणाली से बेहद असंतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि भविष्य में भी ऐसी अराजक स्थिति आ सकती है और वे सुरक्षा के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते। जन सुनवाई के निष्कर्षों को समझने के लिए उन्हें क्रमश: कानून व्यवस्था, राजनीतिक, आर्थिक और सामजिक खांचों में बांटा जा सकता है।

4(i) कानून व्यवस्था

4(i).1 फरवरी 2016 के जाट आरक्षण आन्दोलन के दौरान हरियाणा वासियों को सबसे ज्यादा निराशा कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हुई है। ना केवल समाज के विभिन्न तबकों व नागरिकों ने व्यक्तिगत रूप से चिंता प्रकट की है बल्कि स्वयं सरकारी अधिकारियों व मंत्रियों तक ने कानून व्यवस्था को बेहद असंतोषजनक करार दिया है। हिंसा की सर्व व्यापकता का आलम यह था कि एक और आन्दोलनकारियों में यह धारणा थी कि बिना हिंसा के सरकार कुछ नहीं देती तो दूसरी और पीड़ितों और विवेकशील समाज इस हताशा का शिकार था कि सरकार ने समाज को उपद्रवियों के रहमोकरम पर छोड़ दिया।

4(i).2 हिंसा के तीन चरण स्पष्ट देखने को मिलते हैं। पहला, जिसमें एक रणनीति के तौर पर सड़क व रेल मार्ग को 14 फरवरी 2016 से अवरुद्ध किए गया। दूसरा, जिसमें 19 फरवरी से सरकारी सम्पति को निशाना बनाया जाता है। तीसरा, जिसमें सोच समझ कर या प्रतिक्रिया स्वरूप व्यापारिक प्रतिष्ठानों व रिहाइशी स्थानों पर हमले/प्रति हमले हुए।

4(i).3 तीसरे चरण की हिंसा का भी एक पैटर्न देखा जा सकता है। जिसमें शहर दर शहर पहले छोटे समूह (20 से 100) जाट आरक्षण के समर्थन में नारे लगाते व आतंकित करते हुए निकलते हैं, मगर उन्हें कानून व्यवस्था मशीनरी की तरफ से टोका-टोकी नहीं की जाती। हालांकी पुलिस की उपस्थिति वहां होती है। जिसके बाद कहीं कहीं शहर के अन्दर नागरिकों की स्वत: स्फूर्त रक्षात्मक गोलबंदी होती है, तो कहीं तथाकथित '35 बिरादरी' या 'ओ बी सी ब्रिगेड' की आक्रामक गोलबंदी नजर आती है। दोनों और से उकसावे के लिए जातीय नारेबाजी, अपमानजनक टिप्पणियाँ, नायकों की प्रतिमाओं का खंडन, जातीय पहचान से जुड़ी संस्थाओं/प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुचाना। अंतिम चरण में सैन्य बलों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, रिहाइशी मोहल्लों पर विशाल व अनियंत्रित उग्र भीड़ द्वारा सीधा आक्रमण। जिसमें लूटपाट, आगजनी व हत्या तक को अंजाम दिया जाता है।

4(i).4 कानून व्यवस्था बिगड़ने व हिंसा भड़कने के ट्रिगर पॉइंट चिन्हित किये जा सकते हैं। जैसे 18 फरवरी को रोहतक, के अदालत परिसर के बाहर वकीलों व तथाकथित '35 बिरादरी' समूह के बीच टकराव। उसके बाद नेकी राम कॉलेज व जाट कॉलेज के छात्रावास में घुस कर छात्रों की पुलिस द्वारा अंधाधुंध/बेरहम पिटाई। 19 फरवरी को रोहतक में रूट मार्च करते पुलिस/सैन्यबल का दिशाहीन पलायन। 19 फरवरी को झज्जर, बाजार में आरक्षण समर्थक उत्पाती समूह द्वारा केन्द्रीय सैन्यबलों पर हमला, तथाकथित '35 बिरादरी' का सर छोटू राम किसान धर्मशाला पर हमला। 20 फरवरी को हांसी, के गाँव जग्गा बाड़ा में दो समुदायों के कुछ लोगों के बीच उन्मादी झड़प। 19 फरवरी को कलायत, के कैंची मोड़ पर आरक्षण समर्थकों का आक्रामक धरना। 21 फरवरी को मुरथल, में सुरक्षा बलों के हाथों चोट खाए उत्पातियों का तांडव। 22 फरवरी को महम, में एस डी एम वीना हुडा पर हमला व उसकी गाड़ी जला दिया जानाए दुर्व्यवहार की अफवाहें फैलना व अगले ही रोज उनका तबादला।

4(i).5 शासन/प्रशासन की बदहवास प्रतिक्रिया रही। किसी सुनियोजित रणनीति का नामोनिशान दिखाई नहीं दिया। एक ही स्थान पर कुछ अंतराल के बाद एक से अधिक बार नियोजित हमले होना व बार बार सूचित करने पर भी पुलिस की चुपी व निष्क्रियता का पैटर्न इस दौर का प्रशासनिक ट्रेड मार्क बन गया। दूसरा, ट्रेड मार्क रहा, आक्रामक भीड़ के समक्ष पुलिस बलों का समर्पण भरा पलायन। इसके बरक्स सशत्र बलों की साख की कीमत पर उन्हें एक विस्फोटक परन्तु पूर्णत सिविल/नागरिक असंतोष की स्थिति में अन्धाधुंध झोंकना किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। इससे ना केवल बल प्रयोग की स्थिति में अधिक मौते हुई बल्कि आम लोगों में सेना की क्षमता को लेकर भी प्रश्न खड़े हो गए।

4(i).6 दरअसल राज्य में उस दौर की कानून व्यवस्था की स्थिति को नीतिगत पक्षाघात (पालिसी पैरालिसिज) कहना ही उचित होगा। यह छिपा हुआ नहीं है कि पुलिस ना पेशेवर रहने दी गई है और ना ही सत्ता–सरंचना से निरपेक्ष रहने दी गई है। हरियाण के वर्तमान परिद्रश्य में यह समीकरण और भी निराशाजनक हो गया क्योंकि तमाम नाजुक व महत्वपूर्ण पदों (जिला व राज्य स्तरीय) पर नियुक्तियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का दखल भी बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। स्वयं तात्कालिक पुलिस माहानिदेशक को संघ लॉबी दुवारा ही नियुक्त करवाया गया था। साथ ही, पुलिस महानिदेशक और सी आई डी प्रमुख के आपसी टकराव ने भी पुलिस पदानुक्रम को काफी समय से प्रभावित किया है। नागरिक प्रशासन व पुलिस प्रशासन के बीच तालमेल की कमी ने भी समय रहते रणनीति बनाने और त्वरित कार्रवाई करने में बाधा पहुंचाई है।

4(i).7 पुलिस नेतृत्व का रणनीतिक पक्ष बेहद कमजोर सिद्ध हुआ। हर जगह पुलिस को भीड़ के सामने स्वयं भीड़ में बदलते देखा जा सकता है। जो आधे अधूरे मन से काम करते हुए अपनी रक्षा करने में असमर्थ नजर आ रही थी। कुछ पुलिस अधिकारियों पर खुले आम पक्षपात व कायरता के आरोप भी हैं। सबसे अधिक रेखांकित होने वाला आयाम यह है कि पुलिस का स्थानीय समुदाय से विश्वासपूर्ण सम्बन्ध नदारद था। इसके चलते पुलिस ना तो आन्दोलनकारियों को सामुदायिक अनुशासन में रख पाई और ना ही सामन्य नागरिकों में सुरक्षा विश्वास की भावना भर पाई। समाज में असुरक्षा का माहौल इस कदर व्याप्त है कि शहर दर शहर लोग अपने मौहल्लों के बाहर लोहे के मजबूत गेट लगवा रहे हैं। वहीं जन आयोग को हर जन सुनवाई में गवाहों ने बताया कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएँ दोहराए जाने की उन्हें आशंका आज भी है। जबकि पुलिस प्रशासन उन्हें सुरक्षा दे पायेगा इसमें उन्हें संदेह है। लोगों ने जगह जगह कहा कि वे अपनी सुरक्षा के लिए जो भी उपाय जरूरी है, वे स्वयं करने को बाध्य होंगे। जाहिर है इससे समाज में एक बेहद विस्फोटक स्थिति बनने की जमीन तैयार हो रही है।

4(i).8 कानून व्यवस्था के इस तरह ध्वस्त हो जाने के संदर्भ में उपलब्ध आसूचना (इंटेलिजेंस) पर भी सवाल उठने स्वाभाविक है। जन आयोग के पास यह जानने का कोई साधन मौजूद नहीं है कि सूचना तन्त्र ने किस कुशलता से अपना काम किया। जबकि 15 अप्रैल के हिंदुस्तान टाइम्स की एक रपट में बताया गया कि खुफिया एजेंसियों की तरफ से 110 बार हालात की गंभीरता के बारे में चिंता जताई गई लेकिन राज्य सरकार ने उपेक्षा ही जाहिर की। इतना तय है कि जमीनी रणनीति में पुलिस बल पूरी तरह दिशाहीन नजर आया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से नियमित रूप से फैलाई जा रही अफवाहों के प्रभाव को निष्क्रिय नहीं किया जा सका। आन्दोलन समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद राज्य सरकार ने पुलिस प्रमुख व सी आई डी प्रमुख दोनों को बदल दिया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों को ही कानून व्यवस्था की असफलता के लिए जिम्मेवार माना गया है।

4(ii) राजनीतिक

4(ii).1 क्योंकि आरक्षण का आधार जातिगत पिछड़ापन रहा है, स्वाभाविक है कि आरक्षण की नई मागें या विरोध/समर्थन भी अधिकांशत: जाति आधारित होगा। लिहाजा, आरक्षण आन्दोलन को यधपि जाति वैमनस्य या जाति संघर्ष की गोलबंदी (मसलन '35 बिरदारी बनाम एक') के रूप में पेश किया जाता है पर असल में इनका चरित्र राजनीतिक ही है। इन्हें बैठे-बैठाए जातीय मंच और जातीय गोलबंदियां स्वार्थ साधन के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। इस लिहाज से आरक्षण की बहस को राजनीतिक समाधान के दायरे में रखना श्रेयष्कर होगा।

4(ii).2 मौजूदा संदर्भ में यह रेखांकित करना संगत होगा कि पारंपरिक रूप से जाट समुदाय हरियाणा में राजनीतिक रूप से प्रभावी रहा है। आज वह अपनी आर्थिक परेशानियों का हल भी सत्ता राजनीती में तलाश रहा है। यहाँ तक कि गहरे कृषि संकट व बिखरते सामाजिक वर्चस्व के समय ने जाट समुदाय के एक बड़े हिस्से के लिए आरक्षण को जीवन मरण की राजनीतीक कवायद में बदल दिया है। इस मसले पर राजनीतिक संतुलन में गड़बड़ी से कानून व्यवस्था किस सीमा तक डगमगा सकती है, यह फरवरी 2016 के तांडव में हरियाणा ने देखा है।

4(ii).3 हरियाणा में आरक्षण के गिर्द जाट समुदाय के लामबंदी को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किसान समुदायों विशेषकर सैनी, गुज्जर और यादव ने शुरू से ही बेहद शक की निगाहों से देखा है। उनके नजरिये से, राजनीतिक रूप से बड़े-चढ़े जाट समुदाय का इस आरक्षित वर्ग में प्रवेश का मतलब होगा उनके अपने अवसर/दबदबे का कम होना। लेकिन विभिन्न समुदायों की इस बढ़ती छटपटाहट पर राज्य सरकार का रवैया पहले की तरह आश्वासनों से इस स्थिति को टालने वाला ही रहा। यह भी कहा जा रहा है कि 2014 में राजनीतिक सत्ता की बागडोर अन्य समुदाय के हाथ में जाने की मन:स्थिति ने जाट समुदाय की उपेक्षा की आग में घी का काम किया।

4(ii).4 सुनवाई के दौरान बार बार यह तर्क सामने आया कि प्रदेश के तीनों प्रमुख दलों 'भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस व इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो)' ने इन हालतों का अधिकतम दोहन करने के लिये जातीय धुर्वीकरण को प्रतिस्पर्धात्मक आक्रामकता प्रदान की। एक और जहाँ हवा सिंह सांगवान, यशपाल मलिक जैसे जाट आरक्षण के लिए अलग अलग नामों से आन्दोलन करने वालों द्वारा 'जाट सेना' बनाना व 'जाट बलवान' के नारे उछालना, वहीं दूसरी और भाजपा सांसद राज कुमार सैनी के उग्र बयान व 'ओ बी सी

सेना' गठन करने की बात या फिर '35 बिरादरी बनाम एक' का नारा देना हालतों को हिंसक क्लेवर दे रहा था। वहीं ये तीनों प्रमुख दल इस सब पर गहरी चुपी बनाए रहे। बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के 'मुख्यमंत्री से पहले जाट होने' की बात या वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हरियाणा वासियों की बुद्धि पर तल्ख़ व एतराज योग्य टिप्पणी करना। इनेलो नेताओं द्वारा आरक्षण समर्थन के हिंसक आयाम को नैतिक समर्थन दिया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी प्रोफेसर वीरेंद्र का एक ऑडियो सामने आ चुका है, जिसके लिए उनके खिलाफ एक एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी है। उन्हीं प्रोफेसर वीरेंद्र के समर्थक उनके उक्त ऑडियो के लिए उन्हें सम्मानित भी कर चुके हैं। इसी दौरान महम में आर एस एस के एक प्रचारक की भडकाऊ भूमिका सामने आना इस आशंका को बल देती है कि सरकार जानबूझ कर ढुलमुल रवैया अपनाए हुई थी। जबकि मुख्यमंत्री स्वयं आर एस एस प्रचारक रह चुके हैं।

4(ii).5 फरवरी 2016 में हुई हिंसा के दौरान हिंसक भीड़ में शामिल उन युवकों को आज भी शहीद कह कर पुकारा जा रहा है, जो सैन्य बलों के हाथों मारे गये थे। दूसरा पक्ष उन युवकों को बिना जाँच पूरी हुए अपराधी, लूटेरा कह कर पुकार रहा है।

4(ii).6 यह तो स्पष्ट है कि व्यापक हिंसा के अराजक दौर में सरकार के मंत्री सार्वजनिक रूप से अलग अलग भाषा बोल रहे थे। जो सरकार के स्तर पर नीतिगत बिखराव को दिखाती है। स्पष्ट दिशानिर्देशों के अभाव में राज्य व जिला स्तर पर प्रशासन पूरी तरह अस्त व्यस्त रहा। 17 फरवरी को आरक्षण समर्थकों व मुख्यमंत्री के बीच बातचीत टूटने के बाद सरकार के पास प्लान बी का अभाव दिखाए जबकि उसी बैठक में शामिल हुए वार्ताकारों ने मुख्यमंत्री को साफ़ बता दिया था कि आन्दोलन उनके हाथ से निकल कर उपद्रवियों के हाथ में चला गया है। वहीं 19 फरवरी को सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से हुए फैसले के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने जाट आरक्षण देने के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में बिल लाने का आश्वासन दिया। उसके बाद भी उसके बाद भी हिंसा और तेज हुई व तीन दिन तक बेरोकटोक जारी रही। इससे लगता है कि सरकार ही नहीं बल्कि तमाम मुख्य राजनीतिक दलों ने स्थिति पर पकड़ खो दी थी। उल्लेखनीय है कि आन्दोलन के घोषित नेताओं ने उक्त आश्वासन के पश्चात भी आन्दोलन वापिस लेने की कोई अपील जारी नहीं की।

4(ii).7 राजनीतिक व जातीय संगठनों द्वारा बेहद आक्रामक रूख अपनाने का एक नतीजा यह भी हुआ की विभिन्न समुदायों के बहुसंख्यक विवेकशील व न्यायप्रिय लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। जिससे न्याय व शान्ति बनाये रखने के लिए कोई मंच भी नहीं उभर सका। सरकार व प्रशासन भी उन्हीं भड़काऊ नेताओं से बात करते रहे व सरकार ने किसी विवेकशील समूह से सवांद स्थापित करने की कोशिश भी नहीं की।

4(ii).8 इसके बरक्स हिंसा के इसी दौर में कई ऐसे उदाहरण सामने आये जहाँ प्रशासन/समुदाय ने सद्भाव और न्याय की अनूठी दास्ताँ पेश की। राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर एक पर पानीपत के जाट बहुल साढ़े आठ हजार मतदाता वाले सिवाह गाँव में आसपास के गांवों से भारी संख्या में पहुंच कर आरक्षण समर्थक प्रदर्शनकारियों ने रास्ता बंद कर दिया था। राज्य भर में देहातों व शहरों के बीच बढ़ते तानावपूर्ण माहौल में वे भी 10 किलोमीटर दूर लामबंद होकर पानीपत शहर पर कूच करने को आमादा हुए। सिवाह के लोग, विशेषकर गाँव की बुजुर्ग महिलायें जिन प्रदर्शनाकरियों को खाना पानी देते आ रहे थे, उन्हीं के सामने अभेध दीवार बन कर आ गए और एक बड़ी अनहोनी टल गई। जींद में नौजवान उपायुक्त ने जाट धर्मशाल में जमा उत्तेजित भीड़ की गैरत को अपनी शाब्दिक ललकार से ठंडा किया। केंद्र को भेजी गई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सारे राज्य में करीब एक

हजार करोड़ की सम्पति के विनाश के बीच राजमार्गों पर कई दिन तक हजारों की संख्या में ट्रक माल सहित फंसे रहे। पर इक्का-दुक्का मामलों को छोड़ कर उन्हें नुक्सान नहीं पहुंचाया गया। पुण्डरी में जब भारी भीड़ शहर पर हमले को आमाद होकर आगे बढ़ रही थी तब वहां के उप पुलिस अधीक्षक सतीश गौतम की सूझबूझ के चलते वह हमला टल गया। बल्कि उग्र भीड़ उनसे संवाद की स्थिति में भी आ गई। इसी तरह एक आध छोटी कोशिश झज्जर में भी एक वकील व उसके बेटे की तरफ से की गई। कुछ जगहों जैसे हांसी व कैथल में भी जातीय सोच को तोड़ कर अलग अलग समुदाय के लोग एक-दूसरे की मदद में आये।

4(ii).9 नवउदारवादी दौर में, आरक्षण की चौतरफा मांग भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूझ राजनितिक पहेली बन गई है। बेरोजगार युवाओं के बीच आरक्षण की मनोवैज्ञानिक अपील 80-90 दशक के मंडल कमीशन के दौर से कभी कम नहीं हुई। ना इस दशक के राजस्थान, गुजरात व हरियाणा के हिंसक आरक्षण आन्दोलनों से सही सबक लिए गए हैं। यह स्पष्ट है कि जैसा बंदरबाट का हल राजनीतिक हलकों में अजमाया जा रहा है वह सबके लिए संतोषप्रद नहीं हो सकता। यह भी कि आरक्षण समीकरणों को कानून व्यवस्था की मशीनरी के बूते लागू करना सामाजिक समरसता के लिये श्रेयष्कर नहीं है।

4(iii) आर्थिक

4(iii).1 ग्रामीण भारत में रोजगार और कृषि क्षेत्रों के आर्थिक संकट, आरक्षण केन्द्रित राजनीतिक आन्दोलनों के प्रमुख प्रेरक बने हैं। इनके वाहक पारम्परिक रूप से सशक्त रहे वे समुदाय हैं जो गत तीन चार दशकों में औद्योगीकरण और वैश्वीकरण की मार के चलते आर्थिक फिसलन का शिकार बनते गए। जबकि संविधान में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था राजनीति, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामाजिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के रूप में की गई थी। स्पष्टत: इसे ना तो रोजगार पैदा करने की, ना उच्च शिक्षा हासिल करने की व गरीबी उन्मूलन की प्रणाली में बदला जा सकता है। हालांकि इन्हीं भावनाओं को भड़काकर तमाम राजनीतिक दलों ने आरक्षण आन्दोलनों का इस्तेमाल वोट बैंक को चरितार्थ करने में किया है।

4(iii).2 जोतें छोटी होती जाने और फसल की कीमतों में ठहराव/गिरावट के चलते किसान के लिए खेती हताशा का सौदा बन चुकी है। कृषि जमीन व्यापक अधिग्रहण ने ग्रामीण युवाओं को एक अनिश्चित भविष्य की दहलीज पर ला खड़ा किया है। रोहतक, झज्जर व सोनीपत जैसे दिल्ली से सटे जिलों में खाए-अघाए लेकिन कृषि रहित जीवन के लिए बे-तैयार ग्रामीण युवाओं का सबर का बाँध खासा कमजोर हो चला है। भाजपा ने लोकसभा/विधानसभा विजय अभियान में जाटों को आरक्षण की परिधि में बनाये रखने का वादा किया था। साथ ही कृषि उत्पादन की कीमतों को आकर्षक रखने वाली स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना भी पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा था। केंद्र व राज्य में भाजपा सरकार होने के बावजूद इन दोनों मुद्दों पर वांछित पहल के अभाव ने एक रोष भरे जनांदोलन की जमीन तैयार की। इन ग्रामीण युवाओं को अन्य कौशल या उद्यमिता के लिए भी तैयार नहीं किया गया है, जिसके चलते इनमें सरकारी नौकरियों के लिए जबरदस्त आकर्षण है। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजीकरण व समाज में अंध-उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रचलन ने ग्रामीण व शहरी युवा के बीच की खाई को बड़ा किया है। पिछले दो दशक में सरकारी नौकरियां घटी हैं और निजी क्षेत्र में नौकरियां बेहद प्रतिस्पर्धात्मक होती गई हैं। इन सब का मिला-जुला असर ग्रामीण युवा को और कुंठित ही करता है।

4(iv) हरियाणा में नौकरियाँ

4(iv).1 सरकारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कुल सरकारी नौकरियाँ, जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अर्ध सरकारी एवं स्थानीय निकायों की नौकरियाँ शामिल हैं, 1995-96 के उच्चतम स्तर **4,25,462 से साल दर साल घटते हुए 31 मार्च 2015 में घट कर 3,66,829 रह गई थीं। यानी इन 19 सालों में बढ़ने की बजाय हर साल 3100 सरकारी नौकरियाँ कम होती गईं।** जबकि इस बीच राज्य की आय में 4 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई थी (स्थिर कीमतों पर, बाजार भाव पर तो 14 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी है)। यानी हमारी आर्थिक नीतियाँ ऐसी हैं कि अर्थव्यवस्था तो चौगुनी हो गई पर सरकारी नौकरियाँ घट गईं। ये हरियाणा सरकार के आंकड़े हैं जो http://esaharyana.gov.in/Data/StateStatisticalAbstract/StatisticalAbstract%282014-15%29.pdf पर उपलब्ध हैं (पृष्ठ 492) इस दौरान हर तरह की सरकारी नौकरी में कमी हुई है। हरियाणा में केंद्र सरकार की नौकरियाँ 32,686 से घट कर 19,359 रह गई हैं और राज्य सरकार की नौकरियाँ 2,53,791 से घट कर 2,39,810 रह गई हैं। **अगर सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के साथ संगठित निजी क्षेत्र (यानी सारा सहकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के वे सारे संस्थान जिन में 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं) की नौकरियाँ भी मिला लें तो यह 1995-96 के 6,62,709 से घट कर 2005-6 में 6,35,355 रह गई थीं। यानी इनमें भी बढ़ोतरी की बजाय प्रति वर्ष 2700 से ज़्यादा नौकरियाँ कम हुई हैं। यानी सरकारी और (ढंग की नौकरी - किसी के घर या रेहड़ी पर काम वाली नौकरी को छोड़ कर) गैर-सरकारी दोनों मिला कर भी नौकरियाँ बढ़ने की बजाय घटी हैं।** इन हालात में युवा जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे? 2006 के बाद जरूर निजी एवं सार्वजनिक दोनों को मिला कर संगठित क्षेत्र के रोजगार में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है और यह 31 मार्च 2015 को 8,35,820 थी।

4(iv).2 आइये, सरकारी और संगठित रोजगार के इन आंकड़ों को आबादी के अनुपात में देखें। **1996 में हरियाणा की लगभग सवा दो प्रतिशत आबादी को सरकारी नौकरी मिली हुई थी, 2015 में यह अनुपात घट कर लगभग आधा, यानी 1.32% रह गया। यानि 2 लाख 60 हजार नौकरियां लुप्त हो गई हैं। 1996 में हरियाणा के 100 व्यक्तियों में से 3.5 लोगों को संगठित क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध थी और 2015 में यह घट कर 3% से कम रह गई। क्या इसे विकास कहना चाहिए?** राज्य की जी.डी.पी. बढ़ी है परन्तु ढंग का रोजगार (जिसका मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं, अपितु घरेलू किस्म की नौकरी छोड़ कर हर ऐसे संस्थान में नौकरी शामिल हैं जिस पर कोई सरकारी कानून कायदे लागू होते हैं), नहीं बढ़ा है।

4(iv).3 2011 की आर्थिक सामाजिक जनगणना के सारे आंकड़े, जिनमें जाति बारे भी जानकारी इकट्ठी की गई थी, अभी जारी नहीं हुए हैं। केवल अनुसूचित जाति एवं अन्य सबका विवरण जारी हुआ है, हर जाति के अलग से आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। उपरोक्त आंकड़ों में और नीचे दिये आंकड़ों में एक ओर फ़र्क है। नीचे वाले आंकड़े परिवार सम्बन्धी हैं जब कि ऊपर वाले आंकड़े जनसंख्या आधारित थे। इसलिए इनकी सीधे-सीधे तुलना नहीं की जा सकती। परन्तु ये आंकड़े भी सरकारी ही हैं (बल्कि इन पर कागजों में तो ग्राम सभाओं की मोहर भी लगी हुई है)। **हरियाणा में 2011 की जनगणना के मुताबिक दलितों में 6.52% परिवारों में ही सरकारी नौकरी थी जब कि अन्य में यह अनुपात 9.65% था** (दोनों की औसत 8.93% थी)। **संगठित निजी क्षेत्र में दलितों के केवल 3.31% परिवारों में ही नौकरी थी जब कि अन्य में यह अनुपात लगभग**

दुगना यानी 6.18% था (औसत 5.53% बनती है)। सरकारी एवं निजी क्षेत्र समेत सारे संगठित क्षेत्र को लें तो भी दलित में मात्र 10.4% परिवारों को रोजगार प्राप्त था जब कि अन्य में 16.74% ऐसे परिवार थे और पूरे हरियाणा में 15.29% परिवारों में ही ऐसा रोजगार था। **यानी 10% से कम परिवारों में सरकारी नौकरी है और लगभग 5.5% परिवारों में संगठित क्षेत्र का गैर सरकारी रोजगार है। दलितों की हालत इससे भी ख़राब है।**

4(iv).4 **घटती सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी के लिए घमासान मचा हुआ है, रोजगार बढ़ाने के लिए आवाज नक्कारखाने में तूती की तरह एक कोने में पड़ी है जिसके लिए किसी राजनीतिक/सामाजिक मंच से जन सैलाब का अहावान नहीं किया जाता। कब तक अपनी और अपनों की नौकरी के लिए जुगत भिड़ाते रहेंगे और भिड़ते रहेंगे लोग? कब तक घटते रोजगारों में अपने हिस्से की तलाश में भटकते रहेंगें लोग? कब तक हारती लड़ाई लड़ते रहेंगे लोग? शत प्रतिशत आरक्षण यानी सब के लिए रोजगार और सामान शिक्षा के लिए जन सैलाब इकट्ठे होकर कब उठेगा?**

4(iv).5 सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि आवेदन के 15 दिनों में मुआवजा क्लेम राशि के 25% तक का भुगतान पीड़ितों को कर दिया जाएगा।[35] जबकि 25 अप्रैल तक कुल क्लेम का लगभग 11% ही वितरित किया गया था। जन सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष अनेक पीड़ित व्यक्तियों ने मुआवजा समय पर न मिलने की बात रखी। पीड़ित व्यक्तियों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने एवं क्लेम की पुष्टि हेतु आय कर एवं बिक्री कर दस्तावेजों, मूल बिल इत्यादि की मांग किये जाने की बात भी सामने आई है। सरकारी अधिकारियों द्वारा पीड़ितों के प्रति संवेदनात्मक व्यवहार न होने से अधिकतर पीड़ित व्यक्ति नाराज पाये गए। राहत एवं पुनर्वास नीति में हिंसा के दौरान असंगठित क्षेत्र में हुए आमदनी एवं रोजगार के नुकसानए बच्चों की शिक्षा में आये व्यवधान की भरपाई, विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है। इस दौरान हिंसा में घायल हुये लोगों की सहायता के लिए कोई प्रावाधान नहीं रखा गया है।

4(v) सामजिक

4(v).1 हिंसक आरक्षण आन्दोलन ने हरियाणा के सामाजिक परिदृश्य पर नए नायकों और खलनायकों को जन्म दिया। राजकुमार सैनी, रोशन लाल आर्य, हवा सिंह सांगवान, यशपाल मलिक जैसे नाम गुमनामी से निकल कर राज्य के राजनीतिक आकाश पर छा गये हैं। इसके बरक्स किसान मसीहा के रूप में पहचाने जाने वाले दीनबंधू छोटू राम और 1857 स्वतन्त्रता संग्राम के महानायक राव तुला राम जैसी राष्ट्रीय हस्तियों को जातीय पहचान में समेटने की भौंडी कवायद जहां तहां देखने को मिली। यह लोगों को अपनी विरासत से काटने का नतीजा है। पिछले कई दशकों से हरियाणा में जाति के प्रतीक चिन्हों व जाति आधारित संस्थाओं को सरकार द्वारा मजबूत करने का क्रम लगातार जारी है। दूसरी तरफ विवेकशील आवाजों व सांस्कृतिक पहल को लेकर एक शून्यता नजर आती है।

4(v).2 जन सुनवाई के दौरान यह तथ्य निकल कर आया कि स्थानीयता और डेमोग्रेफिक संतुलन की हिंसा होने या न होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से फैलायी गई अफवाहों

35. द ट्रिब्यून 26 अप्रैल 2016

की भी हिंसा को फैलाने में बड़ी भूमिका रही। जैसे रोहतक के दो कॉलेज में छात्रों की पिटाई में उनके मारे जाने की अफवाह या महम में महिला एस डी एम के साथ दुर्व्यवहार होने का झूठा प्रचार। यह भी पाया गया कि स्त्रियों की अपनी आवाज शायद ही कहीं हो। जन आयोग के सामने आने वाले गवाहों में भी स्त्रियों की भागीदारी बहुत कम रही जबकि उन्हें बराबर हिंसा के आतंक के साए में जीना पड़ा। इससे साफ़ तौर पर ध्वनित होता है कि आरक्षण का लाभ स्त्रियों तक नहीं पहुंचा है।

5. राहत एवं पुनर्वास उपायों की समीक्षा

5.1 आंदोलन की समाप्ति के समय हरियाणा सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जिन व्यक्तियों का जान माल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुरंत की जाएगी। आंदोलन में मरने वाले निर्दोष व्यक्तियों को 10 लाख रुपये एवं सरकारी नौकरी देने की घोषणा हुई (हालांकि इस बारे में समाचार पत्रों में सरकार के अंदर मतभेद होने की खबरे भी आई)। समाचार पत्रों में आई खबरों एवं सूचना का अधिकार कानून के तहत भिवानी से प्राप्त सूचना के अनुसार 2226 व्यक्तियों द्वारा मुआवजे हेतु आवेदन किए गए। जिन का विवरण निम्न है परन्तु इस में सरकारी सम्पति को हुए नुकसान के आंकड़े शामिल नहीं हैं।[36] इसमें व्यवसाय बाधित होने से हुए आर्थिक नुकसान का आंकलन भी शामिल नहीं है।

जिला	आवेदन कर्ता	क्लेम राशि रुपयों में
जींद	10	4249317
रोहतक	1353	3925237262
हिसार	158	163887975
झज्जर	157	474594930
सोनीपत	211	550700000
पानीपत	01	44670
कैथल	161	43185000
भिवानी	67	55064075
कुल	2226	5234441743

5.2 दिनांक 25 अप्रैल तक कुल क्लेम का लगभग 11% ही वितरित किया गया था जब कि सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि आवेदन के 15 दिनों में क्लेम राशि के 25% तक भुगतान कर दिया जाएगा।[37]

5.3 जन सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष अनेक पीड़ित व्यक्तियों ने मुआवजा समय पर न मिलने की कई बातें रखी। पीड़ित व्यक्तियों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की बात भी सामने आई एवं क्लेम की पुष्टि हेतु आय कर एवं बिक्री कर दस्तावेजों, मूल बिल इत्यादि की मांग भी की जाने लगी। सरकारी अधिकारियों द्वारा पीड़ितों के प्रति संवेदना से व्यवहार नहीं किया गया, जिससे अधिकतर पीड़ित व्यक्ति नाराज पाये गए।

5.4 राहत एवं पुनर्वास की घोषित नीति में इस दौरान हुए आमदनी एवं रोजगार के नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है। आयोग मानता है कि इन का प्रावधान करना भी आवश्यक है। इस दौरान घायल हुये लोगों को भी सरकारी दिशा निर्देशों के अभाव में कोई सहायता नहीं मिली है।

36. दैनिक भास्कर, 27 अप्रैल, 2016 फरीदाबाद पृष्ठ 8
37. द ट्रिब्यून, 26 अप्रैल, 2016

5.5 विभिन्न स्थानों पर जन सुनवाई के दौरान कुछ पीड़ितों ने सम्पति के नुकसान के अपने विवरण दिये जिन का ब्योरा निम्नलिखित है–

5(i) रोहतक

जहाँ तक मुआवजे की बात है, आयोग के सामने रोहतक में प्रस्तुत कोई भी व्यक्ति इससे संतुष्ट नहीं था फिर चाहे वह जाट समुदाय से था या गैर–जाट समुदाय से। इस बारे में पीड़ित व्यक्ति धरना–प्रदर्शन भी कई बार कर चुके हैं। सम्पत्ति के नुकसान के अलावा उन की नियमित आय भी खत्म हो गई है और जब तक व्यवसाय दोबारा शुरू नहीं होता, पीड़ितों की आमदनी शुरू नहीं होगी। इसके अलावा जो कर्मचारी इन प्रतिष्ठानों में काम करते थे, वे भी बेरोजगार हो गए हैं। सब से ख़राब स्थिति तो घायलों की है। वे न काम करने लायक हो पाए हैं और न ही उन को कोई मुआवजा मिला है। इनमें से एक व्यक्ति, जो लाठी के सहारे चल रहा था, आयोग की दोनों सुनवाइयों में पेश हुआ। श्री सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री पृथ्वी सिंह एक चिनाई मजदूर है। उन्हें आन्दोलन के दौरान हिसार रोड पर लगी गंभीर चोटों के चलते कई दिन हस्पताल रहना पड़ा था। उन्होंने बताया कि उन्हें अब तक किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला एवं इलाज पर लगभग 75 हजार रुपए खर्च हो गए हैं, जिसकी भी अब तक कोई भरपाई नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि अलबत्ता उपायुक्त के दखल के बाद एफ.आई.आर. जरूर दर्ज हो गई है। पीड़ितों ने मुआवजा वितरण में राजनैतिक भेदभाव के आरोप भी लगाए। दूसरी ओर, जाट समुदाय के कई गवाहों ने दुकानदारों द्वारा बढ़ा–चढ़ा के मुआवजे के दावे किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि अवसर आने पर वे सबूत भी देंगे। हिंसक घटनाओं की जांच में भी कुछ ख़ास घटनाओं, जैसे कैप्टेन अभिमन्यु के परिवार के घर को जलाए जाने को, विशेष महत्व दिये जाने के आरोप भी आयोग के सामने आए हैं।

5(ii) महम

जहाँ तक मुआवजे और पुनर्वास की बात है, खंड कार्यालय भवन के दरवाजे–खिड़कियों की मुरम्मत हो चुकी है। परन्तु मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान करने वाले एक युवक ने बताया कि उसके पास तो पुराने मोबाइल ही थे और अब सरकार पक्के बिल मांग रही है। दूसरी ओर जिन ग्राहकों के मोबाइल थे वो रोजाना आकर तकाजा करते हैं। इसके लिए उधार लेकर भी कुछ लोगों को पैसे दिये गए हैं परन्तु सब को तो नहीं दे सकते। रोजाना ग्राहकों से इस बारे में कहासुनी होती है। उन्होंने 7 लाख का नुकसान होने का दावा किया परन्तु उन्हें अब तक कुछ नहीं मिला। कोमा में पड़े मजदूर के परिवार को भी कुछ नहीं मिला है परन्तु कई दुकानदारों को कुछ मुआवजा मिला है।

5(iii) कलानौर

जहाँ तक पुनर्वास की बात है, यह बताया गया कि कुल 320–324 क्लेम में से 118 लोगों को जनसुनवाई/ अब तक कुछ भी नहीं मिला, बाकी लोगों को पुनर्वास की एक किश्त मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार मुआवजे पर सक्रियता से काम हुआ है परन्तु बाद में साधारण दफ़्तरी तरीके से ही काम हो रहा है जिसके चलते छोटी–मोटी कमी ठीक करने की कार्यवाही भी टलती रहती है। जहाँ कई लोग मुआवजा न मिल पाने के

कारण अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं वहाँ कई लोगों ने वैसे भी काम-धंधा मंदा हो जाने की बात कही। एशियन पेंट्स के एक डीलर ने गवाही देते हुए बताया कि एशियन पेंटस की चल रही फैक्ट्री के प्लांट में आग लगा दी गई थी, वहीं नए प्लांट, जिसका उद्घाटन 21 फरवरी को होना था, उसे अब कंपनी ने शुरू ही न करने का विचार किया है। कंपनी ने वर्तमान प्लांट में भी उत्पादन कम कर दिया है जिससे दुकानदारों को माल ही नहीं मिल रहा। दुकानदारों के अलावा, कुल मिला कर लगभग 500 दिहाड़ीदारों का काम छूट गया है। जिनमें रिक्शा चालक जैसे असंगठित क्षेत्र से आजीवका कमाने वाले भी शामिल थे, जैसे कि रिक्शा चालकों के समूह ने बताया।

5(iv) झज्जर

बस अड्डे के समीप स्थित एक गारमेंट्स के शो-रूम का मालिक आयोग के सामने पेश होते हुए फूट-फूट कर रो पड़ा। उस ने बताया कि उसका 2 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। पहले उनके यहाँ 14 लोग काम करते थे और आज वह स्वयं किसी और के यहाँ नौकरी करने पर मजबूर हैं क्योंकि उन्हें अभी तक कुछ भी मुआवजा नहीं मिला है। कई ओर लोगों ने भी नाम-मात्र का मुआवजा मिलने या न मिलने की बात कही। घायलों को भी मुआवजा/हर्जाना नहीं मिला है। जिन दो मृतकों के परिवार से आयोग मिल पाया, एक खाती और एक कुम्हार परिवार से, उन्होंने बताया कि अभी तक उन्हें कहीं से भी सरकारी या गैर सरकारी, किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है। जब छोटू राम धर्मशाला में यह मुद्दा उठाया गया तो उन्होंने ने बताया कि अभी चंदा इकट्ठा हो रहा है पर अभी तक किसी को नहीं दिया गया। और अभी यह तय होना बाकी है कि यह केवल जाट मृतकों के अभिभावकों को मिलेगा या सभी मृतकों के वारिसों लोगों को बांटा जाएगा।

5(v) हांसी

शाम को स्कूल में हुई जन-सुनवाई में, जिस में दोनों पक्षो के लोग शामिल थे, यह बताया गया कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो ढाणी पाल के गुज्जर समुदाय का हुआ है (हालांकि आयोग के सामने व्यक्तिगत तौर पर सब से ज़्यादा 7 करोड़ का नुकसान पंजाबी समुदाय के भाई जी होटल प्रतिष्ठान का आया) और उन्हें (गुज्जर समुदाय को) काफ़ी हद तक मिले मुआवजे से संतुष्टि थी (जब कि वहाँ भी कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला है या बहुत थोड़ा मिला है)। जग्गा बाड़ा में भी मुआवजे पर आम तौर पर संतुष्टि थी हालांकि वहाँ भी आगजनी के शिकार हुए वाहनों का मुआवजा अभी नहीं मिला है। हांसी में बाकी जगह नाम-मात्र का मुआवजा मिला था। आयोग के संज्ञान में आया है कि ढाणी पाल के खेतों मे रहने वाले ज़्यादातर परिवार सिरसा स्थित एक डेरे से जुड़े हुए हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या इस का मुआवजा वितरण से कोई सम्बन्ध है, क्योंकि इसके अलावा ज़्यादातर जगहों पर मुआवजे से संतुष्टि नहीं पाई गई परन्तु आयोग इसकी पड़ताल नहीं कर पाया।

5(vi) कालायत

मुआवजे के मामले में भी रोष था क्योंकि अभी तक केवल 10-15% नुकसान की ही भरपाई हुई है। एक बार दुकानों का मुआइना और वीडियो होने के बाद प्रशासन के कहने पर लोगों ने मुरम्मत करा ली और अब दोबारा कमेटी सर्वेक्षण कर रही है जिस से नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाएगा।

5(vii) कैथल

कैथल में 60-65 प्रतिष्ठानों का नुकसान हुआ बताया गया। आम तौर पर पीड़ित मुआवजे से असंतुष्ट हैं। केवल एक राजनैतिक रसूख वाले पीड़ित दुकानदार को ही ठीक-ठाक मुआवजा मिला बताया गया। इसी दुकानदार के पास विभिन्न पार्टियों के नेता एवं चुने हुए प्रतिनिधि भेंट करने के लिए भी आए हैं। पंजाबी समुदाय के एक प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि जहाँ एक ओर वास्तविक पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है वहीं कम से कम एक व्यक्ति को बिना किसी खास नुकसान के 3 लाख का मुआवजा मिला है। उनका इशारा इस ओर था कि मुआवजा-वितरण भी सामान्य सरकारी तरीके से हो रहा है न कि निष्पक्षता से। दो गवाहों ने बताया कि कलायत से आए घायलों से पैसे जमा करवाने को कहा जा रहा था और लोगों के दख़ल देने के बाद ही उनका इलाज नि:शुल्क हुआ।

5(viii) पुंडरी

दुकानों में हुए नुकसान के लिए मिले मुआवजे से लोग आम तौर पर संतुष्ट थे परन्तु वाहनों का मुआवजा न मिलने की शिकायत की गई।

5(ix) गोहाना

(ix).1 गोहाना में बस स्टैंड के पास गोलीबारी करने वाली व आगजनी कर रही भीड़ ने विक्रम नाम के एक दलित समुदाय के नौजवान की हत्या कर दी। उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं। उसकी माँ ने उपस्थित होकर यह बताया कि सरकारी सहायता के 10 लाख रुपये मिल गए हैं परन्तु 'ना रोजगार बाबत कोई कार्यवाही हुई है और ना मेरे बच्चे के हत्यारे पकड़े गए हैं'। अन्य घायल व्यक्तियों, जिनमें से तीन आयोग के सामने पेश हुए, को हस्पताल में इलाज के दौरान बाहर से कुछ सामान और दवाइयाँ मंगानी पड़ीं और इसके लिए उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़े। घायलों को अब तक न कोई मुआवजा मिला है और न ही इलाज-खर्च की भरपाई हुई है। यह इसके बावजूद है कि इनमें से कई मामलों में तो एफ.आई.आर. भी दर्ज हो चुकी है।

(ix).2 सभी गवाह मुआवजे के मामले में परेशान थे। जहाँ एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी दुकान में जितना कबाड़ अब भी रखा है मुझे उसका ही मुआवजा मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा और पूरी तरह जले सामान की बात भूल जाऊँगा, वहीं एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि मुझे केवल दो लाख मुआवजा मिला है, मैं यह वापिस कर देता हूँ, मेरी दुकान दोबारा बनवा दी जाए। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि बीमा करवाने वालों का क्या कसूर है, सरकार कहती है कि जिनका बीमा है वे बीमा कम्पनी से भरपाई करवाएँ और 'सब को पता है कि बीमा से कभी पूरे नुकसान का भरपाई नहीं होती'। पालिका बाजार में क्षतिग्रस्त दुकानों की मालिक नगर-पालिका है और उसे ही दुकानों की मुरम्मत करवानी है जो अब तक नहीं हुई है। इन दुकानदारों का कहना है कि दुकानों की मुरम्मत तुरन्त करवाई जाए ताकि वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। एक दुकानदार ने मांग उठाई कि हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में एक कोटा आरक्षित किया जाए एवं लूट-पाट और हिंसा में हुए सम्पत्ति के नुकसान के अलावा कमाई में आए अवरोध की भरपाई भी की जाए। एक उच्च-शिक्षित दलित दुकानदार ने बताया कि 'एक ओर उच्च शिक्षा-प्राप्त और आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होने के बावजूद न केवल उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली अपितु उनके परिवार में स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षित 7 सदस्यों में से केवल एक

को नौकरी मिली है, दूसरी ओर दुकानदारी भी ठप हो गई है। सरकार ने सामान के नुकसान की ही भरपाई नहीं की है, कंप्यूटर में दर्ज डाटा, जो मेरे काम के लिए अमूल्य है, की भरपाई का क्या जिक्र करें। इसके अलावा अभी तक नगर-पालिका द्वारा उनकी दुकान की मुरम्मत ही नहीं कारवाई गई है जिसके चलते वे काम-धंधा भी शुरू नहीं कर पाए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने बिजली बिल माफ़ी की घोषणा की थी परन्तु इसके बावजूद बिजली के बिल आ रहे हैं, इन्हें भरें तो दिक्कत और न भरें तो जुर्माने का ख़तरा। इससे तो अच्छा था कि सरकार इस रियायत की घोषणा ही न करती'।

6. व्यक्तियों एवं संगठनों की भूमिका

6.1 हरियाणा में मुख्तया तीन पार्टियां हैं जो आरक्षण के मुद्दे पर सक्रिय रही है। इन पार्टियों की आरक्षण समर्थक घोषित लाइन से हट कर इन पार्टियों के कई नेता जाति के आधार पर बयानबाजी कर रहे थे। जिनमें प्रमुखत: भाजपा के राज कुमार सैनी, कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव और इनेलो के रणबीर सिंह गंगवा शामिल थे। जबकि आरक्षण की मुहिम में भाजपा से दो मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ व कैप्टेन अभिमन्यु, कांग्रेस से भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुडा और इनेलो से अभय चौटाला विशेष रूप से सक्रिय थे। भाजपा ने चुनावों के दौरान जाट आरक्षण को मुद्दा बनाया एवं खापों की भूरि भूरि प्रशंशा की। जाट आरक्षण के लिए आंदोलनरत संगठन एवं खाप नेता प्रधान मंत्री, भाजपा अध्यक्ष एवं अन्य केंद्रीय नेताओं से मिलते रहे एवं उनको यह आश्वासन मिलता रहा कि कानून के दायरे में रहकर इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सरकार ने इस विरोधाभास को खत्म करके कम से कम पार्टी के अंदर एक राय बनाने की कोई कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि एक भाजपा सांसद द्वारा ओबीसी ब्रिगेड का गठन भी किया गया, कटुता पैदा करने हेतु भड़काऊ वक्तव्य भी दिये परन्तु इस पर भाजपा ने कोई अंकुश नहीं लगाया। दुर्भाग्य से पार्टी के अंदर यह स्थिति अब तक बरकरार है। कांग्रेस और इनेलो में भी यही विरोधाभास रहा।

6.2 जाट आरक्षण मुद्दे पर कई सारे संगठन एवं खाप पंचायते सक्रिय रहीं और अपने अपने तरीके से, अपने अपने कार्यक्रम के अनुसार आंदोलनरत रहीं। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र पर जाट आरक्षण को निरस्त करने के निर्णय एवं उच्च नयायालय के राज्य सरकार के निर्णय पर स्थगन आदेश के बाद इन की सक्रियता बढ़ गई। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति, आल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति, समस्त जाट सभा, आदर्श जाट महासभा, सर्व जाट खाप पंचायतए सर्व खाप पंचायत, एवं विभिन्न खाप (जैसे दहिया, नैन, धनकड़, सांगवान, नांदल, खाप चौरासी) इस आंदोलन में सक्रिय रहे। समय-समय पर राज्य, जिला, खंड एवं गाँव स्तर पर बैठक/सम्मेलन करके ये संगठन अपनी इकाइयां गठित करते रहे हैं, एक जुट करते रहे। न केवल इकाइयां बनाई गई अपितु 'जाट सेना', 'जाट बलिदानी जत्था', महिला कमांडो का गठन भी किया गया। युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और टोल फ्री नंबर तक भी दिये गए। जाटों के साथ जिन अन्य जातियों का आरक्षण रद्द हुआ था उन्होने भी समय समय पर जाट संगठनों के साथ एवं स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजित किए। इस आंदोलन के दौरान जो व्यक्ति सक्रिय थे उनके नाम इस प्रकार हैं– श्री हवा सिंह सांगवान, श्री यश पाल मालिक, कर्नल ओ पी सिंधु, श्री ओ पी मान, श्री नफे सिंह नैन, श्री सुरेन्द्र दहिया, सुश्री संतोष दहिया, श्री धरम पाल छौत, श्री पवन जीत भनवाला, श्री ईश्वर सिंह नैन, सुश्री कुसुम चौधरी, श्री दलबीर जागलान, श्री राज कुमार सैनी, श्री रोशन लाल आर्य, प्रो वीरेंद्र सिंह, कैप्टन अभिमन्यु एवं श्री ओ पी धनकड़। ये कुछ लोगों के नाम हैं परंतु इनके अलावा अन्य बहुत से लोग भी सक्रिय रहे हैं।

6.3 दूसरी तरफ जाट आरक्षण के विरोध में भी कई लोग संगठन बना कर व व्यक्तिगत स्तर पर सक्रिय हो गये। जैसे राजकुमार सैनी, रोशन लाल आर्य, अजय यादव, कर्णदेव कम्बोज इत्यादि ने भड़काऊ बयान दिए। वहीं 'ओ बी सी ब्रिगेड' बनाने व '35 बनाम एक' का नारा उछालने का काम किया। उल्लेखनीय है कि

आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गये आरक्षण सम्बन्धी बयानों ने भी सामाजिक वातावरण को विषाक्त बनाने का काम किया।

6.4 हरियाणा में सिविल सोसाइटी आन्दोलन बहुत मजबूत नहीं है, मगर फिर भी इस दौर में अनेकों न्यायप्रिय संगठनों व व्यक्तियों ने आगे आगे बढ़कर कई जगह शांति व सद्भावना कि मुहिम में अपनी भूमिका निभाई। जिनमें रोहतक के 'सद्भाव व एकता मंच', का काम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसने शहर में दौरा कर पर्चे बांटना भी शामिल है। उन्होंने मजदूरों के रोजगार जाने का सर्वे भी किया। गोहाना में भी एक नागरिक संगठन के नेतृत्व में शांति जलूस निकाला गया। कैथल में वकीलों ने सद्भावना व शांति के लिये शहर में मार्च निकाला। पानीपत में हाली पानीपती ट्रस्ट ने प्रवासी मजदूरों को आश्वस्त करने के अलावा स्कूली बच्चों का एक सद्भावना जुलूस भी निकाला। हरियाणा के तमाम बुद्धिजीवियों व संगठनों ने राज्य में न्याय, सुरक्षा व सद्भावना के लिए 'सद्भावना मंच, हरियाणा' का गठन कर राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पीड़ितों से मुलाकत की व हजारों पर्चे भी बांटे। इसी प्रयास के तहत 'सद्भावना मंच' ने इस 'जन आयोग' का गठन किया। इस हिंसक दौर के गुजर जाने के बाद सभी क्षेत्रों में सद्भावना के लिए तरह तरह के प्रोग्राम विभिन्न संगठनों व व्यक्तियों ने आयोजित किये हैं।

6.5 इसके बरक्स आर.एस.एस. ने गाँवों, कस्बों, शहरों में सद्भावना यज्ञ आयोजित किये जिनकी पूर्णाहुति एक सद्भावना सम्मलेन के रूप में 3 अप्रैल को रोहतक में की गई। इस सम्मलेन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य वेदव्रत की उपस्थिति में बेहद भड़काऊ साम्प्रदायिक भाषण दिए गये। सम्मलेन में 'संस्कृति सब की एक–चिरंतन खून रगों में हिन्दू' जैसे समाज को बांटने वाले नारे मंच पर दिखाई दिए। बाबा रामदेव ने तो यहाँ तक कहा कि यदि कानून राह में न आये तो वे लाखों सर काट सकते हैं। इस विषय में एफ .आई.आर. दर्ज किये जाने की याचिका स्थनीय अदालत में लंबित है। हालाँकि इसी सम्मलेन में रोहतक में पली–बढ़ी युवा लेखक अनुराधा बेनीवाल ने आरक्षण आन्दोलन के दौरान हिंसा करने वालों को तर्क के कटघरे में खड़ा किया।

7. न्याय, सद्भावना, सुरक्षा एवं शांति के उपायों की समीक्षा

7.1 राज्य सरकार न केवल आन्दोलन के दौर में सुरक्षा देने व शांति बनाये रखने में पूरी तरह असफल रही, इस भीषण बरबादी के उपरांत स्थिति के सामान्य होने के उसके दावे भी खोखले नजर आते हैं। प्रदेश की जनता सहमी सी नजर आती है, लोग अपने ही घरों में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते।

7.2 आरक्षण आन्दोलन में अग्रणी खाप नेताओं एवं राज्य की भाजपा सरकार के मातृ संगठन आरएसएस की विचारधारा में काफी हद तक समानता नजर आती है। दोनों ही सामजिक नवजागरण के बजाय पुनरुत्थान की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। हिंसा के उपरांत वाले काल में भिन्न भिन्न खाप पंचायतों द्वारा मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाना भी इसी दिशा की तरफ इशारा करता है। 2014 में हरियाणा के विधासभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में अपना भाषण इस वाक्य से शुरू किया, 'मैं खापों की इस पावन भूमि को नमन करता हूँ।'

7.3 ऊपर दिये गए विवरण से यह स्पष्ट है की प्रदेश की वर्तमान सरकार न्याय, सद्भावना, सुरक्षा एवं शांति को बहाल करने में वैचारिक रूप से सक्षम नजर नहीं आती है। यद्यपि उस दौर की त्रासद घटनाओं के सम्बन्ध में कुल 2100 के करीब आपराधिक मुकद्दमे दर्ज किये गए हैं, तो भी न्याय की अवधारणा समाज में तभी जड़ जमा सकती है जब सद्भावना, सुरक्षा और शांति की परिस्थितियां मुहैया की जाएँ। इसी तरह यह कहना भी ठीक होगा कि बिना न्याय के समाज में न सद्भावना होगी, न सुरक्षा और न शांति। आरक्षण आन्दोलन के संदर्भ में न्याय के कई आयाम सामने आते हैं–

1. आरक्षण को सामजिक न्याय के उपकरण के रूप में देखने का अर्थ होगा कि इसकी मूल अवधारणा पर प्रश्न न उठाया जाये। दूसरे शब्दों में अपेक्षाकृत सामाजिक वर्चस्व वाले समुदायों को कमजोर समुदायों के साथ एक ही श्रेणी में न रखा जाये। आरक्षण के आधार पर स्त्रियों का हर श्रेणी में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी सामाजिक न्याय का अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए।
2. हिंसा में सीधे सीधे शामिल दोषियों के अलावा इसके लिए जिम्मेदार अप्रत्यक्ष दोषियों व उकसाने वालों को भी कानून के लपेटे में लिया जाना चाहिए और अंजाम तक पहुंचाना चाहिए।
3. मृतकों और घायलों की स्थिति को व्यापक संदर्भ में देखने पर उनके परिवारों की क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए था।
4. जिनकी सम्पति का नुकसान हुआ है वह इसलिए कई गुणा और बढ़ जाता कि वे हफ़्तों/महीनों तक अपने काम–काज व आय के स्रोत से वंचित रहे जिस पर तकनीकी की बजाय मानवीय आधार पर समीक्षा ही घाव पर मरहम का काम कर पायेगी।
5. कानून व्यवस्था की एक पारदर्शी सामुदायिक प्रणाली जो लोगों में विशवास पैदा कर सके, समय की जरूरत है। इसी का पूरक होगा उन तत्वों की छंटाई जो समाज के बुरे वक्त में कर्तव्य से विमुख पाए गए।

6. सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था के साथ एक मानवीय परिस्थिति का निर्माण भी जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता अगर समाज में उपलब्ध नहीं तो हिंसा, तनाव और दाब-धोंस का वातावरण नागरिक समाज को बाधित करता है।
7. कृषि ढांचे में व्याप्त संकट और रोजगार के दुर्भिक्ष को तुरंत संबोधित करने से समाज में स्वस्थ वातावरण की दिशा में पहल हो सकेगी। श्रम कानूनों में वांछित सुधार से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पलायन की पीड़ा को कम किया जा सकता है।
8. प्रदेश के विवेकशील एवं बुद्धिजीवी वर्ग को जनता के बीच जा कर जागृति पैदा करने व उन को इस दिशा में सक्रिय होने के लिए प्रयत्न करना होगा।

8. भविष्य की राह : आयोग की सिफ़ारिशें एवं सुझाव

8.1 एक खूनी आन्दोलन के बाद हरियाणा में जाट आरक्षण बिल पास हो गया है और इस बीच उसे अदालत में चुनौती भी दी जा चुकी है। इस सन्दर्भ में राजनीतिक बयानों, सामाजिक सरोकारों और कानूनी पैंतरेबाजी से लगता नहीं कि राज्य के लिए अनिश्चितता का अध्याय बंद हुआ हो। जन-मानस में अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर उमड़ती शंकाओं का भूत, हवन-यज्ञ या संकीर्ण हिंदुत्ववादी सद्भावना सम्मेलन से नहीं भागने वाला। इसके लिए नए सिरे से नीतिगत कवायद, ठोस प्रशासनिक उपाय और विश्वसनीय राजनीतिक-सामाजिक पहल की आवश्यकता है।

8.2 आन्दोलन के दौर में पुलिस की पलायनवादी भूमिका को लेकर सर्वत्र व्याप्त जन असंतोष को प्राथमिकता से संबोधित करना होगा। ऐसा नहीं कि रातों-रात राज्य का पुलिस बल एकीकृत संवैधानिक कलेवर छोड़ कर जातियों में विभाजित संस्था में बदल गया। हालाँकि यह भी छिपा नहीं है कि आज की पुलिस न तो सत्ता निरपेक्ष रहने दी गयी और न ही उसे नागरिक संवेदी बनाया गया है। आरक्षण आन्दोलन में जगह-जगह पुलिस के प्रति लोगों का अविश्वास हिंसक झड़पों के रूप में सामने आया। इस दौरान बिरला ही कोई अवसर मिलेगा जहाँ पुलिस के पेशेवर अधिकार क्षेत्र के प्रति लोगों ने सम्मान-भाव दिखाया हो। सरकार ने उस दौर में कानून-व्यवस्था में कोताही की समीक्षा के लिए प्रकाश सिंह कमेटी बनायी है पर यह एक-आयामी नजरिया स्वयं में समस्या का हल नहीं कहा जा सकता। पुलिस नेतृत्व, पुलिस ट्रेनिंग, पुलिस की सामुदायिक भूमिका और उसकी औपनिवेशिक छवि में व्यापक बदलाव की तत्काल जरूरत है। दरअसल आम जन को एक लोकतांत्रिक पुलिस चाहिए जबकि पुलिस की कतारों को एक सक्षम एवं रणनीतिक नेतृत्व।

8.3 कयास हैं कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को आधार बना कर हरियाणा पुलिस के कनिष्ठ कर्मियों को आरक्षण हिंसा के सन्दर्भ में दण्डित किया जायेगा। हालांकि मिलीभगत/कोताही के गम्भीर मामलों का संज्ञान लिया जाना चाहिए तो भी नेतृत्व की कमियों का ठीकरा कनिष्ठों की असफलता पर फोड़ने की कवायद से कुछ खास हासिल नहीं होगा। उल्टे, हो सकता है निचली कतारों में असंतोष बढ़ने से पुलिस की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़े। पुलिस सुधार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह मामले[38] में 2006 में दिए ऐतिहासिक निर्णय में पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र रखने के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड और पुलिस शिकायत अथॉरिटी जैसे प्रावधान सुझाये थे। इन्हें तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

8.4 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में पुलिस के दैनिक कामकाज में सामुदायिक पुलिस की अवधारणा समाहित करने पर भी विशेष बल दिया गया था। कुछ वर्ष पूर्व हरियाणा पुलिस अकादमी ने ऐसा ही एक सफल ट्रेनिंग पाठ्यक्रम 'संवेदी पुलिस सशक्त समाज' पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करनाल के मधुबन पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लागू किया था। यूरोप, अमेरिका, जापान, सिंगापुर जैसी विकसित व्यवस्थाओं का भी सबक है कि एक सशक्त समाज ही अपनी पुलिस का सम्मान करता है और इसके लिए पूर्व शर्त होगी पुलिस कर्मियों एवं उनकी

38. http://judis.nic.in/supremecourt/imgst.aspx?filename=28072

प्रणालियों का लोकतांत्रीकरण। दूसरे शब्दों में पूर्णतया संवैधानिक रूप से संवेदी पुलिस ही जनता और पुलिस के बीच गतिरोध के वर्तमान दुश्चक्र को तोड़ पायेगी। समय का तकाजा है कि 'संवेदी पुलिस सशक्त समाज' पाठ्यक्रम के अनुरूप, राज्य में पुलिस ट्रेनिंग को अविलम्ब पुनर्गठित किया जाय।

8.5 राज्यव्यापी हिंसा के कुछ कारण तात्कालिक हैं वहीं अनेक ढांचागत। स्पष्ट निष्कर्ष है कि शासन-प्रशासन की असफल कार्यशैली के चलते हरियाणा में असुरक्षा का माहौल बना, सद्भावना पर गहरी चोट हुई और न्याय मिल पाने की संभावना क्षीण हुई। न्याय, सुरक्षा और सद्भावना का माहौल स्थापित करने के लिए राज्य, समाज व नागरिक संगठनों को कुछ कदम तुरंत उठाने होंगे। इसके लिए उन्हें कई स्तर पर सतत प्रयास करने होंगे। आंदोलन के दौरान दायर किये गए ढेरों आपराधिक मुकदमों में से प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर मामलों को अलग किया जाए और उन्हें त्वरित अदालतों के माध्यम से समयबद्ध अंजाम तक पहुंचाया जाए। एक नागरिक ट्रिब्यूनल की स्थापना जाए जिसमें सभी पक्षों के विवेकशील व्यक्तियों की भागीदारी हो, जो भारी संख्या में दर्ज किये गए सामान्य मामलों को समाप्त करने की समयबद्ध कार्यवाई करे। यह ट्रिब्यूनल उन तमाम मामलों में भी निर्णय दे जहाँ गलत व्यक्तियों को फंसाये जाने के आरोप लग रहे हैं। सरकार को नागरिकों के रोजगार जाने का भी मुआवजा देना चाहिए, जिनमें प्रतिष्ठानों में कार्यरत या सड़कों पर स्वरोजगार वाले कामगार भी शामिल हों। घायलों द्वारा इलाज पर किये गए खर्च की उनके पूर्ण स्वास्थ्य लाभ तक भरपाई सुनिश्चित होनी चाहिए। हर प्रभावित जिले/उपमंडल में अलग से एक उपायुक्त स्तर के अधिकारी को क्षति पूर्ति और पुनर्वास के काम के लिए लगाया जाय जिससे वह समयबद्ध परिणाम दे सके। आंदोलन के संबंध में केन्द्र द्वारा जो दिशा-निर्देश मिले थे वे सार्वजनिक किये जाने चाहिए। इसमें केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार को दी गई सूचनाएँ भी हों। एक हिंसक आंदोलन के अनुभव के बाद भी सरकार द्वारा नफरत व हिंसा भड़काने वाले बयानों/गतिविधियों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा। उदाहरण के लिए रोहतक में आयोजित सद्भाव-समरसता सम्मेलन में बेहद भड़काऊ बयान देने वाले स्वामी रामदेव पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी। ऐसे मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

8.6 राज्य की मनोहर लाल सरकार द्वैध शासन पद्धति (Diarchy) का शिकार रही है जिसने प्रशासनिक तालमेल को चट किया, प्रशासन में अनिश्चितता भरी और उसे संकट में पलायनवादी बनाया। आज सरकारी कर्मियों की नियुक्तियों और तबादलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हस्तक्षेप किसी से छिपा नहीं है। अक्टूबर 2014 में मुख्य मंत्री बनने से पहले मनोहर लाल का स्वयं संघ प्रचारक रहना इस द्वैध शासन को और बल दे रहा है। यही नहीं, अरसे से पुलिस विभाग के भीतर भी कमांड-कण्ट्रोल की एक द्वैध पद्धति चल रही है। सीआईडी का मुखिया, मुख्य मंत्री से अपनी करीबी के चलते फील्ड में तैनाती से लेकर कानून-व्यवस्था और अनुसन्धान कार्य में भी दखलंदाजी करने लगता है, जिससे उसका अपना आसूचना (Intelligence) कार्य बेहद प्रभावित होता है। साथ ही, डीजीपी के पुलिस नेतृत्व के नीतिगत और कार्यगत दोनों आयाम कमजोर हो जाते हैं। यही स्थिति वर्तमान आंदोलन के दौरान भी रही। पारदर्शिता और जवाबदेही, जो एक लोकतांत्रिक प्रशासन के अनिवार्य मानक हैं, की स्थापना के लिए ये दोनों द्वैध प्रणालियां समाप्त की जानी चाहिए।

8.7 हरियाणा में कई दशकों से उत्तरोत्तर सरकारों ने जातीय पहचान को बढ़-चढ़ कर मजबूत किया है। जातीय नाम के चिन्हों/संगठनों/संस्थाओं/धर्मशालाओं को सरकारी भूमि और अनुदान देना आम बात है। इनके जातीय बैनर तले होने वाले समारोहों में मुख्य मंत्री, अन्य मंत्रियों, विधायकों व तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के भाग लेने से उन्हें वैधानिकता मिलती है। आरक्षण आन्दोलन

स्वाभाविक रूप से जातीय आधार पर संगठित होते हैं और किसी हिंसक गोलबंदी के लिए सरकार द्वारा पोषित जातीय संगठनों/संस्थाओं को मंच की तरह इस्तेमाल करते हैं। 'पैंतीस बिरादरी बनाम एक' और 'जाट बलवान' जैसे जहरीले नारों को खाद-पानी इन्हीं मंचों से मिला है और आगे भी मिलेगा। इसके बरक्स गौर कीजिए कि शिक्षा के द्वार सभी जातियों के लिए खोलने वाले क्रांति दूत फुले दंपति ने मौर्या, कुशवाहा, कुनबी या सैनी स्कूल नहीं खोला था। इसी परम्परा में सरकार को कानून बना कर जातीय मंचों का पोषण बंद करना चाहिए और भौगोलिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, खेल मंचों व प्रेरक बलिदानी नायकत्व को बढ़ावा देना चाहिए।

8.8 स्वागतयोग्य है कि कमजोरों और पिछड़ों के लिए आरक्षण ने उनका सत्ता संरचना में प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त किया। पर अरक्षित समुदायों के भीतर पुरुष का लैंगिक दबदबा स्त्री को इस प्रतिनिधित्व में बराबर की भागीदारी से वंचित रखे हुए है। इसी समीकरण का प्रतिबिम्बन वर्तमान हिंसक आरक्षण आन्दोलन में स्त्रियों की व्यापक असुरक्षा और मुरथल यौनिक हमले जैसे आरोपों में नजर आया। हरियाणा को कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा/स्वास्थ्य में स्त्रियों का दोयम दर्जा, इज्जत के नाम पर हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और बिगड़ते लिंग अनुपात के लिए यूँ ही नहीं जाना जाता। बाजार एवं पुनरुत्थानवादी शक्तियों की मार झेलती स्त्रियों के लिए आरक्षण की प्रणाली उनके सशक्तिकरण की एक उत्प्रेरक रणनीति बन सकती है। आरक्षण का लाभ आरक्षित समुदाय की स्त्रियों को भी मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि आरक्षित कोटे का तैंतीस प्रतिशत स्त्रियों के लिए आरक्षित किया जाय। यह समीकरण तमाम आरक्षित श्रेणियों के अलावा सामान्य श्रेणी पर भी लागू हो।

8.9 आन्दोलन का कटु सत्य यह भी है कि 'कानून का शासन' स्वयं कानून के पहरुओं ने क्षरित होने दिया। माल-असबाब से लदे हजारों ट्रक राजमार्गों व अन्य सड़कों पर दिनों-हफ्तों आन्दोलन में फंसे खड़े रहे जबकि इस दौरान लाखों यात्रियों को आवागमन के संवैधानिक अधिकार से वंचित रहना पड़ा। यहाँ तक कि कई शहरों/कस्बों का सामान्य जन-जीवन भी रास्ता जाम करने वालों के रहमो-करम पर छिन्न-भिन्न होने दिया गया। यह सब इस अघोषित शासन नीति के अंतर्गत कि आन्दोलनकारियों को कानून के दायरे में लाने के किसी भी प्रयास से हिंसा भड़क जायेगी, जैसे वह अन्यथा नहीं भड़की। दरअसल, कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य जगहों पर समय रहते निश्चयात्मक कार्यवाही करने से रास्ते खुलवाये जा सकते थे, जिससे आन्दोलन को बाद में व्यापक रूप से हिंसक मोड़ लेने से रोका जा सकता था। शहरों/कस्बों के भीतर जाम लगाने देना रणनीतिक दीवालियापन जैसा सिद्ध हुआ। इसने आन्दोलनकारियों और सुरक्षा बलों और आन्दोलनकारियों और उनके विरोधियों के बीच तनावों और हिंसक झड़पों की जमीन तैयार की। साथ ही प्रभावित शहरों/कस्बों में जान-माल की अधिकतम क्षति का मार्ग खोला और वहां की तमाम जनसंख्या को असुरक्षा के साये में जीने को विवश किया। समूचे हरियाणा वासियों ने इन रणनीतिक/नियोजित चूकों का खामियाजा भुगता है, जिसके लिए मनोहर लाल सरकार को बिना शर्त राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

8.10 जख्म रोकने में असफलता के बाद शासन-प्रशासन से मरहम लगाने में तत्परता की उम्मीद भी खयाली ही सिद्ध हुयी। क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया एक संवेदी माहौल में समयबद्ध पूरी करनी चाहिए थी पर इसे लालफीताशाही के हवालेकर एक अंतहीन तकनीकी/सिफारशी कवायद बना दिया गया है। जो राजनीति और नौकरशाही उपद्रव के समय दृढ़ता नहीं दिखा सकी, वह अब मुआवजे को लेकर उदारता नहीं दिखा पा रही। पीड़ितों के मुआवजा दावों को प्रथम दृष्टया सही मान कर अविलम्ब भुगतान होना चाहिए था जब तक कि दावे को अकाट्य भौतिक साक्ष्य के आधार पर ठुकराने का आधार न हो। उन्हें घटना के दिन से मुआवजा मिलने तक अठारह प्रतिशत की दर से ब्याज भी दिया जाय। सड़कों पर फंसे रहे ट्रक/लोग भी क्षतिपूर्ति के हकदार हों और

यदि जरूरी हो तो इस तरह की हानि की भरपाई के सम्बन्ध में सरकार एक नया क्षतिपूर्ति कानून लाये।

8.11 राज्य के मौजूदा माहौल में सद्भावना का एकमात्र अर्थ संवैधानिक सद्भावना ही होना चाहिए। हिंसक आरक्षण आन्दोलन दौर की हरियाणवी समाज की एक ट्रेजेडी जिस पर कम ध्यान दिया गया है, यह रही कि आपको हिंसा/आतंक में बाँट दिए गए दो समूहों में से एक को चुनने पर मजबूर होने की नियति से दो-चार होना पड़ा। अधिकांश लोगों में, हिंसक उत्पात के विरुद्ध होने के बावजूद, यह धारणा बलवती हुयी है कि सरकार हिंसा की भाषा ही समझती है और उनके लिए चुप रहना ही एकमात्र विकल्प बचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में विवेकशील सद्भावना मंचों की आवाज बेहद कमजोर है। अनुभव का तकाजा है कि ऐसे मंचों के विकास को सरकार, राजनीतिक दलों या जातीय संस्थाओं के भरोसे छोड़ना आत्मघाती होगा। विवेकशील मंचों के नए सिरे से गठन के लिए संविधान से प्रतिबद्ध बुद्धिजीवियों और प्रगतिशील सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा।

8.12 आन्दोलन का दौर लोक मानस में नायकों-प्रतिनायकों के भ्रामक निशान छोड़ गया है। यहाँ एक ही उदहारण काफी होगा। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद को जहाँ एक धड़ा 'गरीबों का मसीहा' नायक नंबर एक मानता है वहीं विरोधी धड़ा उन्हें जेल में डालने योग्य खलनायक नंबर एक। इस अति विभाजक माहौल में सैन्यबलों के हाथों मारे गए या घायल हुए आन्दोलनकारियों के दर्जे को लेकर दावे-प्रतिदावे बेहद भावुक स्तर पर ले जाये गए हैं। आरक्षण समर्थकों के लिए वे 'शहीद' हैं जबकि हिंसा-पीड़ितों के लिए अपराधी। इन मामलों में जहाँ कानून को अपना काम करना चाहिए, वहीं यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इनमें से अधिकांश युवा एक भ्रामक उन्मादपूर्ण परिस्थिति का शिकार बने। इन मामलों में जहाँ कानून को अपना काम करना चाहिए, वहीं मानवीय आधार पर इस दौरान मारे गए सभी व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति का भागीदार माना जाए, जब तक उनके विरुद्ध गम्भीर हिंसा में स्वयं लिप्त होने के अकाट्य सबूत न हो। उनके दुस्साहस पर सवाल खड़े हो सकते हैं तो भी उनके परिवारों की क्षति अपूरणीय ही कही जायेगी। राज्य को उन परिवारों की क्षतिपूर्ति करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे समुदायों के बीच टकराव की खाई को भरने में भी मदद मिलेगी।

8.13 हिंसा शुरू होते ही घबरायी हुयी हरियाणा सरकार ने सेना को एक पूर्णतया सिविल परिदृश्य में आमंत्रित कर लिया। इससे पहले केन्द्र सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केन्द्रीय सशस्त्र बलों को राज्य में झोंक दिया था। ये आत्मघाती कदम सिद्ध हुए क्योंकि उनके मुकाबले में आतंकवादी नहीं देश के बेरोजगार नौजवान ही थे। ऐसे में स्वचालित हथियारों से लैस सैनिक और केन्द्रीय सशस्त्र बल या तो चुपचाप उपद्रव होता देखते और अपनी किरकिरी कराते या आन्दोलनकारियों पर गोलियों की बौछार कर अनुपात से कई गुणा ज्यादा बल प्रयोग करने का आरोप झेलते। अंत में दोनों ही तरह की तोहमत उनके हिस्से आयी। जन सुनवाई के दौरान जगह-जगह पीड़ितों से सुनने को मिला कि उनका सेना पर विश्वास नहीं रहा। ऐसा लगता है सरकार अपने ही जातिवादी प्रचार का शिकार हो गयी। उसे यह मानना सुविधाजनक लगा कि हरियाणा पुलिस की तथाकथित जाट बहुल निचली एवं मध्य कतारों की सहानभूति आन्दोलनकारियों के साथ होगी, जबकि पुलिस की कमियां स्पष्टत: नेतृत्व, रणनीति, तालमेल और अभ्यास के स्तर पर रहीं। सरकार और पुलिस नेतृत्व को अपना जातिवादी चश्मा उतार कर एक पेशेवर, सत्ता निरपेक्ष और संवेदी पुलिस निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।

8.14 सारत:, हरियाणा के छिन्न-भिन्न रोजगार परिदृश्य में न राजनीतिक बिजलियां मार्गदर्शक बनीं और न कानून-व्यवस्था आश्वस्तकारी रही। पिछड़ा होने के आधार पर जातिगत आरक्षण मांगने की संवैधानिक प्रणाली को सभी ने उठा कर ताक पर रख दिया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समय-समय पर मामले में संज्ञान के बावजूद जिस पैमाने पर हिंसा और आतंक ने राज्य में अपने पांव पसारे उसकी तुलना प्राय: 1947 के विभाजन काल से की गयी। आरक्षण आन्दोलन के चरित्र को समझना भी जरूरी है। जाति आधारित होने से स्वाभाविक है कि आरक्षण का विरोध/समर्थन भी अधिकांशत: जाति आधारित हो। लिहाजा आरक्षण आन्दोलन को यद्यपि जाति वैमनस्य या जाति संघर्ष की गोलबंदी (मसलन पैंतीस बिरादरी बनाम एक) के रूप में पेश किया गया पर असल में इनका चरित्र राजनीतिक ही रहा। हां, इसे बैठे-बिठाये जातीय मंच और जातीय गोलबंदियां स्वार्थ साधन के लिए अवश्य मिल गए। भविष्य के लिए भी इस परिघटना को आर्थिक मुद्दों, सामाजिक अनुक्रिया, राजनीतिक समाधान और कानून-व्यवस्था की रणनीति के दायरों में देखना श्रेयस्कर होगा।

8.15 आन्दोलन के दौरान गाँव सिवाह में वरिष्ठ स्त्रियों के नेतृत्व में हुए अनूठे सामाजिक प्रयोग का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग एक पर स्थित इस बड़े गाँव ने एक स्वर से वहां धरने पर बैठे हजारों आन्दोलनकारियों को दस किलोमीटर दूर पानीपत शहर पर धावा बोलने से रोक दिया था। सिवाह गाँव के सामाजिक-आर्थिक सन्दर्भ में इस परिघटना का अध्ययन निश्चित रूप से ऐसे तनावों से निपटने में अनेकों पूर्वोपाय इंगित कर पायेगा।

8.16 जाट आरक्षण हिंसा के दौर में कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर हरियाणा शासन-प्रशासन की लगभग बदहवास असफलता के अपने सबक हैं। एक ही स्थान पर कुछ अंतराल के बाद नियोजित हमले और बार-बार सूचित करने पर भी पुलिस की निष्क्रियता का पैटर्न इस दौर का प्रशासनिक ट्रेड मार्क बन गया। दूसरी ओर, आरक्षण की राजनीति ने जातिगत विद्वेष की राजनीति को तर्कसंगत जामा पहनने में मदद की। व्यापक हिंसक आरक्षण आन्दोलन ने एक बार फिर कृषि संकट, रोजगार संकट और ग्रामीण क्षेत्र में कौशल व उद्यमिता के अभाव को भी शिद्दत से रेखांकित किया। भीषण बेरोजगारी के चलते, आज सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग जाट और पटेल जैसे पारंपरिक रूप से खाते-पीते और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली ग्रामीण समुदायों के एक बड़े भाग के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बना दी गयी है। ये वे तबके हैं जो नव-उदारवादी आर्थिक दौड़ में पिछड़ते चले गए हैं क्योंकि खेती घाटे का सौदा बनती गयी जबकि ये उस अनुपात में अन्य कौशल/उद्यम के लिए तैयार नहीं किये जा सके। न ही वे निजी क्षेत्र के बेहद प्रतिस्पर्धात्मक अपरिचित माहौल में खप सके हैं। वर्तमान कृषि संकट से पहले भी ग्रामीण इलाकों में कहीं ज्यादा गरीबी रही है पर आज जैसी बेरोजगारी नहीं। तब कृषि भूमि का इस कदर टोटा नहीं था और बाजार से काफी हद तक स्वतंत्र, ग्रामीण तबकों के रोजगार परस्पर कौशल पर निर्भर होते थे। अपेक्षाकृत विकसित हरियाणा और गुजरात में राज्यव्यापी आरक्षण हिंसा सरकार के 'कौशल इण्डिया' और 'मुद्रा बैंक' जैसे व्यक्तिगत कौशल आधारित रोजगार परक मॉडल की अपर्याप्तता की ओर भी संकेत है। कृषि कर्मी की न्यूनतम आय की गारंटी को प्रोत्साहन और कृषि उपभोक्ता को आर्थिक सहायता के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के विस्तार और परस्पर कौशल पर आधारित रोजगार परक मॉडल लाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

9. नागरिक समाज से अपील

9.1 जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा रोकने में सरकार की पूर्ण विफलता उसके संबंध को देखते हुए सामाजिक सद्भावना और आपसी सहयोग को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मुख्य राजनीतिक पार्टियां भी वोट बटोरने के लिए संकीर्ण जातिवादी राजनीति पर निर्भरता बनाए हुए हैं। इस स्थिति में नागरिक समाज की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। सरकार और मुख्य राजनीतिक पार्टियों को जनसापेक्ष दिशा में फैसले लेने और कार्यवाही करने के लिए उन पर दबाव बनाना जरूरी है। साथ ही सकारात्मक रूप से भी नागरिक समाज को कुछ स्वतंत्र पहलकदमियां लेनी चाहियें।

1. स्वस्थ समाज की रचना के लिए प्रगतिशील जनसापेक्ष उदार मूल्यों की स्थापना करने की जरूरत होती है। इसके लिए ऐसी संस्थाओं के निर्माण की जरूरत है जो जातिवाद, साम्प्रदायिकता, इलाकावाद, अन्धउपभोक्तावाद और अन्य संकीर्ण पुनरूत्थानवादी विचारधाराओं की जड़ों पर प्रहार करते हुए बराबरी, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित प्रगतिशील मूल्यों को बढ़ावा दे। नागरिक समाज ऐसी संस्थाओं का निर्माण करने की दिशा में पहलकदमी करे जो स्वस्थ सामाजिक मूल्यों को निरन्तर विकसित और पोषित करती हों।
2. सकारात्मक सामाजिक मूल्यों के लिए अनेक स्तरों पर सक्रिय नागरिक समाज की सशक्त उपस्थिति से ही यह संभव है कि संकीर्ण मुद्दों पर लोगों को लामबन्द करने वाली राजनीति और संकीर्ण सामाजिक ताकतों को जनता नकार दे। उनका शिकार न बने और उनका प्रतिरोध भी करे। इसके लिए एक नवजागरण की जरूरत है। 19वीं शताब्दी के नवजागरण की तरह व्यापक सुधार आंदोलन की परिकल्पना नागरिक समाज को करनी चाहिए। ज्ञानोदय की परम्परा को नये सिरे से पुन: अर्जित करने और विकसित करने का कार्य नागरिक समाज को ही करना होता है।
3. नागरिक समाज ऐसे सामाजिक आन्दोलन खड़े कर सकता है जो समाज को नुकसान पहुँचाने वाले हिंसक आन्दोलनों और कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों, संगठनों, प्रक्रियाओं व पद्धतियों को चिह्नित कर सकें और उनका सक्रिय प्रतिरोध कर सकें।
4. सभी नागरिकों से जुड़े वास्तविक मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लाभकारी कृषि आदि पर जनता सक्रिय सामाजिक भूमिका निभा सके। ऐसे सकारात्मक सामाजिक आन्दोलनों को बनाने, पोषित और विकसित करने का काम भी नागरिक समाज को करने होंगे। अन्तत: किसी भी स्वस्थ समाज के विकास में नागरिक समाज की निर्णयकारी भूमिका होती है।

परिशिष्ट 1
जन आयोग के सदस्य

क्रम	*नाम*	*संपर्क सूत्र*
1.	श्री वी. एन. राय, पूर्व पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पूर्व डायरेक्टर, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद अध्यक्ष	vnraiips@gmail.com, 9818603345
2.	श्री टी. के. शर्मा, पूर्व मण्डल आयुक्त, गुड़गांव, सदस्य	sharmatk52@gmail.com 9466163003
3.	सुश्री शुभा, लेखक एवं पूर्व कॉलेज प्राचार्य, सदस्य	shubhamanmohan@gmail.com 9896310916
4.	डॉ. मेहर सिंह पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, केरल, सदस्य	drmeharsandhu@gmail.com 9650021469
5.	श्री राजीव गोदारा, एडवोकेट पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सदस्य	rajeevgodara1999@gmail.com 9417150798
6.	श्री राम मोहन रॉय, एडवोकेट, सर्वोच्च न्यायालय, सदस्य-संयोजक	rai_rammohan@rediffmail.com 9354926281
7.	डॉ. राजेन्द्र चौधरी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, सदस्य-सचिव	rajinderc@gmail.com 9416182061

परिशिष्ट 2
जन-सुनवाइयों का ब्योरा

क्रम	*विवरण*	*संख्या*
1	कुल जनसुनवाईयां	25
2	कितने दिन चली जनसुनवाई	8
3	कुल गवाह	181
4	कुल लिखित दस्तावेज जो आयोग को सौंपे गए	58 (फोटो इनसे अलग हैं)
5	कुल वीडियो दस्तावेज (इनमें दोहराव भी हो सकता है)	122
6	कुल खर्च (रिपोर्ट तैयार करने तक)	25850 रुपये

परिशिष्ट 3

सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत उपायुक्त से मांगी गई सूचना की प्रति

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी

द्वारा उपायुक्त, रोहतक/झज्जर/भिवानी/हिसार/जींद/कैथल/पानीपत/सोनीपत

विषय : सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत सूचना के लिए आवेदन

महोदय/महोदया,

मैं यह आवेदन सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत कर रहा हूँ। इसके लिए आवश्यक 50 रुपये का पोस्टल आर्डर संलग्न है। मुझे निम्नलिखित सूचना पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा नीचे दिये पते पर भेजी जाए। मैं मांगने पर इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त शुल्क जमा करवा दूँगा। मांगी गई सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण आप से अनुरोध है कि इसे शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध करवाया जाए।

1. क्योंकि 12 फरवरी 2016 से शुरू हुए जाट आरक्षण आंदोलन की सम्भावना पहले से थी, इसलिए अमन और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए? इस बारे में जारी किए गए आदेशों की प्रतियाँ उपलब्ध करवाएँ।
2. जाट आरक्षण आंदोलन के सम्बंध में राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार से इस वर्ष मिले आदेशों एवं निर्देशों की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराएं।
3. जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, आगजनी और लूटपाट के लिएए अधिकारियों के खिलाफ की गई कारवाई की जानकारी दें एवं संबंधित आदेश, फ़ाइल नोटिंग सहित उपलब्ध कराएं।
4. इस दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति को हुए नुकसान का विवरण देवें।
5. इस दौरान निजी सम्पत्ति को हुए नुकसान के मुआवजे के लिए आवेदन करने वालों के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करवाएँ : आवेदन करने वाले का नाम एवं पता, जाति, मांगा गया मुआवजा, स्वीकृत मुआवजा, जारी किया गया मुआवजा।
6. मुआवजे का आकलन किस आधार पर किया गया? इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों की प्रति उपलब्ध करवाएँ।

संलग्न पोस्टल आर्डर क्रमांक एवं तिथि 25.3.16

आवेदक के हस्ताक्षर

सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक से मांगी गई सूचना की प्रति

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी

द्वारा अधीक्षक पुलिस, रोहतक/झज्जर/भिवानी/हिसार/जींद/कैथल/पानीपत/सोनीपत

विषय : सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत सूचना के लिए आवेदन

महोदय/महोदया]

मैं यह आवेदन सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत कर रहा हूँ। इसके लिए आवश्यक 50 रुपये का पोस्टल आर्डर संलग्न है। मुझे निम्नलिखित सूचना पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा नीचे दिये पते पर भेजी जाए। मांगने पर मैं इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त शुल्क जमा करवा दूँगा। मांगी गई सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण आप से अनुरोध है कि इसे शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध करवाया जाए।

1. क्योंकि 12 फरवरी 2016 से शुरू हुए जाट आरक्षण आंदोलन की सम्भावना पहले से थी, इसलिए अमन और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा क्या कदम उठाए गए? इस बारे में जारी किए गए आदेशों की प्रतियाँ उपलब्द्ध करवाएँ।
2. जाट आरक्षण आंदोलन के सम्बंध में राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार से इस वर्ष मिले आदेशों एवं निर्देशों की प्रतियाँ भी उपलब्ध करवाएँ।
3. जिले में कितनी जगह रास्ते जाम किए गए? इस संदर्भ में 18 फरवरी 2016 तक दर्ज की गई एफआईआर की संख्या बताएं एवं इन की प्रतियां उपलब्ध करवाएँ।
4. जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, आगजनी और लूटपाट के लिए 18 फरवरी 2016 के बाद दर्ज की गई एफआईआर की संख्या बताएं एवं इन की प्रतियाँ उपलब्ध करवाएँ।
5. जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, आगजनी और लूटपाट के लिए, पुलिस एवं प्रशानिक अधिकारियों के खिलाफ़ की गई कार्यवाही की जानकारी दें एवं सम्बन्धित आदेश, फ़ाइल नोटिंग सहित उपलब्ध करवाएँ।
6. आंदोलन के दौरान मरने वालों के नाम, पता, जाति, मृत्यु का समय और स्थान, कारण सहित पूर्ण विवरण दें। इन के परिजनों को दी जाने वाली कुल सहायता एवं अब तक वितरित सहायता का विवरण दें।
7. आंदोलन के चलते जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, उनके नाम, पता, जाति, किस केस में लिया गया इत्यादि का विवरण दिया जाए। यह भी बताया जाए कि क्या वे अब भी हिरासत में हैं और अगर उन्हें छोड़ा गया, तो उन्हें कब छोड़ा गया।

संलग्न पोस्टल आर्डर क्रमांक एवं तिथि 25.3.2016

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 4

आयोग के सामने उपस्थित हुए व्यक्ति/संगठन

रोहतक

1 डॉ. किशोर चावला
2 श्री जय सिंह सैनी
3 श्री राज कुमार
4 श्री गौतम ऋषि
5 श्री हवा सिंह
6 जनवादी समिति की राष्ट्रीय महा सचिव सुश्री जगमति सांगवान
7 सुश्री विना मलिक, नागरिक एकता एवं सद्भाव समिति, रोहतक
8 श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी
9 श्री ओम प्रकाश मलिक
10 श्री शीश राम
11 श्री रविन्द्र कुमार सैनी
12 श्री रविन्दर
13 श्री राहुल जैन
14 श्री रामभज हुड्डा
15 श्री सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री पृथ्वी
16 श्री विनोद पांचाल
17 श्री नरेश कुमार
18 श्री गुलशन डंग
19 श्री जगदीश खत्री
20 श्री संदीप खत्री
21 श्री विजयदीप पंघाल
22 श्री राजू
23 डॉ. जसमेर हुड्डा
24 डॉ. आर एस दहिया
25 श्री भगत सिंह मालिक
26 श्री मंजीत सिंह संधु
27 श्री सतीश
28 श्री शिव कुमार
29 श्री रवि सैनी
30 श्री अनिल शर्मा
31 श्री अजय दुआ
32 श्री उमेद सिंह सिवाच
33 श्री सतवीर नेहरा
34 श्री अनिल कुमार
35 श्री देवेश शर्मा
36 जनवादी समिति की सुश्री सविता
37 डॉ. महावीर नारवाल, नागरिक एकता एवं सद्भाव समिति, रोहतक

महम (रोहतक)

38 मास्टर रमेश
39 श्री राम किशन
40 श्री तिलक राज
41 श्री सोमानन्द
42 श्री पूरन सिंह
43 डॉ. सुमेर सिवाच
44 श्री प्रदीप ढाका

कलानौर (रोहतक)

45 श्री दर्शन लाल
46 श्री हरभगवान पाहवा
47 श्री अशोक कुमार
48 श्री संजीव कुमार
49 डॉ. सुषमा सतीश
50 श्री आशीष
51 श्री प्रमोद मलिक
52 श्री रमेश कुमार
53 श्री अजय सोनी

झज्जर जिला

54 श्री सत्ते सिंह
55 श्री हवा सिंह यादव
56 श्री उमेद सिंह
57 श्री किशोर सैनी
58 श्री ओम प्रकाश
59 श्री राम अवतार
60 श्री जसवंत देसवाल
61 श्री रविन्द्र सैनी
62 श्री रमेश बिरला
63 श्री सुनील कुमार
64 श्री रोहतास तलाव
65 श्री रामचन्द्र
66 डॉ. संदीप सैनी
67 श्री सुभाष चंदर फोगाट
68 श्री विजेंद्र कादयान
69 श्री नवीन
70 श्री जगदीश
71 श्री वेद प्रकाश प्रधान

हांसी

72 श्री साधू राम
73 सूबेदार ओम प्रकाश
74 श्री सतपाल गुज्जर
75 सुश्री बिमला
76 सुश्री मीना
77 सुश्री संतोष
78 सुश्री माया गुज्जर
79 श्री नर सिंह
80 श्री फतेह सिंह
81 श्री राजेश कुमार
82 श्री राम किशन
83 श्री बुद्धराम सुपुत्र श्री वीरू
84 श्री मुकेश
85 श्री सुरजीत, सरपंच
86 श्री लाल चंद कम्बोज
87 श्री जय सिंह सिहाग
88 श्री माणिक कुमार
89 श्री रवीन्द्र सैनी
90 श्री शैलेंद्र कूमर
91 श्री राज कुमार
92 श्री नरेंद्र कुमार भाई जी
93 श्री धर्मपाल
94 किसान सभा से श्री बलजीत
95 श्री चंद्र प्रकाश
96 श्री अजीत सिंह
97 श्री धर्म सिंह
98 श्री सुरेश

99 श्री के सी बब्बर
100 श्री बलजीत सिहाग
101 श्री बलवान दलाल

जुलाना (जींद)

102 श्री सुभाष पांचाल
103 श्री सुरेश जिंदल
104 श्री मनीष मंचन्दा
105 श्री रमेश जिंदल
106 श्री जिले सिंह

जींद

107 श्री विजय शर्मा
108 श्री कुलदीप ढांढा
109 श्री शमशेर सिंह
110 श्री इंदर सिंह
111 श्री फूल सिंह श्योकंद
112 श्री शमशेर सिंह
113 डॉ. अजीत दाँगी
114 कामरेड रमेश
115 श्री विक्रम

उचाना (जींद)

116 श्री सूरजमल
117 श्री बलराज
118 श्री राम निवास गर्ग
119 श्री वीरेंद्र सिंह
120 श्री ज्ञानी राम
121 सुश्री शारदा
122 सुश्री शीला

मटोर (कालायत), कैथल

123 श्री जगमक कुमार
124 मा मिट्ठन लाल
125 श्री दयानन्द
126 श्री गुरनाम सिंह
127 श्री राजा राम

कालायत, कैथल

128 श्री राज बीर सिंह
129 डॉ. सुरेश जगदेवा
130 श्री एमपी सिंगला
131 श्री रवीन्द्र धीमान
132 श्री कुमार मुकेश
133 श्री प्रेम सिंह

कैथल

134 श्री सुभाष चंद्र सैनी
135 श्री गोपी राम सैनी
136 श्री हरीकेश
137 श्री लखनपाल सैनी
138 श्री शाम लाल
139 श्री अशोक शर्मा
140 श्री बलदेव सिंह
141 श्री परदर्शन परुथी

पूण्डरी, कैथल

142 श्री मान सिंह सैनी
143 श्री पाला राम सैनी
144 श्री राम रूप
145 श्री नरेंद्र शर्मा
146 श्री चंद्र भान

सफीदों, जींद

147 श्री विकास सिंघल
148 श्री सूरज भान
149 श्री शमशेर
150 श्री राधे श्याम
151 सुश्री केलो देवी
152 सुश्री संतरो
153 श्री ओम प्रकाश

पानीपत

154 कामरेड मान चंद सैनी
155 श्री रमेश कुमार
156 श्री संजय कुमार
157 श्री ईश्वर सैनी
158 श्री ओम प्रकाश

सिवाह, पानीपत

159 श्री ओम प्रकाश
160 श्री नफे सिंह
161 श्री सूरज प्रकाश
162 श्री खुशदिल सरपंच
163 श्री धर्म पाल

मुरथल एवं लड़सोली

164 श्री सुमित
165 श्री इकबाल पानीपती
166 श्री दिनेश
167 श्री प्रवीण
168 श्री अमित
169 श्री कुणाल
170 श्री कुलदीप देसवाल
171 श्री पंकज त्यागी

गोहाना (सोनीपत)

172 श्री राजेश कुमार
173 सुश्री सीमा देवी
174 श्री महेंद्र कश्यप
175 श्री सुनील सैनी
176 श्री ब्रह्म सिंह दहिया
177 सुश्री लछमी
178 श्री महिपाल वशिष्ठ
179 श्री राम किशन
180 श्री राजीव
181 श्री नरेश खंडेलवाल

गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस रिपोर्ट का किसी भी रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के लिए निम्न सम्पर्क दिया जा रहा है :

सुरेन्द्र पाल सिंह कन्वीनर, सद्भावना मंच, हरियाणा
957, सेक्टर 25, पंचकुला, हरियाणा
09872890401 ईमेल– sure.pal60@gmail.com

यह रिपोर्ट एवं इसमें प्रयोग किए गए विडियो सबूत निम्नलिखित साइट पर उपलब्ध हैं–
https://archive.org/search.php?query=janayogharyana